खण्ड-125, अंक-4
गुरूवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1875
(13 अगस्त, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 125 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

देश विधान सभा

—:o:—

बृहस्पतिवार, १३ अगस्त, १९५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उलफ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनीसिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री

गुलजार, श्री
गँदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोबिन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभान् गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बंसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री

श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुखजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हर दयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्लानिंग विभाग की मोटरों का मूल्य

*१--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग में सन् १९५३ में कितनी कीमत की मोटरें खरीदी गई हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त) २,२६,८६० रु० ८ आने।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस कार्य के लिये यह मोटरें खरीदी गयीं ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--नियोजन विभाग के अन्दर बहुत से काम करने होते हैं उनको करने के लिये और खूबी से करने के लिये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रकम में से जितनी गाड़ियां खरीदी गयी हैं वह कौन-कौन सी गाड़ियां हैं ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—१४ शिवरलेट पिक अप और एक स्टाफ कार खरीदी गयी।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में शरणार्थियों की संख्या

*२—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में कितने शरणार्थी बसाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—१९ परिवार जिनमें ९० व्यक्ति हैं।

*३—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ में आये हुये शरणार्थियों को कितनी-कितनी भूमि अथवा अन्य जीविका के साधन दिये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—(क) निष्क्रांत सम्पत्ति में से ९ परिवारों को १५५ बीघा कृषि योग्य भूमि दी गई है जिसमें से २३ बीघा भूमि पर अभी कब्जा नहीं दिलाया जा सका है।

(ख) उक्त १९ परिवारों को राजकीय ऋण के रूप में १०३५० रु० दिये गये हैं।

(ग) इनमें से ९ परिवारों को "सी" क्लास तथा अन्य २ परिवारों को "ई" क्लास के कपड़े के लाइसेंस दिये गये हैं।

(घ) प्रत्येक परिवार को निष्क्रांत सम्पत्ति में से गृह दिये गये हैं।

(ङ) नगरपालिका द्वारा इन परिवारों को तीन दुकानें दी गई हैं।

(च) इन परिवारों को दो लाइसेंस चीनी, नमक तथा मिट्टी के तेल के दिये गये हैं।

(विस्तार के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०५ पर)

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी शरणार्थी को ९० बीघा, किसी को ३ बीघा यानी किसी को ज्यादा और किसी को कम क्यों दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह—जिसको जितनी आवश्यकता प्रतीत हुई उसी हिसाब से दिया गया।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की शिकायतें आई हैं कि वहां बहुत से लोग काफी परेशान हैं और उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—यह पहली शिकायत आयी है जो माननीय सदस्य ने की है, अब उसके बारे में देखा जायगा।

श्री नेक राम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जब यह प्रश्न पूछे गये तो शरणार्थी अफसर ने शरणार्थियों को डांटा कि तुमने यह प्रश्न क्यों पुछवाये ?

श्री हुकुम सिंह—इसका जवाब "नहीं" है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी जरूरत मालूम नहीं होती।

कोआपरेटिव सोसाइटी आर० एम० एस० "ए" डिवीजन इलाहाबाद में गबन

*४—**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि कोआपरेटिव सोसाइटी आर० एम० एस० "ए" डिवीजन इलाहाबाद, में कुछ रुपयों का गबन हुआ है ? यदि हां, तो उसकी छानबीन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारिता उप मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---१९५२ में विभाग के आडिटरों ने आर० एम० ए स० "ए" डिवीजन सहकारी समिति इलाहाबाद में ३१००० का गबन निकाला था। समिति के हिसाब का आडिट पूरा कराया गया और साथ-साथ पुलिस को मामले की रिपोर्ट कर दी गयी थी। पुलिस की जांच समाप्त हो चुकी है। सात अभियोगी बन्दी किये गये हैं और उनके विरुद्ध मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया जा चुका है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि किस-किस दफा में मुलजिम गिरफ्तार किये गये ?

श्री मंगला प्रसाद---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

जिला नियोजन समिति में अन्य पार्टियों का सहयोग

*५---राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार की यह नीति है कि यह नियोजन समिति जो जिलों में बनाई गई है उनमें हर पार्टी का सहयोग हो ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---नियोजन के कार्य में सभी का सहयोग वांछनीय है। नियोजन समितियों का निर्माण किसी पार्टी के आधार पर नहीं किन्तु जो नियम इस निमित्त बनाये गये हैं उनके अनुसार किया जाता है।

*६---राजा वीरेन्द्र शाह---यदि हां, तो जिला जालौन में ३५ सदस्यों की जो नियोजन समिति बनायी गयी है उसमें किस-किस पार्टी के लोग हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जिला जालौन नियोजन समिति अब इसी तरह बनाई गई है। उसके निम्नलिखित सदस्य हैं:---

पार्लियामेंट, प्रदेश विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्य जो जालौन जिले के निवासी हैं या वहां के प्रतिनिधि हैं।

श्रीमती सावित्री देवी द्विवेदी	महिला सदस्य
श्री शम्भूदयाल श्री मोती लाल शर्मा श्री शिव संपति शर्मा	असरकारी सदस्य
श्री बालमुकुन्द शास्त्री	अध्यक्ष जिला बोर्ड
श्री शिव शंकर सिंह श्री बिशम्भर नाथ	जिला बोर्ड से मनोनीत
श्री एस० एन० मिश्रा	कोआपरेटिव बैंक के उप सभापति
श्री लल्लू राम द्विवेदी	जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन के उप सभापति।

जिले के म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के सब चेयरमैन। गांव सभाओं के ६ प्रतिनिधि।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ग्राम सभाओं के अध्यक्षों को नियोजन समिति में स्थान किसकी सिफारिश से मिलता है।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त---आमतौर पर जिले के अधिकारी की सिफारिश पर।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि हर जिले की प्लानिंग कमेटी की एक्जीक्यूटिव में प्रान्तीय सरकार ३ आदमियों को नामजद करती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उसने निश्चय किया है कि ३ आदमियों को नामजद किया जा सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ये जो तीन गैरसरकारी सदस्य चुने जाते हैं ये किसकी सिफारिश से चुने जाते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जिला वालों से परामर्श करके, भले आदमियों के बारे में जो भी बतला दें उनकी राय का लिहाज करके और जो अपनी मालूमात हों उनको सामने रख कर के, की जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या जिला नियोजन समिति में विशेष आमंत्रण पर लोगों को बुलाने के नियम बने हुये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कोई नियम ऐसे नहीं हैं मगर कोई बुलाना चाहे तो कोई मुमानियत भी नहीं है।

*७—श्री नारायण दत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

देवरिया प्लानिंग कमेटी द्वारा चीनी मिल क्षेत्रों का फिर से बटवारा करने की मांग

*८—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या देवरिया प्लानिंग कमेटी ने चीनी मिल क्षेत्रों को फिर से बंटवारा करने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां। देवरिया प्लानिंग कमेटी की एक बैठक में गेंदा सिंह जी ने एक प्रस्ताव इस आशय का पेश किया था कि चीनी मिल क्षेत्रों का फिर से बटवारा किया जाय। देवरिया के जिला गन्ना अधिकारी ने प्रस्तावक से इस विषय में अपने सुझाव देने के लिये कहा है। चीनी मिलों तथा गन्ना परिषदों से भी इस विषय में सुझाव मांगे गये हैं। इन सुझावों के आ जाने के बाद उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को यह जानकारी है कि गेंदा सिंह के प्रस्ताव को प्लानिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—यह जो मिल क्षेत्रों का बंटवारा था वह आज से पहले कब हुआ था ?

श्री हुकुम सिंह—नोटिस की जरूरत है। पता लगाकर बताऊंगा।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बटवारा बहुत पुराना होने की वजह से किसी मिल को कम और किसी को ज्यादा गन्ना मिलता है और उसमें उनको कठिनाई होती है ?

श्री हुकुम सिंह—आवश्यकतानुसार सब को दिया जाता है। कम और बेशी तो हुआ ही करता है ।

श्री गेंदा सिंह—तो क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपा करके इसका प्रबन्ध करेंगे कि फिर से ठीक से बंटवारा हो सके ?

श्री हुकुम सिंह—मैंने जवाब में कहा है कि सबका जवाब आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

गोकुलनगर पन्नी जी शुगर मिल्स, किछा, जिला नैनीताल द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान

*९--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि गोकुलनगर पन्नी जी शुगर मिल्स, किछा, जिला नैनीताल ने इस (५२-५३) सीजन के गन्ने का कीमत का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक काश्तकारों को नहीं दिया है? अगर हां, तो सरकार उक्त कीमत को दिलवाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हुकुम सिंह--जी हां। उक्त कीमत को वसूल करने के लिये गन्ना समिति, हल्द्वानी ने कोआपरेटिव ऐक्ट के अधीन मिल के विरुद्ध विवेचन (आर्बिट्रेशन) का दावा दायर किया है। लेकिन मिल्स ने हाई कोर्ट से (stay order) हासिल कर लिया है। कोआपरेटिव बैंक से उस समिति को साढ़े चार लाख रुपया क़र्ज भी दिलाया गया है ताकि समिति छोटे-छोटे काश्तकारों के गन्ने के मूल्य का रुपया अदा कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस सीजन की ऐसी कुल कीमत जो अभी तक वसूल नहीं हुई है वह रकम कितनी है?

श्री हुकुम सिंह--८ लाख से कुछ ज्यादा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो गन्ना सोसाइटी हल्द्वानी ने आर्बिट्रेशन का दावा दायर किया है वह इसी सीजन के गन्ने के रेट के बारे में है या पिछले सीजन के बारे में है?

श्री हुकुम सिंह--इस वक्त डेफीनिटली तो मैं नहीं कह सकता लेकिन दावा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इस मिल ने क्या हाई कोर्ट से स्टे आर्डर बकाया पिछले सीजन के रुपये के लिये लिया है या इस साल के लिये लिया है?

श्री हुकुम सिंह--जिस सीजन की वसूलयाबी रुकी थी उसी के लिये हाई कोर्ट से स्टे आर्डर लिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस स्टे आर्डर के सिलसिले में हाई कोर्ट ने केन कमिश्नर को पार्टी बनाया है?

श्री हुकुम सिंह--कागजात को देखकर बता सकता हूं।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री को इसकी खबर है कि शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार बकायादारों के खिलाफ कोई अदालती कार्यवाही की गई थी?

श्री हुकुम सिंह--यह भी अदालती कार्यवाही है।

श्री गेंदा सिंह--क्या कोई उनके खिलाफ प्रासिक्यूशन की कार्यवाही उन लोगों की तरफ से हुई है जिनका रुपया बाकी है?

श्री हुकुम सिंह--यह सवाल तो किछा के बारे में है और उसके बारे में ही हमारे पास इत्तिला है। एक वक्त में एक ही कार्यवाही की जा सकती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सरकार ने किछा के मिल मालिकों की इस मांग को नामंजूर कर दिया है कि रिक्वरी को बेसिस पर दाम देने का उनको हुकुम मिले?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--किछा मिल के बारे में कोशिश अभी तक इस बात की की गयी कि मिल मालिकों के साथ कुछ रियायत करने का फैसला कर लिया जाय, मगर

उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा इस वक्त कोई रियायत मिल मालिकों के साथ करने का फैसला गवर्नमेंट ने नहीं किया है।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री जी इस बात को बतला सकते हैं कि इस कीमत को दिलाने के लिये सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—प्रान्तीय सरकार ने बहुत कोशिश की। अदालत से डिगरी हासिल की और कोर्ट कमिश्नर से उसकी डिगरी को इजराय कराके उसको अटेच किया। अब उसको नीलाम करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हाई कोर्ट से उन्होंने इन्जेंक्शन हासिल करके उस कार्यवाही को रुकवा दिया। हमने उन लोगों का ४ लाख रुपया कोआपरेटिव बैंक से करजा दिलवाया ताकि जो छोटे काश्तकार हैं उनको रुपया मिल जाय चाहे उनको मिल मालिकों से न मिला हो। अब भी कोशिश इस बात की की जा रही है कि जहां तक हो सके दिलाया जाय। लेकिन जहां तक अदालती कार्यवाही का ताल्लुक है जब हाईकोर्ट का हुकुम हो जाता है तब हमारी कुछ चलती नहीं है।

*१०-११—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ २२१ पर]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नैनीताल में विकास के कार्य

*१२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नैनीताल जिले के तराईभावर इलाके में (कालोनाइजेशन क्षेत्र को छोड़ कर) क्या क्या विकास कार्य, सिंचाई-कार्य आदि आयोजित तथा कार्यान्वित होने जा रहे हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नैनीताल जिले के तराई भावर इलाके की कालोनाइजेशन क्षेत्र को छोड़ कर विकास कार्य की सूची नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०६ पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यहां नहरों की मरम्मत और नालों की लाइनिंग करने का अभी तक कितना कार्य हुआ है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कुछ नहरों की लाइनिंग हुई है। मरम्मत तो बराबर होती रहती है। और यह प्रोग्राम तो पंचवर्षीय योजना काल के लिये है। अभी बाकी है, कुछ हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि अभी तक केवल एक ही ट्यूबवेल इस सारे क्षेत्र में बना है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह तो नारायण दत्त जी जानते हैं कि भावरीक्षेत्र में ट्यूबवेल बनाना बड़ा मुश्किल है। इस साल कई लगाये जायं इस बात का प्रयत्न हो रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जहां पिछड़ी जातियों का जिक्र आया है वहां उसमें थारू और बोक्सा जातियों का जिक्र क्यों नहीं है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पंचवर्षीय योजना में तराई के लिये प्रोग्राम बनाया गया है और तराई ही में यह दोनों जातियां थारू और बोक्सा बसती हैं और

इसका बहुत बड़ा फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा। उनके नाम की मोहर लगाना या जितने कुयें बनें उन पर लिखा जाय कि वह थारू और बोक्सा के लिये हैं यह राय तो मैं समझता हूं कि आप की राय नहीं होगी।

गोरखपुर प्लानिंग विभाग में गबन की शिकायतें

*१३—**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा** (जिला गोरखपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के जिला प्लानिंग विभाग का हिसाब-किताब कितने वर्ष से नहीं जांचा गया है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गोरखपुर जिला प्लानिंग कमेटी के हिसाब-किताब की जांच लोकल फन्ड एकाउन्ट्स के आडिटरों द्वारा अगस्त, सन् १९५२ में हुई थी और जुलाई १९५३, में फिर होने वाली थी।

जब सवाल का जवाब लिखा गया था तब जुलाई नहीं आई थी, शायद अब हो गया होगा।

*१४—**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**—क्या मुख्य मंत्री के पास इस विभाग में गबन होने की शिकायतें आयी हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं।

* * * * * *

आगरा में इरोज़न (भूमि-क्षय) को रोकने का प्रबन्ध

*१०—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में (erosion) को रोकने के लिये अलग-अलग तहसीलों के कितने क्षेत्रफल में जंगल लगाया जा रहा है?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—आगरा जिले में (erosion) को रोकने के लिये लगभग १५ मील की लम्बाई में आगरा-मथुरा सड़क के सहारे जंगल लगाने की व्यवस्था की गई है जिसमें से निम्नलिखित तहसीलों में इस वर्ष में जंगल लगाया जा रहा है :—

तहसील किरावली	.. ..	१५२ एकड़
तहसील आगरा	.. ..	२४८ एकड़
कुल	..	४०० एकड़

*११—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजपूताने की सीमा पर आगरा और मथुरा जिले में कितनी लम्बी बेल्ट (forest belt) लगाई जा रही है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—आगरा में १०० मील और मथुरा में ७५ मील लम्बी बेल्ट लगाने की योजना है।

श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो तहसीलों का जिक्र किया है उनके अलावा ५ तहसीलों में कब पेड़ लगाने का प्रबन्ध किया जायगा?

नोट—तारांकित प्रश्न १०–११ श्री बाबूलाल मीतल ने पूछे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह कार्य तो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त धन से होगा वैसे वन-विभाग का जो वार्षिक काम चलता रहता है उसी के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों में काम हो रहा है लेकिन इस कार्य के लिये विशेष तौर से केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त हुआ है और वहां वन-रेगिस्तान रोकने के लिये लगाया जा रहा है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि अब तक इस योजना पर कितना रुपया खर्च हो चुका है और आगे कितने खर्च की आवश्यकता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतलायगी कि आगरा जिले में गत ५ वर्षों में स्वायलइरोज़न से कितने एकड़ ज़मीन को नुकसान हुआ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नुक़सान तो काफी हुआ है, ठीक संख्या तो मुझे नहीं मालूम लेकिन यह काम विशेष रूप से रेगिस्तान को रोकने के लिये हो रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतायंगे कि उपर्युक्त क्षेत्र में किस किस्म के पेड़ लगाये जा रहे हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वहां बबूल जो उस स्थान पर अच्छी तरह से उग सकता है, वहां कई तरह के वृक्ष हैं फल वाले भी और फूलों वाले भी और भूमि का शृंगार करने वाले वृक्ष भी लगाये जाते हैं और अधिकतर वहां बबूल आदि के ही लगाये गये हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं पहले कह चुका हूं कि यह धन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो रहा है और यह उनकी ही योजना है। कई अलग अलग-मदों का रुपया है केवल इसी स्थान के लिये वह नहीं है इसलिये ठीक राशि बताना तो कठिन है शायद कुल ६-७ लाख रुपये के क़रीब कई योजनाओं के लिये है।

श्री शिवनाथ काटजू—अब तक वहां जितने पेड़ लगाये गये हैं उनकी रक्षा का क्या इन्तजाम किया गया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वन विभाग उसकी देखभाल करता है, सिंचाई करता है और यह काम विशेष रूप से लैंड मेनेजमेंट सर्किल के अधिकार में रहता है और अब तक जितने भी लगे हैं वह पेड़ मरे नहीं हैं ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि वन लगाने के अतिरिक्त सरकार ने इस बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए और क्या तरकीबें की हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मुझे इसका पूरा ज्ञान तो है नहीं। उसके लिए वैज्ञानिकों ने केवल एक ही तरकीब बतायी है कि वहां पर पेड़ लगा दिये जांय जिससे रेत न उड़ पाये और रेगिस्तान का बढ़ना रुक सके। यह वैज्ञानिकों की राय है और कोई योजना अभी तक तो है नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मथुरा जिले में जिस क्षेत्र में यह वृक्ष लगाये जा रहे हैं वहां स्वयं पानी की बहुत कमी है और उसके लिये क्या क़दम उठाये जा रहे हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां पर ट्यूबवेल्स बन सकते हैं वहां वन विभाग भी ट्यूबवेल्स बनाता है। इसके अलावा सूखे के मौसम में गाड़ियों में पानी जाता है और एक हुनी उसे डालता जाता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्या इस क्षेत्र के लिये कोई टयूबवेल्स की भी योजना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के लिये वन लगाने के लिए जनता ने कुछ धन या कुछ पेड़ सहायतार्थ रूप से सरकार को दिये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ श्रमदान के रूप में लोग गड्ढे वगैरह बना देते हैं। मुमकिन है कि आगे चल कर जो इसमें रुचि रखते हों, दानी लोग हों, वह इस कार्य को करें। जहां तक मेरा ख्याल है जो तीर्थस्थान हैं, जैसे वृन्दावन आदि हो सकते हैं वहां वे सहायता करें। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष (श्री मदन मोहन उपाध्याय के खड़े होने पर)—श्री मदन मोहन उपाध्याय, इस शर्त के साथ में आपको इजाजत देता हूं कि आप मजाक न करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह खुद वहां कभी गये हैं और देखा है कि इतने पेड़ आज तक वहां पैदा हो गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं उस स्थान पर तो नहीं गया जिस स्थान का विवरण है। मगर अन्य स्थानों के अनुभव पर, जहां पर अभी तक वन विभाग ने पेड़ लगाये हैं वहां पर मैंने देखा कि पौदे पेड़ सुरक्षाये नहीं हैं। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां पर भी जो कार्य हुआ है और जैसी कि रिपोर्ट है वे बिल्कुल सही हैं कि कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जो नया तजुरबा उसने किया है वह कहां तक कामयाब हुआ है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो अभी प्रारम्भिक दशा में है। उसमें क्या कहा जा सकता है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि इस तजुर्बे के पहले रेगिस्तान की साल कितने मील के हिसाब से बढ़ रहा था और अब इस तजुर्बे के बाद कितने मील की साल बढ़ रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं बता चुका हूं कि पहले या अब की साल की मील बढ़ने का हिसाब ठीक नहीं मालूम परन्तु किसी ने तो आधा मील के हिसाब से बढ़ने की राय तक पत्रों में लिख डाली थी। मगर इस साल तो प्रारम्भ ही किया जा रहा है। अगले साल अगर आप प्रश्न करेंगे तो शायद आप को समुचित उत्तर मिल सके।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस कार्य के लिए अलग कोई डिवीजन बनाया गया है या किसी डिवीजन के अन्तर्गत रखा गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैंने बताया कि इसके लिये डिवीजन ही नहीं लैंड मैनेजमेंट सर्किल है। वह तमाम प्रदेश में जहां पर घने जंगल नहीं हैं और छोटे-मोटे वन हैं उसका कार्य करेगा। उसमें अलग-अलग डिवीजन हैं। मेरठ, हस्तिनापुर डिवीजन के अन्दर यह क्षेत्र आता है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में ३ कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास ३ कामरोको प्रस्ताव करीब-करीब एक ही विषय पर आये हैं। एक श्री नारायण दत्त तिवारी का, एक श्री कल्याणचन्द मोहले साहब का और एक श्री झारखंडे रायजी का है और उनका विषय इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों की हड़ताल या कुछ विद्यार्थियों ने अनशन किया उस सम्बन्ध का है।

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी एक स्वायत्त और स्वशासित संस्था है और उसके अंतरंग मामले पर वाद-विवाद के लिये मैं इजाजत नहीं दे सकता। इस पर कामरोको प्रस्ताव कोई आ भी नहीं सकता, इसलिये मैं इसको अबैध करार देता हूं।

डाक पाथर टी० बी० सैनिटोरियम, देहरादून की समिति के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मैं देना चाहता हूं। डाक पाथर टी० बी० सैनिटोरियम, देहरादून की समिति के लिए २ सदस्य निर्वाचित होने थे। दो ही नाम आये थे। किसी ने समय के भीतर नाम वापस नहीं लिया। इसलिये श्री महावीर प्रसाद शुक्ल और श्री अवधेशचन्द्र सिंह ये दो सदस्य उस समिति के सदस्य चुने गये।

विधान सभा से अनुपस्थिति के संबंध में श्री रुद्र प्रताप नारायण सिंह का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री रुद्र प्रताप नारायण सिंह के प्रार्थना-पत्र पर विचार होगा। उनका प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है—

"श्रीमान्,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी अस्वस्थ होने के कारण विधान सभा की बैठक में कम से कम १ मास तक भाग लेने से असमर्थ है। ऐसी दशा में प्रार्थना है कि प्रार्थी को एक मास की अर्थात् दिनांक ५-९-५३ तक की अनुपस्थिति क्षमा की जाने की कृपा की जाय। श्री पं० राजेश्वर दत्त शास्त्री, प्रधान चिकित्सक, आयुर्वेद विभाग, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र सम्मिलित है।"

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—जरा यह आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे साथी किस रोग से बीमार हैं? यह रोग क्या है, यह समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—इस रोग को पढ़ना भी बड़ा भारी एक रोग है, क्योंकि यह संस्कृत में बहुत बड़ा शब्द इसमें दिया हुआ है "दकोदरोदहुत दकृहाल्युदर रोग"। इसमें यकृत शब्द है शायद और उदर का रोग है।

तो मैं समझता हूं कि इसकी अनुमति सदन देगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विक्री-कर विधेयक की कापियां तो शायद अभी नहीं मिली हैं। तो इसको मैं फिलहाल स्थगित करता हूं। जब प्रेस से इसकी प्रतियां आकर बंट जायंगी तो और किसी समय में वह इसको आज पुरःस्थापित कर सकते हैं।

*उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३
खंड ८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है, विचार जारी रहेगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह अर्ज कर रहा था कि विरोधी पार्टी इस मुल्क के अन्दर अपना जबरदस्त सिक्का जमाने के लिए अपना संगठन कर रही है। वे जनता के मत को ग्रहण करने के लिये .....

श्री अध्यक्ष—यह मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यह विरोधी पार्टियों का विधेयक नहीं है। जो विधेयक है उसके ऊपर ही केवल भाषण सीमित करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट विरोधी पार्टी की ओर से आया है और मैं उनसे दरख्वास्त कर देना चाहता हूं कि अपने ओन इंटरेस्ट में उनको इस प्रकार के अमेंडमेंट इस सदन में पेश नहीं करने चाहिए क्योंकि जिस वक्त वे जनता के अन्दर जायंगे उनके खिलाफ वह अमेंडमेंट पेश किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को एक दफे इशारा कर चुका हूं कि आप दूसरों को उपदेश करके न बोलें। उपदेश के लिए यह स्थान नहीं है। आप विधेयक के ऊपर जो दूसरों ने बातें कही हैं उन्हीं पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की दलीलों और तकरीरों से हम अपने केस को साबित नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि गन्ने की उपज से जो सेस आता है उसको इस प्रकार की सील नहीं रख दी जानी चाहिये कि ३/४ उस सेस का जो रुपया है वह केवल गन्ने के डेवलपमेंट और उन लोगों के विकास में ही खर्च कर दिया जाय। मैं इस सदन के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर विजुअलाइज करके यह देखना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था इस सदन ने की तो उसका असर अदर फील्ड्स आफ इकानामिक ऐक्टिविटीज पर क्या पड़ेगा और उसका हमारे फाइनेंस के ऊपर क्या असर होगा। तो मैं यह बता देना चाहता हूं अगर हर उपज का सेस उसी विभाग में खर्च कर दिया जाय तो मेरा यह अर्ज है कि वह लोग, जो कि गरीब हैं, जिनके पास कोई रोजी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, खेती नहीं है, तिजारत नहीं है, उन लोगों के लिए किस प्रकार व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दलील से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात—हमने दुनिया के फाइनेंस के रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ा है और मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह फाइनेंस के मुक्तेनजर से एक बहुत गलत पालिसी होगी जो कि यह सरकार अख्तियार करेगी

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक १० अगस्त, १९५३ को कार्यवाही में रखा गया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इस अमेंडमेंट को पास करने के बाद। मैं समझता हूं इससे फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बहुत बड़े केआस और डिसआर्डर में हो जायगा और सरकार को यह पता नहीं चलेगा कि कितना रुपया कहां मंजूर हुआ। इसलिये जितने टैक्सेज आते हैं उनका बेसिस प्रिंसपुल यह है कि वह सीधे सरकार को ट्रेजरी में जाने चाहिए और उसके बाद लोगों का बटवारा लोगों की जरूरत के मुताबिक और जो प्रायरिटी जिसको दी जानी चाहिए उसके मुताबिक सरकार बटवारा करती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस नीति में फर्क आयेगा और सरकार अगर इस प्रकार व्यवस्था न करेगी तो मुल्क की व्यवस्था बजाय बनने के और बिगड़ती जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सजेशन रखना और इस प्रकार के अमेंडमेंट मूव करना अर्थ-शास्त्र की अर्थी निकालने के अलावा क्या चीज हो सकती है। इसमें तो दो रायें हो हो नहीं सकतीं। अगर अर्थशास्त्र के उसूलों को कुचल करके हम मनमानी करके एक नयी व्यवस्था करते हैं और दुनिया ने जो तजुर्बे से सीखा है उसको ठोकर मार करके एक तरफ फेंक देते हैं, तो एक्सपेरीमेंटेशन के लिये आपको गवर्नमेंट की सारी ट्रेजरी नहीं सौंपी जा सकती है क्योंकि उसमें विकास की जगह विनाश ही होगा। इसलिये जब हम कोई भी कानून इस सदन में पेश करते हैं तो मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे सतर्क रहें और वे हर सिचुएशन को विजुअलाइज करें कि इसका असर भविष्य में जनता पर, हमारे राज्य पर और हमारे फाइनेंस पर क्या होने जा रहा है। जब तक हम हर दृष्टिकोण से, जिन्दगी के हर पहलू से उसको ठीक तरीके से टेस्ट नहीं करते तब तक उसको मान लेना मैं समझता हूं कि उचित बात नहीं होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के भाई यह समझ गये होंगे कि यह फाइनेंस के लिये अनसाउंड पालिसी होगी और इससे जनता का अहित होगा। अगर इस प्रकार का बटवारा हुआ तो इस सदन के माननीय सदस्यों को यह पता नहीं चलेगा कि सरकार के पास कितना रुपया है, कैसे खर्च हुआ और कैसे खर्च किया जाना चाहिये, यह एक प्राब्लम हो जायगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी हैरानी हुई जब स्वयं माननीय उद्योग मंत्री जी ने इस बहस को कुछ दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की और माननीय उद्योग मंत्री जी शुगर केन सेस से तीन चौथाई विकास परिषद् को दे दिया जाय इस बात को छोड़ कर और इसके विरुद्ध क्या उनके पास दलीलें हैं उन्हें न दे करके, हमारे ऊपर यह दोष लगाने लगे कि हम एक रीजनल बेसिस पर एक लोकल पैट्रियाटिज्म को इस हाउस में प्लीड कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर से संकेत किया इस बात पर कि चूंकि देवरिया जिले में बहुत सी फैक्टरियां हैं इसलिये यह शुगर केन सेस जो है वह देवरिया के लिये मिल जायगा। मैं समझता हूं यह मेरे साथ ज्यादती है। मैं इस आधार पर अध्यक्ष महोदय, इस शुगर केन सेस को परिषद् को देने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं बहुत सोचने विचारने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसा करना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मैं देवरिया की मुसीबत का वर्णन करता हूं और अध्यक्ष महोदय वह इसलिये मैं वर्णन नहीं करता हूं कि मैं कोई बढ़ाचढ़ा कर के बात किया करूं। मजबूरी हमारी होती है। मैं अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर आपसे जरूर

इतनी इजाजत चाहूंगा कि मैं यहां बैठा रहता हूं और जो देवरिया की अखबारों में चर्चा हो जाया करती है, चिट्ठियां जो हमारे पास आ जाती हैं वे मुझे मजबूर करती हैं कि मैं देवरिया की चर्चा करूं। तो मैं आप से इजाजत चाहूंगा सिर्फ दो एक उदाहरण देने के लिये। हर किसी व्यक्ति के सामने अगर यह उदाहरण आवे तो क्या वह उससे कुछ सीखेगा या नहीं? एक कांग्रेस के भाई ने मुझे यह खत लिखा है जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा है। अन्नाभाव के कारण स्त्री जो है वह पुरुष को छोड़ कर चली जा रही है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने दूसरा विषय छेड़ दिया।

श्री गेंदासिंह—मैंने पहले ही क्षमा मांगी थी। लेकिन मुझे इस विषय पर माननीय उद्योग मंत्री ने मजबूर किया कि मैं कहूं। अब मैं नहीं कहूंगा, आपकी आज्ञा मान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तकलीफ आपको स्वीकार की, उसके बारे में आपको साबित करने की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि जो शुगर केन सेस विकास परिषदों को दिया जायगा तो उससे न केवल देवरिया का लाभ होगा, न केवल उस सम्बद्ध फैक्ट्री का लाभ होगा बल्कि समूचे प्रान्त का लाभ होगा और वह इसलिये लाभ होगा कि जब कभी गन्ने की कीमत तय होती है, चीनी की कीमत तय होती है तो किसी एक फैक्ट्री की कीमत नहीं तय होती है बल्कि सभी फैक्ट्रियों का औसत (एवरेज) निकाला जाता है और उस औसत को निकालने के बाद अगर कोई फैक्ट्री कम दिनों तक चलती है और वह कोई फैक्ट्री की रिकवरी कम होती है तो जो कोई भी फैक्ट्री ज्यादा रिकवरी ले आती है या ज्यादा दिनों तक चलती है उससे वह कम्पेनसेट होती है और उसी प्रकार से दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। फिर इसका परिणाम यह होता है कि नेशनल लास होता है, राष्ट्रीय क्षति होती है। तो इसलिये फिर बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जहां पर जिन शुगर फैक्टरियों को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना नहीं मिलता है, उनको पूरी क्रशिंग के लिये गन्ना नहीं मिलता है, उनको उस क्रशिंग के मुताबिक गन्ना दिलाने की चेष्टा की जाय। मैं कोई अपनी राय तो नहीं लेकिन जो शुगर इंडस्ट्री इंक्वायरी कमेटी अध्यक्ष महोदय बैठी थी, उसकी राय जरूर बता देना चाहता हूं माननीय उद्योग मंत्री जी को कि उसमें इस बात का बहुत जोर दिया गया है कि पश्चिमी यू० पी० में जो फैक्टरियां हैं उन फैक्टरियों को अपनी पूरी कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना मिल जाता है, जो सेंट्रल रेंज्ज हैं उसमें भी पूरी कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना मिल जाता है लेकिन जो बीच वाला है जिसे पूर्वी रेंज कहा जाता है उसको पूरी कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना नहीं मिलता है। और इसका परिणाम यह होता है कि बहराइच, गोंडा, गोरखपुर और देवरिया इन पांच जिलों में जो फैक्टरियां हैं उनको करीब ८ करोड़ मन गन्ना मिलना चाहिये, अगर ८ करोड़ मन उन्हें मिले तब तो वे पूरे १२० दिन तक चला सकते हैं। लेकिन गत सीजन के पहले जो पहिले वर्ष का औसत रहा है पिछले वर्ष के पहले, वह केवल ४ करोड़ मन तक का ही है। इसी तरह से अपनी पूरी कैपेसिटी की आधी ही फैक्टरियां चलती हैं और जब वे आधी चलती हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि वहां पर जो मजदूरों को बोनस मिलता है वह भी कम मिलता है और फैक्टरियों को यह कहने का मौका मिल जाता है कि उनको मुनाफा कम हुआ है और फिर वह प्रान्तीय सरकार से यह दावा करती हैं कि हमें सबसीडी दी जाय और उन्हें प्रान्तीय सरकार ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा इस तरह की सबसीडी दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वह सबसीडी हासिल करती हैं। बजाय इसके कि सबसी

[श्री गेंदा सिंह]

काश्तकार हासिल करे जो कि गन्ना को पैदा करता है लेकिन हासिल करते हैं फैक्ट्री वाले। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में कितनी कितनी इन फैक्टरियों को सबसीडी दी गई है। इसको जानकारी तो माननीय उद्योग मंत्री जी को होगी ही।

मैं ज्यादा वक्त सदन का नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं इतनी जानकारी नहीं कर सकता जितनी जानकारी माननीय उद्योग मंत्री जी को हो सकती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि इन फैक्टरियों को सबसिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से और केन सेस में छूट प्रान्तीय सरकार से दी गई है और उसे माननीय उद्योग मंत्री जी बतायें कि अगर यूरो कैपेसिटी के मुताबिक उन्हें गन्ना मिल जाय और १२० दिन वह अपनी फैक्ट्री को चला सकें तो फिर मेरे ख्याल में आवश्यकता नहीं रह जायगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रान्तीय सरकार उनको सबसीडी दें। जहां तक डेवलपमेंट के कार्यों को बढ़ाने का सवाल है, यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि सिंचाई का बन्दोबस्त नहीं किया जायगा। यू० पी० शुगर इंडस्ट्री इंक्वायरी कमेटी ने बड़े जोरदार शब्दों में इस बात को कहा है कि ५६० ट्यूबवैल्स पूर्वी रेंज में बनाये जायं और उनका चलाना बिजली द्वारा जरूरी हो। बिजली पैदा करने के लिये पांच हजार किलोवाट की कोई मशीनरी गोरखपुर के आस-पास तैयार की जाय। इस सम्बन्ध में क्या हुआ आज तक पता नहीं है। सन् १९५० ई० में यह कमेटी बैठी थी। माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस मामले में क्या हुआ। इस कमेटी ने यह भी कहा था कि कम्यूनिकेशन का भी इन्तजाम ठीक तरह से हो।

फैक्टरियों के क्षेत्र में जो सड़कों की दुर्दशा है उसको अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय मंत्रियों ने या किसी पदाधिकारी ने जाड़े में दौरा किया होगा तो उन्हें खबर होगी कि वहां पर बैल गाड़ियों और बैलों की क्या दुर्दशा होती है। साधारण तौर पर जिन सड़कों पर ४०-५० गाड़ियां चल सकती थीं वहां १०००-१२०० गाड़ियां चलती हैं और ४०-५० मन बोझा लेकर चलती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, उन सड़कों की हालत क्या होगी। जिन सड़कों को पी० डब्लू० डी० ने ले लिया है उनको तो उसने कुछ बनाया है, अच्छा या बुरा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है लेकिन जिन सड़कों पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है और जिन पर आज तक एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाली गई है वहां पर सड़क जमीन के नीचे चलती चली जा रही है। कहीं पर बैलगाड़ियां टूटती हैं और कहीं पर बैलों के पैर टूटते हैं।

जिस वक्त शुगर केन सेस लगाया गया था उस वक्त यह कहा गया था कि यह पैसा सड़कों के लिये और डेवलपमेंट के कार्यों के लिये खर्च किया जायगा। लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि हम कोई यहां पर क्षेत्रियता या प्रान्तीयता ला रहे हैं। हम इस तरह से कोई प्रांतीयता नहीं ला रहे हैं बल्कि जिन सड़कों पर मोटरों द्वारा गन्ना ढोने का काम होता है वहां पर सड़कों को मरम्मत होना बहुत ही जरूरी है। एक फैक्टरी २४-३० लाख मन पेरती है और यह गन्ना फैक्टरी में बैलगाड़ियों द्वारा ही आता है तो इस रास्ते का क्या हाल होगा। इसका अन्दाजा आप लोग लगा सकते हैं। चाहे सड़क को मरम्मत हो या सिंचाई का काम हो, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है।

डेवलपमेंट कौंसिलस को सरकार क्या देती है। माननीय मंत्री जी इसको बतलाने की कृपा करें कि उन्होंने पिछले साल कितनी-कितनी रकम उनको दी है। केवल देवरिया कौंसिल को ही बात नहीं बल्कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मुरादाबाद वगैरह को कितनी रकम दी है और वहां पर डेवलपमेंट का काम कितना हुआ है। यह ६६ फैक्टरियां जो सूबे भर में फैली हुई हैं इनके सम्बन्ध में कोई बात कहना क्षेत्रियता की बात

नहीं कही जा सकती है। जिस काम के लिये सेस की रकम ली गई है उसी काम के लिये व्यय होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि ३ चौथाई इस काम में लगाई जाय और एक चौथाई उद्योग मंत्री जी रख लें जिससे यदि प्रांत का कोई व्यापक कार्य हो सके तो उसको करें। लेकिन जब तक डेवलपमेंट के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जायगा तब तक हम गन्ने की चीनी की रक्षा नहीं कर सकेंगे।

एक आवाज जब उठती है कि किसी फैक्टरी को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाय, तो यह भी बड़ी खतरनाक बात है। जहां फैक्टरी लगी हुई है वहां के नजदीक १०००–१५०० आदमी मजदूरी का काम करते हैं। अगर वह फैक्टरी वहां से किसी ऐसी जगह के लिये उठा दी जाय जहां पर उसको गन्ना मिल सकता है तो सरकार को इस बात को तो भी सोचना पड़ेगा कि इन १०००–१५०० आदमियों के इम्प्लायमेंट का क्या इन्तजाम हो। इन सारी बातों को ध्यान में लाना पड़ता है तो जरूरी हो जाता है कि डेवलपमेंट के काम को ज्यादा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ढंग पर किया जाय।

मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके लिए सस्ती खाद, अच्छे किस्म का बीज और पानी और सड़कों का इन्तजाम नहीं होगा। इन सारे इन्तजामों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। पैसा जो इस वक्त डेवलपमेंट काउन्सिलों के पास है, आधे कमीशन का, वह इस काम को पूरा नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जो टैक्स कच्चे माल पर लेती है उसे उस कच्चे माल की तरक्की कराने में खर्च करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से इस देश की शूगर टैरिफ बोर्ड के २–३ सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं जो उसने शूगरकेन सेस के बारे में अपनी राय जाहिर की है।

श्री अध्यक्ष—जो नारायण दत्त जी पढ़ चुके हैं?

श्री गेंदासिंह—जी नहीं, यह दूसरा है। बहुत दूर तक उन्होंने इसे डील किया है लेकिन आखिर में बोर्ड ने यह कहा है कि "Since, however, the cess has become a part of the structure of provincial taxation we have allowed a rate of 3 annas per maund in our estimate of future price as well, but we would strongly recommend that the provincial government should either spend the major part of the proceeds of the cess on intensive cane development work so as to bring about a rapid reduction in the cost of cane or, alternatively, reduce as soon as practicable the rate of the cess. to a more reasonable figure consistently with the requirement of cane development programme."

यह हिन्दुस्तान की शुगर टैरिफ बोर्ड की राय है। उसने यह भी कड़ी आलोचना की है कि यू० पी० गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी रकम लेकर उसे इस काम पर खर्च नहीं किया। उसने यह भी कहा है कि बिहार की गवर्नमेंट ने भी इस रकम को लिया। उसने ज्यादा खर्च तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जितना उन्होंने खर्च किया, काफी किया और उसका कुछ परिणाम भी निकला। बिहार में आधी रकम करीब–करीब उन्होंने सन् १९४७–४८ में खर्च कर दी, उसका नतीजा यह हुआ कि गन्ने की उपज और रिकवरी बढ़ी। और सन् १९४६ के उधर जब हमारी रिकवरी व उपज गिरती रही, तो उस समय उनके गन्ने की उपज और रिकवरी बढ़ती रही। तो मैं समझता हूं कि शुगरकेन सेस की रकम डेवेलपमेंट कौंसिल को दी जानी चाहिए। मैं इस आधार पर माननीय मन्त्री जी से विचार करने के लिए कहूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वे जिद्द से काम न लें। इन काउंसिलों से उनका और हमारा भी, सबका लाभ होगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन पर उदारता पूर्वक विचार करें।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन पर कल भी काफी विवाद हुआ और प्रस्तावक महोदय की बात सुनने के बाद मेरी जो दिक्कतें थीं वे मैंने सदन के सामने उपस्थित की थीं। आज भी मैंने प्रस्तावक महोदय का जवाब सुना। मैंने कोशिश इस बात की की कि मेरी दिक्कतों का कोई हल उनके व्याख्यान में निकल आवे तो मेरे लिए भी आसानी हो। इसमें दो रायें नहीं, और मैं उनकी राय से सहमत हूं कि गन्ने के विकास की तरफ सरकार की और सब की तवज्जह होनी चाहिए। अच्छा बीज हो, इरिगेशन और सड़कों का अच्छा इन्तजाम हो, खाद का माकूल इन्तजाम हो और उसके साथ साथ जितनी और आवश्यक बातें हैं उन सबका माकूल इन्तजाम हो ताकि गन्ने का विकास पूर्णरूप से प्राप्त किया जा सके।

लेकिन इन सब बातों के करने के लिए अगर इस ख्याल से चलेंगे कि जिस जोन से जितना रुपया आये उसका तीन चौथाई उसी जोन में खर्च किया जाय तो मैं समझता हूं कि इस विकास के काम को कार्य रूप में परिणत करने में बड़ी दिक्कतें आयेंगी। अगर प्रस्तावक महोदय की यही मंशा है कि जिन क्षेत्रों में रिजर्व एरिया कायम है उन्हीं क्षेत्रों में विकास किया जाय तो उस सूरत में भी जिस तौर पर यह प्रस्ताव लाया गया है, हमारे रास्ते में यह अड़ंगा लगायेगा। गन्ने के विकास का आपका तात्पर्य यह है कि जिन क्षेत्रों में रिजर्व एरिया है, असाइन्ड एरिया है, जहां डेवलपमेंट कौंसिल कायम है, उन्हीं क्षेत्रों में विकास का कार्य किया जाय और उन क्षेत्रों में जहां गन्ना काफी बोया जाता है, जहां गन्ने की खेती से काफी तादाद में लाभ उठाया जाता है, लेकिन चूंकि वहां रिजर्व एरिया नहीं है, उन क्षेत्रों में विकास न किया जाय। अगर आपकी यह तरमीम मान ली जाय तो जो क्षेत्र असाइन्ड नहीं हैं, उन क्षेत्रों के विकास के लिए रुपया कहां से आयेगा। इस लिए आपका यह संशोधन हमें बहुत महदूद दायरे में ले आता है।

आजमगढ़ में शूगर मिल नहीं है, लेकिन वहां काफी गन्ना बोया जाता है, वहां कोई रिजर्व एरिया नहीं है। जौनपुर जिले के शाहगंज में एक शूगर मिल है वहां आजमगढ़ की इस तहसील फूलपुर का गन्ना जाता है लेकिन यह काफी बड़ा रकबा होते हुए भी रिजर्व एरिया से बाहर है। ऐसी हालत में जब कि वहां गन्ना काफी तादाद में बोया जाता है और वहां की जमीन भी इसके लिए मौजूं है, अगर वह रिजर्व एरिया में नहीं आता और आपकी यह तरमीम मान ली जाती है, तो चूंकि इस एरिया से कोई आमदनी नहीं होती है, कोई डेवलपमेंट कौंसिल कायम नहीं है, इस लिए उसको एक पैसा भी खर्च करने को नहीं मिलेगा। इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने हैं। एक नहीं ऐसे कई मुकाम हैं जहां पर ऐसी ही दिक्कतें हमारे सामने आयेंगी।

मान लीजिए इरिगेशन का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए दो एक कुएं खोद कर तो काम नहीं चल सकता उसके लिए कैनाल भी बनानी पड़ेगी। उस हालत में आपकी तरमीम के अनुसार कैसे काम चल सकता है। कैनाल केवल एक ही रिजर्व एरिया में होकर तो नहीं निकाली जायगी, वह तो २-३ जिलों को कवर करेगी। अगर सरकार इस रकम को जोन की कौंसिल के अख्तियार में छोड़ दे तो हर डेवलपमेंट कौंसिल कह सकती है कि हम अपने क्षेत्र में खोदेंगे। तो जिस क्षेत्र के पास पैसा कम है उसमें तथा फूलपुर तहसील जैसे क्षेत्र में नहर का डेवलपमेंट कैसे होगा।

ऐसी ही सड़कों के बारे में दिक्कतें हैं। इसलिए हमें मुश्तर्का तरीके पर सारे क्षेत्र में जहां गन्ना पैदा होता है, उन सब स्थानों में हमें विकास करना है। अगर हम आपकी तरमीम के मुताबिक एअर टाइट कम्पार्टमेंट बना लें और उसके अनुसार रकम को ईअर मार्क कर दें तो जो काम हम करना चाहते हैं, वह नहीं हो पायेगा। मैं अपने दोस्त की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि विकास के काम में काफी रुपया हमें सर्फ करना चाहिए, लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि जितनी दूर तक हम यह कर सकते हैं, उससे कम करें। एक साल में, दो साल में, तीन साल में या उसके बाद जो आसानी से ठीक होता है, जो करना हम उचित समझते हैं, वह हम करते हैं। एक साल में जितना हमारी जरूरत है, कैपेसिटी है उतना ही करना उस साल में काफी है।

और हम उतना ही रुपया सर्फ करना बुद्धिमानी समझते हैं। न कि यह कि चूंकि आमदनी ज्यादा है हम सब सर्फ कर दें चाहे उसकी जरूरत हो या न हो। काम करने वाली कैपेसिटी के बाहर हो तो भी सब रुपया लगा देते हैं तो उससे पूरा रिटर्न नहीं वापस हो सकता है। हर पैसे को उसी मौके पर खर्च करना चाहिए ताकि उसका पूरा पूरा रिटर्न मिले। और मैं कहूंगा कि और भी जरूरियात हो सकती हैं, केवल देवरिया की बात नहीं है, वह तो मैंने मिसाल के लिए कह दिया। सूबे में अक्सर ऐसी जरूरत पड़ जाती है, जिसका कि करना जनहित के लिए अनिवार्य हो जाता है। हमारे कुछ मित्रों ने यह फरमाया कि जिस वक्त यह सेस लगाया गया तो उस वक्त यह क्लियर अन्डरस्टैन्डिग थी कि जो रकम इससे आयेगी वह गन्ने के डेवलपमेंट पर सर्फ की जायगी। मैं इससे इन्कार नहीं करता, बहुत मुमकिन है कि उस वक्त ऐसी बात कही गयी हो और ऐसा इम्प्रेशन दिया गया हो और उस वक्त ऐसी कोई कन्टिन्जेंसी का ख्याल भी न रहा हो, जैसा कि इन दो तीन वर्षों में पानी का अभाव हमारे सूबे में रहा, अब जब हम देखते हैं कि हमारे सूबे में कई जिलों में वर्षा के अभाव की वजह से गल्ले की पैदावार कम हुई, फसलों का नुकसान हुआ और लोग खाने पीने के लिए परेशान हुए तो हमें काफी रकम उस तकलीफ को दूर करने के लिए सर्फ करने की जरूरत महसूस हुई। हम कुछ रुपया रखे रहें और यह कहें कि यह इयर मार्क है और यह डेवलपमेंट में खर्च होगा, लोग भूखों मरते रहेंगे लेकिन हम एक पैसा भी सर्फ नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि यह हर तरह से उसूलन गलत है और इन्सानियत के नुक्ते ख्याल से भी गलत है। हम तो यह कहना चाहते हैं कि इससे जो रकम आयेगी वह डेवलपमेंट में खर्च होगी ही लेकिन जनहित के और भी कोई काम करने की जरूरत हो तो उसमें भी सर्फ करना हर तरह से जायज और मुनासिब है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस शक्ल में यह प्रस्ताव रखा गया है, वह प्रस्ताव बजाय फायदा पहुंचाने के, इस वक्त भले ही देखने में अच्छा हो, सुहावना मालूम हो और उन दोनों के लिए जहां काफी आमदनी होती हो उनको भले ही पसन्द आये, लेकिन अपने सूबे को टुकड़े-टुकड़े में बांट करके फिर उसका डेवलपमेंट करें, यह आइडिया मुझे तो पसन्द नहीं आता और न मैं इसका हामी हो सकता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सी मिलें ऐसी हैं जिन्हें काफी गन्ना नहीं मिलता है और बहुत सी ऐसी हैं जिनको जरूरत से ज्यादा मिलता है। उसके लिए भी इसमें प्राविजन रखा गया है कि इन सब बातों को देख करके रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है और जिस जगह गन्ना ज्यादा हो उसको वहां भेजा जाय जहां कि गन्ना कम है और वहां की उपज भी बढ़ायी जाय ताकि हर मिल को उनकी कैपेसिटी भर के लिए गन्ना क्रश करने के लिए मिल सके। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। यह तो मुनासिब ही है। लेकिन यह कह करके कि इस तरमीम को मान कर तीन चौथाई हर जोन में रख दें तो बहुत से जोन ऐसे हैं जहां काफी डेवलपमेंट हो चुका है, वहां का रुपया तो बिलकुल बेकार सा कैद हो जायगा। हर पहलू से अगर देखा जाय तो यह तरमीम किसी तरह से भी काबिले मंजूर नहीं है और मुझे अफसोस है कि अब मुझे इसका अपोज करना पड़ा है।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या इस संशोधन में अगर आधी या तिहाई रकम मान लें तो माननीय उद्योग मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—मैं यह इयर मार्क नहीं करना चाहता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मन्त्री जी यह भी समझते हैं कि जो अब अक्तूबर से हैन्डलूम पर सेस लग रहा है, उसको भी वह अब सिंचाई में लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह इससे सम्बन्धित नहीं है।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) के भाग (घ) के रूप में

[श्री अध्यक्ष]

निम्नलिखित रखा जाय और वर्तमान भाग (घ) का भाग (ङ) के रूप में रख दिया जाय: —

"(घ) ईख कर की आय की तीन चौथाई रकम जो राज्य सरकार प्रतिवर्ष दिया करेगी"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२२

विपक्ष में—१५६ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*खंड ६

श्री अध्यक्ष—खंड ६ में कुछ शाब्दिक संशोधन रह गया था, तो मैं चाहता हूं कि उसको अब ले लिया जाय।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (५) और (६) को (६) और (७) कर दिया जाय और भाग (४) के बाद निम्नलिखित भाग (५) के रूप में जोड़ दिया जाय —

"५—गन्ने की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कृषकों की प्रौद्योगिक (technical) शिक्षा"

जनाबवाला, इसके मुताल्लिक कल बहस मुबाहसा हो चुका है और आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने इसको मंजूर कर लिया था, लेकिन दिक्कत यह रह गयी थी कि हिन्दी का इक्वीवैलेन्ट कोई टेक्निकल लफ्ज नहीं मिल रहा था। अब उसके मुताल्लिक लफ्ज मिल गया है। तो अब उसको आप पुटअप कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (५) और (६) को (६) और (७) कर दिया जाय और भाग (४) के बाद निम्नलिखित भाग (५) के रूप में जोड़ दिया जाय —

"५—गन्ने की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कृषकों की प्रौद्योगिक (technical) शिक्षा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड ९ तथा १०

चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर

९—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार

(क) चीनी कमिश्नर, तथा

(ख) गन्ना कमिश्नर,

की नियुक्ति कर सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों का पालन तथा प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में कोई भी बात राज्य सरकार को एक ही व्यक्ति को चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के पद पर नियुक्त करने से न रोकेगी।

---

*१२ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

१०—(१) राज्य सरकार ऐसे सरकारी अधिकारियों को जिन्हें वह उपयुक्त समझे, अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर (additional cane commissioner) नियुक्त या पदयुक्त (appoint or designate) कर सकती है, अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर (additional cane commissioner)

(२) अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर, गन्ना कमिश्नर के ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा जिसके लिए राज्य सरकार आदेश दे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड ११

११—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार किसी व्यक्ति को निरीक्षक निरीक्षक के रूप में नियुक्त अथवा सरकार के ऐसे अधिकारियों को पदयुक्त, जैसा कि वह उचित समझे ऐसी स्थानिक सीमाओं के निमित्त जो उन्हें अभ्यर्पित (assigned) की जायं, कर सकते हैं।

(२) इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों तथा प्राप्त अधिकारों का निरीक्षक पालन अथवा प्रयोग करेगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) की पंक्ति (२) में शब्द "वह" के पूर्व और कामा के चिन्ह के पश्चात् शब्द "जैसा कि" के स्थान पर शब्द "जिन्हें" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह संशोधन होने पर यह वाक्य इस प्रकार से हो जायगा :—

"अथवा सरकार के ऐसे अधिकारियों को पदच्युत, जिन्हें वह उचित समझे" तो जहां पर "जैसा कि" शब्द आया है उसके स्थान पर "जिन्हें" रख देने से यह वाक्य सही हो जाता है और इसका अर्थ भी साफ हो जाता है। इस वजह से यह शब्द रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) की पंक्ति (२) में शब्द "वह" के पूर्व और कामा के चिन्ह के पश्चात् शब्द "जैसा कि" के स्थान पर शब्द "जिन्हें" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के अन्तिम शब्दों "कर सकते हैं" के स्थान पर शब्द "कर सकती है" रख दिये जायं।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह भी स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के अन्तिम शब्दों "कर सकते हैं" के स्थान पर शब्द "कर सकती है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (२) की पंक्ति १ के प्रथम शब्द "इस" के पूर्व शब्द "निरीक्षक" इसी पंक्ति के शब्द 'कर्त्तव्यों" के पश्चात् शब्द "का पालन", तथा शब्द "प्राप्त" के स्थान पर शब्द "प्रदत्त", पंक्ति २ में शब्द "का" और शब्द "निरीक्षक" के बीच शब्द "प्रयोग" रख दिया जाय और पंक्ति २ के शब्द "निरीक्षक पालन" निकाल दिया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (२) की पंक्ति १ के प्रथम शब्द "इस" के पूर्व शब्द "निरीक्षक" इसी पंक्ति के शब्द "कर्तव्यों" के पश्चात् शब्द "का पालन", तथा शब्द "प्राप्त" के स्थान पर शब्द "प्रदत्त," पंक्ति २ में शब्द "का" और शब्द "निरीक्षक" के बीच शब्द "प्रयोग" रख दिया जाय और पंक्ति २ के शब्द "निरीक्षक पालन" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

आवश्यकताओं का अनुमान

१२—(१) गन्ना कमिश्नर, धारा १४ के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा फैक्टरी के अध्यासी (occupier) को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट रीति में तथा दिनांक तक गन्ने के उस अनुमानित परिमाण को उसे बतलावे जो फैक्टरी को पेराई के ऐसे मौसम के लिये अपेक्षित होगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय।

(२) गन्ना कमिश्नर उक्त अनुमानित परिमाण की परीक्षा करेंगे और ऐसे परिष्कार के साथ, जिसे वह करे, उन्हें प्रकाशित करेंगे।

(३) उपधारा (२) के अनुसार प्रकाशित अनुमानित परिमाण ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो नियत किया जाय, पुनरालोकित (revised) किया जा सकता है।

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति (३) में शब्द "तथा" और शब्द "दिनांक" के बीच शब्द "निर्दिष्ट" रख दिया जाय।

श्रीमान जी, इस तीसरी पंक्ति में वह शब्द इस प्रकार है;—"कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट रीति में तथा दिनांक तक"। इस से मतलब भी निर्दिष्ट दिनांक का ही है और इसी को साफ करने के लिए तथा के बाद निर्दिष्ट आने से मतलब साफ हो जाता है। इसलिए स्पष्ट करने के लिए दिनांक से पूर्व ही निर्दिष्ट रखना ठीक होगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कोई हर्ज नहीं है, इसे भी मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "तथा" और शब्द "दिनांक" के बीच शब्द "निर्दिष्ट" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) की पंक्ति (२) में शब्द "उन्हें" के स्थान पर शब्द "उसे" रख दिया जाय।

मैं समझता हूं कि "उन्हें" के स्थान पर यहां "उसे" ही उचित होगा "उसे प्रकाशित करेंगे" ऐसा हो जायगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "उन्हें" के स्थान पर शब्द "उसे" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड १२—क

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १२ के बाद नया खंड १२ (क) इस प्रकार बढ़ा देने का संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

१२—क—(१) फैक्ट्री का अध्यासी नियत किये गये प्रकार के अनुसार उन सभी गन्ना उत्पादकों व गन्ना उत्पादकों को सहकारी समिति या समितियों का रजिस्टर रखेगा जो कि उक्त फैक्ट्री को गन्ना बेचेगी।

(२) राज्य सरकार नियमों द्वारा निम्न प्रयोजनों को नियत कर सकती है —

(क) रजिस्टर में दर्ज सूत्रों (Entries) को सही करना तथा नये सूत्रों को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाना।

(ख) इस प्रकार रजिस्टर में सही किये गये अथवा बढ़ाये गये सूत्रों के संबंध में मूल्य निश्चित करना तथा उक्त मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया को नियत करना।

(ग) निर्धारित मूल्य पर रजिस्टर में दर्ज सूत्रों की प्रतिलिपि देने की व्यवस्था करना।"

श्रीमन्, यह अत्यंत ही आवश्यक संशोधन है जो कि इस विधेयक में रह गया है। यह बात सभी को मालूम है कि अभी तक पुराने फैक्ट्री कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार सभी फैक्टरियों को गन्ना उत्पादकों का रजिस्टर रखना पड़ता था। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुराने ऐक्ट की धारा १७ की उपधारा (१) और (२) की ओर दिलाना चाहता हूं।

"The occupier of a factory for the purposes of which an area has been reserved shall maintain and register in the prescribed form and, manner of all cane-growers and Cane growers' Co-operative Societies in such area, who offer under section 18 to sale cane to him.

(2) The Provincial Government may by rules provide for—

(a) the correction of entries in and the addition of new entries to such register,

(b) the payment of costs in connection with such correction or addition, and the manner in which such costs shall be realised, and

(c) the supply, on payment, of copies of entries in the register."

तो पुराने फैक्ट्री कंट्रोल ऐक्ट की सत्रहवीं धारा के अनुसार सारी फैक्टरियां इस प्रकार का रजिस्टर रखती हैं और हर गन्ना उत्पादक को अधिकार है कि वह मूल्य जो निर्धारित किया गया है अपनी इंडस्ट्रीज को ठीक करा ले या बदलवा ले या उनकी नकल ले ले जो कभी कभी गवाही मुकदमा और रेमेंट के सिलसिले में भी काम आती हैं।

इस सिलसिले में मैं शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट के नियम १४ की तरफ ध्यान दिलाता हूं जिसमें इस रजिस्टर की आवश्यकता को कितना महत्व दिया गया है।

'(3) The occupier or manager of a factory shall after such local verifications as he considers necessary prepare of a register in Form 11, Appendix III, as required under section 17 (1) of the Act to be called the growers' register and it shall be open to inspection by every cane grower.

Note : It will suffice if Form 9 is used for the purpose and the amount of cane bonded is added therein.

(4) Any grower having, or claiming to have grown sugarcane in a reserved area may apply to the occupier or manager of a factory for the correction of an entry in or the addition of a new entry to the growers' register. The occupier or manager shall keep a record of these applications.

(5) The occupier or manager of a factory shall after such enquiry as he considers necessary, pass orders of the application within a fortnight of its receipt and a free copy of such orders shall be supplied to the applicant. An appeal for the order of the occupier or manager shall lie to the sub-divisional officer within whose jurisdiction the land in question is situated and his decision shall be final.'

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यानी अगर मिल मालिक उस एंट्री की नकल नहीं देता है तो एस० डी० ओ० को अधिकार दिया गया है कि जमीन के सिलसिले में जो एंट्री है उसके संबंध में अपील सुनने का नं० ६ में पेमेंट का तरीका बतलाया गया है

"The occupier or manager of a factory shall give a copy of the entries in the Growers' Register on application made before the 15th December in any year to any person on receiving payment at the rate of an anna for each grower".

इसके बाद सब से महत्वपूर्ण जो नियम है, वह इस प्रकार है—

"The Growers Register shall be preserved by the occupier or manager of a factory for a period of two years following the crushing season to which it refers"

यानी जो सन् १९५२–५३ का, जो इस से पहले बीत चुका है, उसका रजिस्टर १९५५–५६ तक फैक्ट्री के मिल मालिक को सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि मुकदमा अगर हो और वादविवाद हो तो उसमें गवाही के लिये रखा जा सके। अगर इसको निकाल देते हैं तो वह कार्यवाहियां अवैध हो सकती हैं और सन् १९५२–५३ के जो झगड़े हैं उनमें इस प्रकार के वादविवाद उठ सकते हैं, उनकी कोई महत्ता इस नियम के अन्दर दो साल के अन्दर नहीं रह सकती है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस महत्व-पूर्ण संशोधन को अवश्य स्वीकार किया जाय ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे खुशी है कि नारायण दत्त जी की यह एक ऐसी तजवीज है जिसको मैं मान सकता हूं। उन्होंने यह बार-बार कहा कि यह जिद्द है कि उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। तो अब वह समझ गये होंगे कि अगर उनकी तरफ से कोई माकूल बात आती है तो वह जरूर स्वीकार की जाती है। मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह तो यह कहेंगे कि सभा सचिव ने माना है। प्रश्न यह है कि खंड १२ के बाद नया खंड १२–क इस प्रकार बढ़ा दिया जाय—

"१२—क (१) फैक्ट्री का अध्यासी नियत किये गये प्रकार के अनुसार उन सभी गन्ना उत्पादकों व गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति या समितियों का रजिस्टर रखेगा जो कि उक्त फैक्ट्री को गन्ना बेचेंगी ।

(२) राज्य सरकार नियमों द्वारा निम्न प्रयोजनों को नियत कर सकती है —

(क) रजिस्टर में दर्ज सूत्रों(Entries) को सही करना तथा नये सूत्रों को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाना;

(ख) इस प्रकार रजिस्टर में सही किये गये अथवा बढ़ाये गये सूत्रों के संबंध में मूल्य निश्चित करना तथा उक्त मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया को नियत करना;

(ग) निर्धारित मूल्य पर रजिस्टर में दर्ज सूत्रों की प्रतिलिपि देने की व्यवस्था करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड १२–क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

पैमाइश इत्यादि का अधिकार

१३—(१) राज्य सरकार धारा १४ के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है :—

(क) किसी फैक्टरी के निमित्त गन्ने की पूर्ति के हेतु सुरक्षित किये जाने वाले अथवा अभ्यर्पित किये जाने वाले क्षेत्र की पैमाइश और ऐसी पैमाइश के व्यय की फैक्टरी के अध्यासी से वसूली,

(ख) उक्त पैमाइश के प्रयोजनों के निमित्त किसी अधिकारी की नियुक्ति, उसके कर्त्तव्य तथा अधिकार,

(ग) प्रक्रिया जिसके अनुसार उक्त पैमाइश की जायगी, और

(घ) खंड (ख) के अनुसार नियुक्त अधिकारी क्षेत्र में भूमि के स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा दी जाने वाली सहायता और सुविधायें,

(ङ) ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक विषय जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय हों ।

(२) उपधारा (३) के खंड (१) के अनुसार फैक्ट्री के अध्यासी द्वारा देय धनराशि अध्यासी से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जायगी ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (१) के भाग (ङ) की पंक्ति १ में शब्द 'परिणामिक' के स्थान पर शब्द, "पारिणामिक" रख दिया जाय ।

इसमें मैं इतना और जोड़ना चाहता हूं कि बिल में जहां-जहां यह शब्द परिणामिक आया हो वहां 'पारिणामिक' रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह यहां तो नहीं कर सकते । अंत में, यानी जब सब खंड हो जायं तो एक साधारण रूप से आप करना चाहें तो करें। यहां पर तो नहीं आ सकता ।

आपको यह संशोधन स्वीकार है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां ।

श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में संख्या (३) के स्थान पर संख्या (१) तथा संख्या (१) के स्थान पर शब्द (क) रख दिये जायं। वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से यह संशोधन आवश्यक है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां । यह मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में संख्या (३) के स्थान पर संख्या (१) तथा संख्या (१) के स्थान पर शब्द (क) रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

खंड १४

सुरक्षित क्षेत्रों तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों का प्रख्यापन।

१४—धारा १५ की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन दी हुई आज्ञा पर बिना विपरीत प्रभाव डाले किसी विशेष पेराई के मौसम के भीतर धारा १५ के उपबंधों के अनुसार फैक्टरी को गन्ने की पूर्ति के प्रयोजन से गन्ना कमिश्नर, उस रीति से जो नियत की उत्पादकों जाय फैक्टरी तथा गन्ना की सहकारी समिति के परामर्श के बाद ;

(क) किसी भी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चलकर सुरक्षित क्षेत्र कहा गया है) सुरक्षित कर सकता है, तथा

(ख) किसी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चलकर अभ्यर्पित क्षेत्र कहा गया है) अभ्यर्पित कर सकता है,

तथा किसी भी समय इसी प्रकार ऐसी आज्ञा को निरस्त कर सकता है अथवा इस प्रकार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र की चौहद्दी में परिवर्तन कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत गन्ना कमिश्नर द्वारा पारित आज्ञा की अपील राज्य सरकार के पास होगी।

श्री राम लखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ की प्रथम पंक्ति में शब्द (क) के स्थान पर शब्द (घ) रख दिया जाय। यह शाब्दिक संशोधन है ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ की प्रथम पंक्ति में शब्द (क) के स्थान पर शब्द (घ) रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम लखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ की दूसरी पंक्ति में शब्द "प्रभाव डाले" के बाद चिन्ह—"लगा दिया जाय तथा उसके बाद के शब्द "किसी विशेष" से लेकर शब्द "परिवर्तन कर सकता है" तक को खंड (१) के रूप में परिणत कर दिया जाय। सुबोधता के दृष्टिकोण से यह करना आवश्यक है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—ठीक है, मैं मानता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ की दूसरी पंक्ति में शब्द "प्रभाव डालें" के "बाद चिन्ह—"लगा दिया जाय तथा उसके बाद के शब्द "किसी विशेष" से लेकर शब्द "परिवर्तन कर सकता है," तक को खंड १ के रूप में परिणत कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड १४ के उपखंड (ख) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"किन्तु ऐसे आदेश जिसमें निरस्त अथवा परिवर्तन किये गये हों उस पर जिले में संबंधित स्वार्थों की स्वीकृति ली जायगी ।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब यह है कि जब कभी किसी व्यक्ति के सामने यह धारा १४ दे दी जाय तो वह यह जरूरी समझेगा कि यह संशोधन इसमें कर देना चाहिये क्योंकि १४ धारा में यह लिखा गया है कि ।

"धारा १५ की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन दी हुई आज्ञा पर बिना विपरीत प्रभाव डाले किसी विशेष पेराई के मौसम के भीतर धारा १५ के उपबंधों के अनुसार फैक्टरी को गन्ने की पूर्ति के प्रयोजन से गन्ना कमिश्नर उस रीति से जो नियत की जाय फैक्टरी तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के परामर्श के बाद——

(क) किसी भी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चलकर सुरक्षित क्षेत्र कहा गया है) सुरक्षित कर सकता है, तथा

(ख) किसी क्षेत्र को (जिसे यहां पर आगे चलकर अभ्यर्पित क्षेत्र कहा गया है) अभ्यर्पित कर सकता है ।

तथा किसी भी समय इसी प्रकार ऐसी आज्ञा को निरस्त कर सकता है अथवा इस प्रकार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र की चौहद्दी में परिवर्तन कर सकता है ।"

अगर इसे स्पष्ट कर दिया जाय कि ऐसे निरस्त या परिवर्तन करने के समय भी वह ऊपर की विधि के अनुसार कार्य करेगा तो फिर इस संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती । लेकिन यह स्पष्ट नहीं है और इस लिये आवश्यकता इस बात की पड़ी कि इसको स्पष्ट करना चाहिये । यदि माननीय उद्योग मंत्री जी हमारे इस संशोधन को अनावश्यक समझें क्योंकि मैं यह समझ जरूर रहा हूं कि ऊपर की जो मुख्य धारा है उस धारा को पढ़ने के बाद.....

श्री अध्यक्ष——यह बिलकुल स्पष्ट है "उस रीति से जो नियत की जाय फैक्टरी तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के परामर्श के बाद" इसके बाद कोलन लगा हुआ है । तो यह जो नीचे का हिस्सा है उस पर भी असर पड़ जाता है ।

श्री गेंदा सिंह——ऐसी हालत में इसकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष——इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी——माननीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी आपने बताया यह परामर्श .की बात दोनों को कवर करती है । इसलिये इस अमेंडमेंट की कोई जरूरत तो है नहीं । मुझे उम्मीद है कि आप वापस ले लेंगे ।

श्री गेंदा सिंह——मैं वापस ले रहा हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नये उपखंड (१–क) और (१–ख) के रूप में जोड़ दिये जायं——

"(१–क) यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्ट्री के लिये सुरक्षित क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो, तो उक्त फैक्ट्री के अध्यासी (Occupier) को यदि गन्ना कमिश्नर ऐसा आदेश दें, उक्त क्षेत्र में उत्पन्न सभी गन्ने को जो बिक्री के लिये फैक्ट्री को प्रस्तुत किया जाय, खरीदना पड़ेगा ।"

"(१–ख) यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्ट्री के लिये अभ्यर्पित (assigned) क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो, तो उक्त फैक्टरी के अध्यासी को उक्त क्षेत्र में उत्पन्न और बिक्री के लिये फैक्टरी को प्रस्तुत गन्ने का ऐसा परिमाण (quantity) जिसे गन्ना कमिश्नर निश्चित करे, खरीदना पड़ेगा ।"

[श्री व्रज भूषण मिश्र]

यह संशोधन फैक्ट्री के अध्यासियों को गन्ना खरीदने के लिये बाध्य करेगा। अतः मुझे विश्वास है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जायगा।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसमें गन्ना उत्पादकों का फायदा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नये उपखंड (१–क) और (१–ख) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(१–क)—यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो, तो उक्त फैक्टरी के अध्यासी (Occupier) को यदि गन्ना कमिश्नर ऐसा आदेश दें, उक्त क्षेत्र में उत्पन्न सभी गन्ने को, जो बिक्री के लिये फैक्ट्री को प्रस्तुत किया जाय, खरीदना पड़ेगा।"

"(१–ख) यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्टरी के लिये अभ्यर्पित (assigned) क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो, तो उक्त फैक्टरी के अध्यासी को उक्त क्षेत्र में उत्पन्न और बिक्री के लिये फैक्टरी को प्रस्तुत गन्ने का ऐसा परिमाण (Ouantity) जिसे गन्ना कमिश्नर निश्चित करे, खरीदना पड़ेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों में गन्ने की पूर्ति तथा खरीद का विनियम।

१५—(१) राज्य सरकार पूर्ति को बनाये रखने के लिये आज्ञा द्वारा :

(क) किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने के वितरण बिक्री अथवा खरीद, तथा

(ख) सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र से भिन्न अन्य किसी क्षेत्र में गन्ने की खरीद का

विनियम कर सकती है।

(२) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसी आज्ञा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) गन्ने का परिमाण जिसे प्रत्येक गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति ऐसे क्षेत्र में फैक्टरी को देंगे जो उक्त फैक्टरी के लिये सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो,

(ख) वह रीति जिसके अनुसार सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ना उस फैक्टरी द्वारा, जिसके लिये उक्त क्षेत्र सुरक्षित हो अथवा अभ्यर्पित हो, खरीदा जायगा तथा वह परिस्थिति जिसमें गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति से भिन्न किसी अन्य के द्वारा गन्ना उत्पादक का गन्ना नहीं खरीदा जायगा,

(ग) उस फैक्टरी के अध्यासी अथवा प्रबंधक द्वारा जिसके निमित्त बिक्री के लिये प्रस्तुत गन्ना खरीदने के वास्ते कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किया गया हो, निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध के आकार, नियम तथा शर्तें,

(घ) परिस्थितियां जिनमें निम्नलिखित के लिये अनुज्ञा दी जा सकती है :—

(१) खरीदारी एजेंट अथवा उस फैक्टरी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके निमित्त क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित किया गया हो, सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने की खरीद,

उस फैक्टरी से भिन्न जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित हो अथवा अभ्यर्पित हो, किसी अन्य व्यक्ति अथवा फैक्टरी के हाथ किसी सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की बिक्री ।

(ङ) ऐसे आनुषंगिक तथा परिणामिक मामले जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक तथा वांछनीय प्रतीत हों।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "को" तथा शब्द "जो" के बीच शब्द "देंगे" के स्थान पर शब्द "देगी" रख दिया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—जी हां, यह जरूरी संशोधन है और मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द 'को" तथा शब्द "जो" के बीच शब्द "देंगे" के स्थान पर शब्द "देगी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

गन्ने के मूल्य की अदायगी।

१६—(१) फैक्टरी का अध्यासी कलेक्टर के संतोषानुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

(२) फैक्टरी को दिये गये गन्ने के संबंध में गन्ना पाने पर अध्यासी तुरन्त सभी धनराशियों की अदायगी का उत्तरदायी होगा और यदि किसी खरीदारी ऐजेंट द्वारा गन्ना दिया गया हो, तो अध्यासी के अतिरिक्त खरीदारी एजेंट भी उसी प्रकार उत्तरदायी होगा।

(३) जब उपधारा (२) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से १५ दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह रु० पाने के दिनांक से ७ १/२ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज भी देग किन्तु प्रत्येक मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश देगा कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा जिसे वह निश्चित करे।

(४) गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण–पत्र भेज सकता है जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि, ब्याज के सहित यदि कोई देय हो, निर्दिष्ट होगी और ऐसे प्रमाण –पत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा मानों कि यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं--

खंड १६ के उपखंड (१) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "ईख उत्पादकों की सहकारी समिति के संचालक मंडल" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा १६ (१) में लिखा हुआ है : "फैक्टरी का अध्यासी कलेक्टर के संतोषानुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।" तो जहां पर यह लिखा हुआ है कि कलेक्टर उपयुक्त व्यवस्था करेगा उसके स्थान पर मैं यह चाहता हूं कि वहां की जो केन ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज का संचालक मंडल है, उनके संतोषानुसार व्यवस्था करेगा। मैं समझता हूं कि यह भी मेरा संशोधन ऐसा है, कि जिस पर भी माननीय उद्योग मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं और माननीय उद्योग सचिव जी जो यहां पर हैं, उन्हें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं सोचता कि अगर बजाय कलेक्टर के संचालक मंडल ही आजाय तो कोई बात बिगड़ जायगी। और ऐसी हालत में बेचने वाला भी वही है जो वहां का बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स है। अध्यक्ष महोदय, बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स का एक्स-आफिशियो चेयरमैन कलेक्टर होता है और वह तो किसी भी हालत में जा नहीं रहा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ जायगा कि वह कलेक्टर की हैसियत से नहीं रहेगा बल्कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के चेयरमैन की हैसियत से रहेगा। इसलिये अगर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के चेयर-मैन की हैसियत में संतोषानुसार हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। वह तो रहेगा ही उसमें लेकिन अगर कलेक्टर की हैसियत से रहे तो कुछ चीज जरा दूर ही पड़ जाती है क्योंकि कलेक्टर वहां की मुसीबतों को समझ नहीं पाता है और इसका परिणाम यह होता है कि गन्ने के दाम बाक़ी पड़े रहते हैं और उसकी वसूली होने में बहुत देर होती है। उसमें सबकी बद-नामी होती है, किसी एक की बदनामी नहीं होती है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उद्योग सचिव जी हमारे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

मैं नहीं चाहता कि बगैर उनकी बात को सुने हुए मैं व्यर्थ की दलील देकर सदन का समय और उद्योग सचिव जी का समय बेकार करूं। यदि वह इसे स्वीकार कर लेंगे तो मुझे उन बातों के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह कारण है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वह हमें उसके कहने का अवसर नहीं देंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस है कि माननीय श्री गेंदा सिंह जी के इस संशोधन की मुझे मुखालिफत करनी पड़ रही है। मैं समझता हूं कि कलेक्टर के बजाय ईख उत्पादकों की सहकारी समिति के संचालक मंडल को करना मुनासिब नहीं होगा। जब हम बहुत से प्रतिबन्ध मिल मालिकों पर लगाते हैं उसी सूरत से थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिये कि आया जो इत्मीनान दिलाया जा रहा है वह ठीक है या नहीं। अभी जैसा कि आप ने यह संशोधन मंजूर किया है जिसकी रू से हम मिलों को मजबूर करेंगे गन्ने की ख़रीद के लिये उसी सूरत पर हम यह प्रतिबन्ध भी लगाते हैं कि गन्ना वह हर जगह नहीं बेच सकते हैं बल्कि उसी एरिया में उनका गन्ना जायगा। जब हम उन पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम इस बात का इत्मीनान करें कि दाम उनको पहुंच सकेंगे या नहीं। अगर कभी देर होगी तो उसकी क्या वजह होगी। इन सब बातों पर हमें इत्मी-नान होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां पर यही मुनासिब है कि कलेक्टर ही रहे। जैसा कि खुद गेंदा सिंह जी ने कहा कि इसमें कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं होता है तो उससे क्या फ़र्क़ होता है कि वह चेयरमैन की हैसियत से रहे या कलेक्टर की हैसियत से रहे। तो फिर इसमें क्या हर्ज है। जब गवर्नमेंट खुद जिम्मेदारी लेती है कि वह खुद माकूल इंतजाम करेगी तो हमें इस बात का इत्मीमान होना चाहिये और हमें देखना चाहिये कि अदायगी का माकूल इंतजाम होता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि गेंदा सिंह जी इसको प्रेस नहीं करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि माननीय सभा सचिव जी गेंदा सिंह जी के संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे और प्रान्त के गन्ने के मूल्य के संबंध में समय समय पर जो असंतोष की ज्वालायें भड़कती रही हैं उनको थोड़ा सा बुझा सकने में शायद वह कामयाब होंगे। श्रीमन्, अगर शुगर फैक्टरी कंट्रोल रूल्स की तरफ ध्यान दें तो नियम २० के उपनियम (१) में इस तरह की व्यवस्था करते हैं। इसमें लिखा है कि—

"The occupier of Manager of a factory shall provide adequate facilities to the satisfaction of the Collector for the payment of the price of cane."

वह शब्द एडीक्वेट फैसिलिटीज (adequate facilities) ज्यादा थे जो शब्द इसमें नहीं हैं। श्रीमन्, मैं आप से क्या कहूं कि लगातार जो गन्ने के काश्तकार हैं या उनकी सोसायटीज हैं, उनका वर्षों से यह अनुभव रहा है कि कितनी भी और कैसी ही अच्छी हालत में कोई मिल क्यों न हो लेकिन हमेशा गन्ने की क़ीमत के भुगतान करने में मिल मालिक अड़चने दिखाते हैं।

मैं माननीय सभासचिव का ध्यान इसके नियम २० के उपनियम (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि—

"The occupier of Manager or Purchasing agent, unless permitted otherwise by the Cane Commissioner shall make all payments at the purchasing centre within 24 hours of demand."

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ आंकड़े बतलायें कि आज तक कितने मिल मालिकों ने औसत दर्जे में २४ घंटे के अन्दर गन्ना के काश्तकारों को कलेक्टर के संतोषानुसार दाम दे दिये हैं। यह भी बतलाने की कृपा करें कि कितनी जगह कलेक्टर के संतोषानुसार २४ घंटे में गन्ने की क़ीमत का भुगतान नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि कोई भी फैक्टरी ऐसी नहीं है कि जिसने गन्ने के पेमेंट को २४ घंटे के अन्दर हर हालत में भुगतान कर दिया हो। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक जिला कलेक्टर ने गन्ने के मूल्य के भुगतान के संबंध में बिना केन कमिश्नर की आज्ञा के संतोष दिलाने के लिये या प्राप्त करने के लिये कि पेमेंट ठीक हो रहा है क्या किया है? जहां तक मुझे तरीक़ा मालूम है वह यह है कि कलेक्टर जो हैं वे कभी भी मिल पर जाते ही नहीं हैं। मैंने तो इस साल जब ३,४ फैक्टरियों का इंस्पेक्शन किया और पुराने रजिस्टर देखे तो मुझे तो यह मालूम हुआ कि कलेक्टर साहब खुद कभी चैकिंग में गये ही नहीं और मैंने अपने इंसपेक्शन नोट में भी लिखा है। वे देखते क्यों नहीं कि पेमेंट कैसे हो रहा है? कलेक्टर को तो इतना काम रहता है लेकिन उसके ऊपर गन्ने के पेमेंट का भी इतना ही जरूरी काम है। फैक्टरियां भी कलेक्टर को संतोष दिलाने के लिये क्या करती हैं। यह किसी को मालूम नहीं है। वे कलेक्टर को सूचना नहीं भेजते और अगर भेजते हैं तो बतलावें कि कलेक्टर उसमें क्या करते हैं। मुझे तो यही मालूम हुआ कि फैक्ट्री सीधे गन्ना कमिश्नर के पास पहुंचती है। हो सकता है कि किसी एकआध खास जगह उसने कभी कुछ समय के लिये १ साल या ६ महीने के लिये इस प्रकार का प्रयत्न किया हो लेकिन कलेक्टर कलेक्टर की हैसियत से बात करता हो, ऐसा नहीं देखा गया। माननीय गेंदा सिंह जी ने सुझाव दिया कि सोसाइटी के बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स के संतोषानुसार गन्ने का पेमेंट होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इतनी कमेटियां हुईं, उनमें इस माननीय सदन के सदस्यों ने उनको क्या राय दी। मैं उनका ध्यान माननीय फूलसिंह जी की लगातार राय की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने हर गन्ने की कमेटी के अन्दर अपनी गवाही में यही कहा कि गन्ना सोसाइटियों के जो बुनियादी अधिकार हैं उनकी उपेक्षा क्यों की जा रही है। आज वह योजना विभाग के उपमंत्री हैं। यहां उपस्थित भी नहीं हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज भी उनकी यही भावना है। मैंने आम वादविवाद के दिन भी कहा था कि बदक़िस्मती से गन्ने का व्यापार ही एक ऐसा व्यापार है जिसमें बेचने वाले को कोई निश्चित अधिकार नहीं हैं। यहां बेचने वाला अपनी चीज को नहीं तोलता, खरीदने वाला

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ही कांटा लगा कर तोलता है और बेचने वाला देखा करे। आप यहां विधान में भी कोई ऐसा नियम नहीं रखते कि बेचने वाले की प्रतिनिधि संस्था को कोई संतोष हो। संचालक मंडल मिल मालिकों की कठिनाई को भी देख सकता है। अगर वे आपस की बातचीत से मामले तय करेंगे तो झगड़े कम हो जावेंगे और विरोध की भावना घटेगी। एक दूसरे की शिकायतों को समझ पावेंगे। दूसरी ओर संचालक मंडल भी यह समझ पावेगा कि गन्ने के मालिक की क्या दिक्कतें हैं और उनकी छानबीन हो सकती है। उस समय कोई बात नहीं होगी कि केन सोसायटी के लोग और मिल मालिक भी लखनऊ दौड़ रहे हैं। कोई डेपूटेशन बाहर जाने की जरूरत नहीं रह जावेगी उसके बाद अपैलेट अथारिटी हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह व्यापारिक नैतिकता का तकाजा है कि गन्ना समिति के संचालक मंडल, जिसका चेयरमैन कलेक्टर होता है, उसके संतोषानुसार गन्ने के मूल्य का भुगतान होना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जो माननीय उद्योग मंत्री जी ने हमारे ऐसे सीधे साधे संशोधन को भी न माना। उनका कहना यह है कि आखिर जब कलेक्टर चेयरमैन होता है तो फिर कलेक्टर और चेयरमैन में क्या भेद है। मुझसे वह यह क्यों पूछते हैं वह अपने से ही पूछ सकते हैं कि क्या भेद है? हम कह रहे हैं कि चेयरमैन रख दिया जाय और वह कहते हैं कि कलेक्टर रखा जाय और आदमी एक ही है। तो जिस भेद को वह शंका की दृष्टि से देखते हैं उतना ही भेद मैं भी समझता हूं, वह इतना ही समझ लें कि वह कलेक्टर की हैसियत से तकलीफ को सुन नहीं सकता इसलिये मैं समझता हूं कि बोर्ड के डायरेक्टर और चेयरमैन की हैसियत से उसे तकलीफों को सुनने का मौका मिल सकता है। हमारा यह संशोधन बरसों के तजुरबे के आधार पर है। कलेक्टर का यह अधिकार पहले भी था कि वह गन्ने की क़ीमत दिलाने की कोशिश करे। इसके अलावा गन्ने की क़ीमत न देने से जब मिल मालिक के प्रासीक्यूशन की नौबत आती है तो उसके लिये भी कलेक्टर की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बिना कलेक्टर की स्वीकृति के मुक़द्दमा भी नहीं चल सकता हालांकि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट में २४ घंटे के बाद मुक़द्दमा चलाने की गुंजाइश है। पिछले जमाने में जो कुछ मेरे देखने में आया उसको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह अधिकार कलेक्टर को न रहे इससे कलेक्टर भी बदनामी से बच जायगा तथा उसको मिल मालिक की चापलूसी भी नहीं करना पड़ेगी और काश्तकारों को भी मुक़द्दमा चला कर या दरख्वास्त दे कर राहत पाने का अवसर प्राप्त हो जाय। इस सिलसिले में बार-बार एक ही बात को कहना पड़ता है, मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूं। पिछले साल ९ करोड़ २१ लाख रुपया बाक़ी रह गया क्या किसी स्थान के कलेक्टर ने इस बात की फिक्र की कि रुपया जल्द से जल्द मिल जाय या किसी मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही की? कई बार इस सदन में भी इसकी चर्चा होने पर भी कुछ नहीं हुआ। गोकुल नगर में २० लाख रुपये से अधिक रुपया बकाया था। हमारे यहां पड़रौना मिल ने जब से मिल चलना शुरू हुआ और आखिरीदम तक जब तक मिल चलता रहा, एक पैसा नहीं दिया। ८-१० दिन तक शुगर फैक्टरी को बंद रखना पड़ा। सरकार का, किसानों का और मिल को तीनों को उसमें नुक्सान हुआ। फिर ९ दिन तक बन्द रहने के बाद माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को गिरफ्तार करना पड़ा और सरकार को भी यह बदनामी मोल लेनी पड़ी कि इस सदन के एक माननीय सदस्य को गिरफ्तार कर के जेल में डालना पड़ा। उनका क़सूर केवल यह था कि उन्होंने गन्ने की क़ीमत दिलाने को कहा था। मिल के ऊपर २४ लाख रुपया के क़रीब गन्ने की क़ीमत बाक़ी थी लेकिन कलेक्टर साहब के कान पर जूं भी न रेंगी। एक तरफ तो यह हो रहा था और दूसरी तरफ काश्तकार के मवेशियों को कुर्क़ी मालगुजारी में हो रही थी और उनको उन्हीं कलेक्टर साहब के हुक्म से हर तरह से अपमानित किया जा रहा था। जो कलेक्टर साहब काश्तकारों की गिरफ्तारी और कुर्क़ी का हुक्म दे रहे थे उनकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसी काश्तकार का पैसा गन्ना फैक्टरी में बाक़ी है जिसको दिलाने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। लेकिन

आप पैसे को न दिला कर काश्तकारों को ही गिरफ्तार करते हैं। इस वक्त भी अध्यक्ष महोदय उस फैक्ट्री पर कुछ पैसा बाक़ी है और आज भी किसान मारे-मारे फिर रहे हैं। मिल मालिक जवाब क्या देता है? वह कहता कि हमारी चीनी नहीं बिकी, हम तो चीनी बिकने पर ही दाम देंगे। अध्यक्ष महोदय, गन्ना हमारा एक ऐसा सौदा है कि उस सौदे को तो हमें बेचना ही पड़ेगा, किसी तरह से खेत से निकालना ही पड़ेगा। उससे नेशनल लास भी है। अगर खेत से गन्ना जल्दी से जल्दी निकलता है, तो आगे के लिये अनाज पैदा करने के लिये खेत खाली हो सकता है, मुल्क की जरूरत के लिये चीनी पैदा हो सकती है। हम तो इस तरह से मजबूर किये जाते हैं कि हम रिजर्व एरिया में रख दिये जाते हैं, हम अपना गन्ना दूसरों के हाथ नहीं बेच सकते और अगर बेचें तो हमारे ऊपर मुक़दमा चल सकता है। ये सारे बन्धन तो हमारे ऊपर डाल दिये गये हैं। गन्ना बोने वालों पर इस बन्धन को डालने में तो आप कोई संकोच नहीं करते हैं लेकिन जब हम यह कहते हैं कि हम सौदा बेचते हैं, सप्लाई डिमांड और फेयर पालिसी की मांग है कि एक तरफ सौदा दें दूसरी तरफ हम क़ीमत पायें तो उसमें फिर कलेक्टर साहब बीच में आ जाते हैं। हमारे यहां जो मवेशी वगैरह बेचे जाते हैं उनमें एक महाशय बीच में दाम कम कराने के लिये आ जाते हैं, उनका नाम दलाल कहा जाता है। दलाल लोग कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखे जाते हैं। आप कलेक्टरों को और कोई दर्जा देना चाहें तो दें जिससे उनकी इज्जत अफ़जाई हो, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन अगर दलाली का दर्जा देते हैं तो इस दलाली के दर्जे में सिवा बदनामी के और कोई चीज हासिल नहीं हो सकती है। हां, एक बात हो सकती है कि माननीय उद्योग मंत्री जी लखनऊ में बैठ कर सोचा करें कि हमारा कलेक्टर बड़ा बहादुर है, वह जीप पर बैठ कर जायगा और फौरन् गन्ने की क़ीमत अदा कर देगा। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत कम कलेक्टर ऐसे देखे गये हैं जिनके ऊपर इन मिल मालिकों की छाप न हो। इन मिल मालिकों के पास सारे साधन हैं कलेक्टर को प्रसन्न करने के लिये, और वे प्रसन्न रहते हैं। उसी का परिणाम यह है कि आज हमारे जिले में तो ऐसी फैक्टरी है जो आज भी कैन सेस का भी बकाया रखे हुऐ है। और समूचे सूबे भर में जब गन्ने की कीमत करोड़ों रुपये बाकी पड़ी है। यह मैं क़रीब एक महीना पहले का हिसाब बतला रहा हूं। वहां केवल देवरिया में ही ६० लाख के क़रीब रुपया बाक़ी है। और यह बक़ाया इसलिये है कि वह मिल मालिक कलेक्टर साहब के गुड बुक्स में है, माननीय श्रम मंत्री जो गुड बुक्स में हैं। मुझे मालूम नहीं माननीय उद्योग मंत्री जी इसको जानते भी हैं या नहीं। इसलिये कि यह उनके गुड बुक्स में हैं २०,२० लाख २४,२४ लाख और ४०-४० लाख रुपये तक बकाया पड़े हुए हैं फिर भी उनके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है।

श्री अध्यक्ष---आप मंत्रियों के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। आप ने नतीजा भी निकाल लिया कि श्रम मंत्री जी की वजह से वे रुपया रखे हुए हैं। आप इसे वापस लें।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा मान कर इसे वापस ले लेता हूं लेकिन यह मेरे दिल की आह है। मैं समझता हूं कि अगर मुझे उसके लिये कोई दंड भी मिलता है तो उस दंड को भी मैं शिरोधार्य करता और मैं इस बात को समझता हूं कि अगर आप मुझे यह कहने से रोकेंगे तो मैं इसे बहुत तकलीफ़ के साथ कबूल करूंगा। यों तो आप की आज्ञा है .....

श्री अध्यक्ष--- मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीज अगर यहां पर होने लगे तो हमरी तुमरी में बातें शुरू हो जायंगी और आगे चल कर गाली गलौज भी शुरू हो जायगी। नोयत पर हमला शुरू हो जाय तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सदन की प्रतिष्ठा क़ायम रखना भी तो मेरा कर्तव्य है। इशारे से भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन आप ने तो सीधा नतीजा निकाल लिया कि इनकी वजह से वे रुपया रखे हुए हैं। यह बात सही है न?

श्री गेंदा सिंह—मैंने आप की आज्ञा मान ली । मेरी जो अपनी फीलिंग है उसे मैंने आप के सामने कह दिया । मैं कोई नीयत पर हमला करना नहीं चाहता हूं । लेकिन जो कुछ सरकार करती है उसका यह नतीजा होता है और उस नतीजे से हमको भुगतना पड़ता है । तो तकलीफ़ पाने के बाद जो आवाज़ निकलती है अगर उसमें कहीं ऐसी बात निकल जाय तो मैं उसके लिये आप से क्षमा चाहूंगा लेकिन फिर भी मैं एहतियात करूंगा कि किसी की नीयत पर हमला न करूं । लेकिन एक वाकया है और उसमें एक नहीं सौ मरतबे यह कहा गया कि कुछ फैक्टरियां ऐसी हैं जिन फैक्टरियों से गन्ने की क़ीमत मिलने की आशा नहीं है और उन फैक्टरियों के हाथ में, उनके जो मालिक हैं उनके हाथ में उनको फैक्टरियां न दे कर सरकार जिसको मुनासिब समझे कोआपरेटिव फेडरेशन को या और किसी को दे दे । लेकिन कुछ माननीय मंत्रियों ने इस बात का वादा भी किया कि वे जरूर ऐसा करेंगे लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात की परवा न कर के कि आगे क्या होगा ऐसा काम किया जिसकी वजह से नुकसान हुआ । एक कठकुइयां मिल है जिसकी चर्चा यहां बहुत होती है । अध्यक्ष महोदय, इस वक्त इसकी हालत यह है कि १५ लाख रुपया किसानों का बाक़ी है, ४ लाख के क़रीब केन सेस बाक़ी है । सरकार मिल मालिकों के ऊपर बाक़ी अपना रुपया माफ कर दे तो हम उसके लिये जिम्मेदारी नहीं लेते लेकिन वह भी तो सार्वजनिक पैसा है और उसको यों माफ करने का हक़ सरकार को नहीं है, इसके अतिरिक्त ५ महीने से मजदूरों की मजदूरी उस मिल पर बाक़ी है और यह सब उसी कलेक्टर के अधीन हुआ है जिसको अधिकार देने की वह बात कहते हैं । उस कलेक्टर के अधीन अथराइज्ड कंट्रोलर बना हुआ है । उसका प्रासीक्यूशन तो नहीं होता । उसके ऊपर जब मुक़दमा चलता है तो सम्मन उस पर तामील नहीं होता । अदालत में जाती तौर पर उसकी हाजिरी नहीं होती । लेकिन उसी वक्त जब उसी इलाक़े के किसानों में जाते हैं तो यह मालूम होता है कि कितने किसानों पर उस इलाके में मालगुजारी के लिये वारंट जारी है । मैंने पूछा कि क्या गन्ने की क़ीमत आप लोगों को मिल गई तो उन्होंने कहा कि कुर्की हमारे घर पर पड़ी हुई है और क़ीमत गन्ने की नहीं मिली । तो फिर उसी कलेक्टर को माननीय उद्योग मंत्री जी कहते हैं कि अधिकार दे दो । मैं केवल कठकुइयां की बात नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि समूचे प्रान्त में कलेक्टर को इस बात का अधिकार दे देना न तो सरकार के लिये अच्छा है, न ईख उत्पादकों के लिये और न केन यूनियनों के लिये ही । केन यूनियन की हालत यह है कि इस वक्त सारे सूबे भर में उसकी १२ लाख सदस्य संख्या है । कोई संस्था, चाहे राजनीतिक संस्था हो और चाहे सार्वजनिक संस्था, इतनी बड़ी संस्था में सदस्य संख्या नहीं रखती । इसकी तादाद को देखने से मालूम होता है कि उसकी कितनी बड़ी अहमियत है । डेढ़ करोड़ रुपये से ऊपर उसको कमीशन मिलना, करोड़ों रुपये का व्यवसाय, लोगों को खाद और गन्ने का बीज पहुंचाना यह सब काम उसका है और इस प्रतिनिधि संस्था का जो प्रान्तीय संगठन है उसका तो चेयरमैन केन कमिश्नर हो और जो लोकल बोर्ड्स हैं उनका चेयरमैन कलेक्टर हो ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिलाधीशों को गन्ने के दाम दिलवाने का या न दिलवाने का अधिकार देकर सरकार गलती कर रही है । मैंने इस सिलसिले में कुछ बातें कही थीं और अब फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार जिले के कलेक्टरों को यह अधिकार देकर बड़ी भारी गलती कर रही है । पिछले जमाने में कलेक्टरों ने जो गलती की है, कलेक्टरों ने जो तरफदारी की है उसकी जिम्मेदार उसके कराने वाली सरकार कही जा सकती है । अगर सरकार ने अपना हाथ साफ रखा होता तो वह यह नहीं कहलाने वाली होती कि उसने मालिकान मिल के साथ तरफदारी की और किसानों के खर्चे पर मिलमालिकों की तरफदारी की । तो उसको चाहिये कि यह बहुत सीधा मामला है कि किसान अपना गन्ना मिल मालिक के ही हाथ बेचता है तो उसको यह अख्तियार होना चाहिये कि वह उसकी कीमत भी जिसको वह बेचता है उससे ले सके ।

यह भी हो कि जहां जहां यूनियन आर्गनाइज हुई हैं या केन ग्रोवर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं वहां पर गन्ना सीधे किसान मिलों को नहीं देता है बल्कि उन सोसाइटीज के जरिये वह देता है । तो उन सोसाइटीज का चेयरमैन कलेक्टर हुआ करता है । तब मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको चेयरमैन की हैसियत से अधिकार हो और उसको इतने में ही संतोष करना चाहिये लेकिन सरकार को तो संतोष तब होता है जब पूरी तरह से बेलगाम कलेक्टर रहे और उसको इस कार्यवाही को कोई पूछने वाला न रहे। तभी सरकार को संतोष होगा। मैं यह समझता हूं कि कोई छिपी हुई बात है जिस छिपी बात को सरकार यहां पर नहीं बतलाना चाहती है। इसलिये शुगर फैक्टरीज के मालिकों को दबाकर उस फायदे को उठाना चाहती है जिसको यहां कहने में उसको संकोच हो रहा है और वह सदन के सामने नहीं कही जा सकती है। मैं प्रसन्नता के साथ इस बात को स्वीकार कर लेता और सरकार के संतोष की बात भी मान लेता अगर वह गन्ने का दाम दिलवाने का इन्तजाम कर देती । माननीय उद्योग मंत्री जी अपने उद्देश्य को बतलाने की कृपा करें कि जब कलेक्टर उस सोसाइटी का चेयरमैन होता है तब तो उसको अधिकार आप देना नहीं चाहते हैं लेकिन वैसे कलेक्टर को बेलगाम रहने देना चाहते हैं और कोई अधिकार देने में कोई हिचक नहीं होती है। अगर पिछले जमाने में कलेक्टर सजग रहे होते और उन्होंने गन्ने का दाम दिलवाने की कोशिश की होती तो हमारी यह मुसीबत नहीं बढ़ी होती। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वक्त में बताया था कि क्या क्या मुसीबत हमारे सामने आईं। उन्हीं कलेक्टरों को एक तरफ तो यह अख्तियार है कि वह मालगुजारी की वसूलयाबी के लिये वारण्ट गिरफ्तारी जारी कर सकता है और अगर वही काश्तकार कहते हैं कि हमारे गन्ने का दाम दिलवाओ तो कलेक्टर कहता है कि मैं मजबूर हूं चीनी बिकेगी तो दिया जायगा। फिर वह चीनी जब्त करता है और उस चीनी के बिकने में महीनों लगते हैं।

मैं जिन फैक्टरियों का जिक्र कर रहा था वह फैक्टरियां पडरौना और कठकुइयां में हैं उन दोनों का एक ही मालिक है और जगन्नाथ मल्ल जी की गिरफ्तारी के बाद उसकी चीनी जब्त की गई । जनवरी में चीनी जब्त हुई और सरकार द्वारा जो जवाब दिया हुआ है उसमें मैंने अभी देखा, यह जवाब हमें अभी इसी सेशन में दिया गया है। यहां पर लिखा है कि पडरौना के जिम्मे गन्ने के दाम करीब ४० लाख के और कमीशन के दाम ८६ हजार बाकी हैं। इसके अलावा शुगर केन सेस के भी दाम बाकी हैं। इसी तरह से कठकुइयां मिल पर १४ लाख ९० हजार बाकी रहा और ६२ हजार कमीशन के बाकी रहे। इसी तरह से सरकार के कुछ और भी कृपा पात्र लोग हैं जिनसे सरकार की रिश्तेदारी है। केदार नाथ खेतान की भी यही हालत है उनकी तीन फैक्टरियां वहां पर हैं और उनमें भी लाखों रुपया बकाया है। मैं तो मान जाता लेकिन सरकार के जो रिश्ते अदृश्य चलते हैं, दिखलायी नहीं देते उनके मुताबिक हमारी हजामत बनती है और उससे किसान मारे जाते हैं और परेशान होते हैं। इस तरह से सरकार की गहरी रिश्तेदारी मिलमालिकों से चलती है। इसीलिये मैं कहता हूं कि सौदा हम बेचते हैं हमें सौदे के दाम लेने का अधिकार दीजिये लेकिन सरकार हमें बांध रही है कि एक ही मिल के हाथ आप को गन्ना बेचना होगा और वह मिल मालिकों की तरफ से डंडे बन्दूक तैयार रखती है तो कम से कम हमारे दाम दिलाने के लिये भी पहरा दे। जब हम कहते हैं कि बकाया दिलाई जाय तो कहा जाता है कि ला ऐन्ड आर्डर को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। कठकुइयां में हम ने जो मैनेजर हैं उनसे कहा कि आप मेहरबानी करके गाड़ी पर बैठें और उनको इज्जत के साथ टिकट कटा दिया कि लखनऊ जा कर रुपया ले आवें। इस से ज्यादा खातिर उन की नहीं कर सकते थे । लेकन ताज्जुब है कि वह लखनऊ में मौजूद हैं और हजरतगंज में घूमते हैं और उन पर समन तामील नहीं होता और वह मंत्रियों के यहां मोटर पर घूमते हैं लेकिन वारन्ट गिरफ्तारी भी उन पर है मगर उन का पता नहीं लगता और न तामील ही होती है, मैंने पहले

[श्री गेंदा सिंह]

भी कहा था कि अगर मुझको समन तामील कराने में शामिल कर लिया जाय तो मैं तामील करा सकता हूं। यह हालत है तो मैं कैसे इत्मीनान कर लूं कि कलेक्टर साहब हम को रुपया दिला देंगे। जब वह रोज घूमते हैं और उनको पकड़ा नहीं जाता अगर माननीय मंत्री जी मुझे वारन्ट दिला दें और शिनाख्त के लिये भी हमें चपरासी के साथ भेज दें तो मैं उन को पकड़वा दूंगा लेकिन अगर माननीय उद्योग मंत्री जी उनको पकड़वाना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें। नीयत पर शक हो या न हो, लेकिन मैं उद्योग मंत्री जी के इस काम का मैं यही मतलब लगाता हूं। तो ऐसी हालत में मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं, न यह सदन तैयार है कि इन कलेक्टरों को इस तरह के अख्तियारात दिये जायं। हम जानते हैं कि हमारा यह संशोधन माननीय उद्योग मंत्री जी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह तय कर लिया है कि अगर हम दिन कहें तो वह रात कहेंगे चाहे वह दिन ही हो। मुझे तो अब विश्वास नहीं है कि यह सरकार कोई संशोधन मानेगी। लेकिन इतनी बात मैं कह देता हूं कि इस सरकार को भुगतना पड़ेगा और ऐसा भुगतना पड़ेगा कि सरकार को याद आयेगा। किसानों के साथ हमेशा खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। किसान भी चेतेगा और अगर गन्ने का किसान इस प्रांत में चेतेगा तो इस सरकार को चेतना पड़ेगा। और गन्ने का किसान सोया नहीं रहेगा। गन्ने के किसान की कमर पर यह सरकार इस तरह से सवारी नहीं कर सकेगी। इस सरकार को मैं चेतावनी देता हूं। सरकार जैसा कानून चाहती है बना रही है। अगला सीजन आ रहा है। उसमें हम देखेंगे कि सरकार क्या कर पाती है। अगले सीजन की बात छोड़िये। मैं तो कहता हूं कि अगले दो चार हफ्ते के भीतर जरा सरकार कीमत तो दिलवा दे। जो सरकार की बगल में बैठते हैं, और रात को बंगले में जाते हैं उनसे कीमत दिलवा दे। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि हफ्ते, दो हफ्ते, चार हफ्ते में जिन को आथोराइज्ड कंट्रोलर बनाया था उनसे कीमत काश्तकारों को दिलवा दें। कुंवर रुद्रप्रताप नारायण सिंह बड़ा भारी नाम है उनका जो आथोराइज्ड कंट्रोलर हैं। गोकुलनगर, पडरौना, छितौनी, इन सारी फैक्टरियों में कीमत दिलवा दें तो मैं कहूं कि सरकार इतनी बहादुर है और कलेक्टर की कमर में इतनी ताकत है। मैं कलेक्टर की ताकत समझता हूं। अगर कलेक्टर के घर शादी हो तो मिल मालिक की बीस हजार की मोटर एक हफ्ते उसके यहां दौड़ती है। फिर तो महीने तक गन्ने का दाम बकाया रहे। कौन पूछता है। यही मैंने देखा है। हमारा अमली तजुरबा है। माननीय उद्योग मंत्री जी लखनऊ में बैठ कर कहेंगे कि तुम गलत कहते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं स्वयं पिछले साल जरवल रोड गया था जब उन का चुनाव हो रहा था। वह तो उन्हीं के जिले में है। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उन्होंने भी बतलाया कि लाखों रुपरा बाकी पड़ा है। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं, तो जानता हूं कि सरकार कभी इन मिल मालिकों की राय से बाहर नहीं हो सकती। वह हमें डांट सकती है हमें कह सकती है कि तुम हमारी नीयत पर हमला कर रहे हो, हमारी तो जान निकली जा रही है, हमारी जान बचाइये किसानों की जान बचाइये। मेहरबानी करके कलेक्टरों के ऊपर इस अधिकार को मत डालिये। मैं फिर आप से कहता हूं और इस सरकार से अपील करता हूं कि दलाली का काम मत करिये। दलाली के काम से लेन देन में कुछ गड़बड़ होती है। हमेंशा दलाल बदनाम होता है। तो इस दलाली के काम में बदनामी होगी। मैं समझता हूं कि दलाली के काम में न माननीय उद्योग मंत्री सफल हो सकेंगे और न उद्योग सचिव सफल हो पायेंगे केन कोआपरेटिव यूनियन गन्ने की मालिक हैं, वे खुद बेचेंगी। दलाल की जरूरत ही नहीं है। और न मैं दलाल बनना चाहता हूं। तो बजाय दलाली के सीधा संबंध हो और सीधा सीधा संबंध अगर रहेगा तो मामला ठीक हो जायगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिस पर बड़ा गुमान है माननीय मंत्री जी को कि उनका डिपार्टमेंट बड़ा दूध का धोया हुआ है। मैं उसकी चर्चा कर दूं, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। बिजनौर में एक माननीय उद्योग मंत्री जी के बड़े खैरख्वाह नौकर थे और वहां के कुछ गांव

वालों ने कहा कि हमारे गांव को अपने सेंटर में मिला लो। जब उन्होंने मिलाने के लिये कहा तो उन्होंने ३ हजार रुपये की मांग की।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—प्वाइंट आफ आर्डर। क्या यह रेलेवेंट है जो वह कह रहे हैं। इसका मतलब तो सिर्फ यह है कि कलेक्टर को सैटिस्फैक्शन हो जाय। गन्ने की कीमत क्या मुकर्रर हो, क्षेत्र बदला जाय या न बदला जाय इससे इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर ही अपना भाषण सीमित रखने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग सचिव की घबराहट को देख कर ज्यादा नहीं कहूंगा। माननीय उद्योग सचिव इतने ही से सब समझ गये होंगे, अब सदन न समझे यह बात दूसरी है। लेकिन हमको ऐसा मालूम होता है कि उद्योग सचिव को जानकारी इस संबंध में है। अब मैं उस बात को न कहकर और बात कहूंगा। मैं तो उद्योग सचिव की बात को ही मान जाता, आपकी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वह कुछ इलाज तो करें। मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसे ऐसे हाकिम जो उनके मुहकमे में पड़े हुए हैं उनके चंगुल में हमको न छोड़िये। हम गन्ने के दाम लेना चाहते हैं। गन्ना देते हैं और दाम लेना चाहते हैं। हम उसमें कलेक्टर को इतना मान लेंगे कि जब हम उनको बुलावें कि आओ हमारी मदद के लिये तो वह आ जायं। जब हम नहीं चाहते हैं तो वह जरूर बीच में आ जाते हैं और जब वह आ जाते हैं तो मुकद्दमा खराब होता है। इसलिये आप इस संशोधन को स्वीकार कीजिये। हमारा काम है कि हम आपको इस बात पर जोर दें, निवेदन करें कि सही काम कीजिये। सही काम आप नहीं करेंगे तो हमको भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा, सभी भुगतेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गेंदा सिंह जी की तकरीर बहुत गौर से सुनी, गोकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनका ताल्लुक इस मसले से नहीं था जो हाउस के सामने था, लेकिन बहर सूरत उन्होंने कहा और जब मैंने टोका तो उस पर मुझे तो नहीं, उनको बहुत घबराहट हुई और जबकि वह आधा घंटे और बोले होते, तभी बैठ गये। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है उसमें बहुत छोटी सी बात है। वह यह है कि कलेक्टर इत्मीनान कर ले कि कीमत की अदायगी हो सकेगी। संशोधन में वह यह तजवीज करना चाहते हैं कि जो संचालक मंडल है उसको इत्मीनान दिलाया जाय। इस सिलसिले में बहुत सी बातें कही गयीं और मुझे यह पता चला नारायण दत्त जी ने और माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि इसमें कलेक्टर का क्या ताल्लुक है? वह बेचने वाला, वह खरीदने वाला, क्यों उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है? क्या उनका मतलब यह था कि कंट्रोल जो है, मिनिमम प्राइस जो होती है, जोनिंग जो होता है वह सब हटा लिया जाय। मैं तो नहीं समझता कि वह सब हटा लिया जाय। मैं तो नहीं समझता कि वह यह चाहते हैं इसलिये कि विरोधी दल के लोग यह भी कह चुके हैं कि सन् १९३८ में यह था कि उसके तो दाम मुकर्रर थे गन्ने के और चीनी के नहीं थे और फिर बाद में यह हुआ कि उसके भी मुकर्रर किये गये। गरज यह कि अब तक तो कंट्रोल को मुआफिक़ करते रहे हैं, लेकिन आज की बात से मुझे यह पता चला कि वह बिलकुल फ्री मार्केट छोड़ देना चाहते हैं कि जो गन्ने के उत्पादक हैं और मिल वाले हैं वह आपस में मामला तय कर लें। इसमें अगर वह यह समझते हैं कि गन्ना उत्पादकों का हित है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। अब भी सिर्फ मिनिमम प्राइस मुकर्रर की जाती है। कम से कम मुकर्रर की जाती है, उनको इसका अख्तियार है कि वह इससे ज्यादा दाम पर अपने गन्ने की कीमत को मुकर्रर करा

लें। लेकिन ऐसा मेरे इल्म में तो नहीं है कि वह ऐसा करा पाते हैं, वह नहीं करा पाते। उनकी अपनी बारगेनिंग पावर जो है हमारे गन्ना उत्पादकों की वह ऐसी नहीं है कि वह इसको कर सकें। इसलिये गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। अब इसको वह दलाली कहें या चाहे जो भी कहें। लेकिन गवर्नमेंट इसको अपना कर्त्तव्य समझती है कि वह ऐसे मामलों में जहां वह यह देखे कि यहां के बहुत से नागरिकों का नुकसान होता है वहां वह कदम रखे और उसको रोके। इसको दलाली नहीं कही जा सकती और अगर यह दलाली है तो एक बहुत ऊंचे किस्म की चीज है। वह कहते हैं कि ईख उत्पादकों की सहकारी समिति के संचालन मंडल को इत्मीनान हो जाय। मान लीजिये कि उसको इत्मीनान न हो तो बजाय इसके अगर हम उसमें एक कलेक्टर को रख देते हैं जिसके पास कि तमाम संचालन मंडल की राय भी मौजूद होती है, इसलिये कि वह उसका चेयरमैन है, तमाम बातें उसके सामने होती हैं, अगर वह उन तमाम बातों को सामने रख करके इत्मीनान कर लेता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या घबड़ाहट हो जाती है। उसमें देर हो सकती है उन लोगों की बातचीत में। जल्दी करने के लिये ऐसा किया जाता है और यह तो एक अजीब सी बात है कि पहले से मान लिया जाय कि जितने अधिकारी हमारे हैं वह सब बेईमान हैं, वह सब खराब हैं, वह हमेशा गलत ही काम करते हैं। अगर ऐसा हो तो एक दिन भी काम चल नहीं सकता है। बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी कहीं जो उनको नहीं कहनी चाहिये थीं। मैं समझता हूं वह मुनासिब नहीं थी और उनकी शान के लायक भी नहीं थी। वह यह कि इसमें कुछ छिपी हुई बात है, उनसे कुछ लेन देन की बात होती है। मैं समझता हूं कि ये ऐसी बातें नहीं थीं कि गेंदा सिंह जी उसे अपनी जबान से निकालते। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं इसका क्या जवाब दूं सिवाय इसके कि जो हमारे मंत्री जी आज से पहले दुहरा चुके हैं कि गवर्नमेंट के काम जो होते हैं वह सब खुले होते हैं, जो कुछ होता है वह सामने आता है और आप लोगों की सलाह से सरकार काम करती है। कोई छिपी हुई नीयत या और किसी किस्म की बात नहीं है। आप कहते हैं कि आपको मिल मालिकों का बड़ा ख्याल है। अभी अभी आपने पास किया है और सरकार ने मंजूर किया है कि अगर किसी वजह से वह गन्ना न भी पेरे तो भी जो बांडेड केन है उसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। कौन सी इसमें उनकी तरफदारी की बात है। जैसा कि आप देखेंगे कि हम सजायें और सख्त करने जा रहे हैं। हम उसको बढ़ा रहे हैं तो हम रियायत क्या उनके साथ कर रहे हैं। हमने जुर्माने की सजा रखी है, कैद की सजा रखी है, यह रखा है कि अगर बराबर करते रहें तो १ हजार रु० और जुर्माना हो। सबसे बड़ी मार जो हो सकती है वह हमने उनकी जेब पर लगाने की कोशिश की है। ब्याज की रकम रखी है कि साढ़े सात फीसदी ब्याज लगाया जाय जो कि बैंक रेट से कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद यह ख्याल करना, नीयत के ऊपर हमेशा शक करना मैं समझता हूं कि जो ऐसा करते हैं उनकी कुछ अपनी खराबी है, वह हमेशा टेढ़े ही देखते हैं, हमेशा वह सोच में रहते हैं बुरे कामों के और उसकी वजह से वह कभी भी समझ ही नहीं सकते कि किसी आदमी की नीयत साफ है। गरज यह कि जैसा मैंने बताया उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि गन्ने का दाम बहुत देर में मिला मैं मानता हूं कि देर में मिला। मगर उसके और वजूहात थे और और सबब थे। इस वक्त इस पर बहस नहीं थी कि गन्ने की कीमत के सिलसिले में, उसके वजूहात के सिलसिले में, क्यों देर हुई, इसके बारे में कहा जाता। मगर मैं मुख्तसरन बतला सकता हूं और कई दफा बतलाया भी जा चुका है कि पिछले से पहले वाला सीजन जो था १९५०–५१ वाला उसमें गन्ना बहुत ज्यादा पैदा हो गया। गन्ना इतना ज्यादा पैदा हो गया कि इसका अन्देशा था कि लाखों किसान बर्बाद हो जायेंगे इस वजह से कि उनको अपना गन्ना जलाना पड़ेगा। फैक्टरियों को जितना वह पेरना चाहती थीं उससे ज्यादा हम पेरवाना चाहते थे, पेरवा नहीं सकते थे वगैर उनको सुविधायें दिये हुए। उसके बाद यह भी हुआ कि चीनी की बिक्री नहीं हुई और उनको जो बैंक की लिमिट थी उससे ज्यादा वह खर्च कर चुके थे। तो इन सब वजहों

से देर हुई । खास वजूहात पर और खास हालात में हो सकता है कि कुछ देर हो जाय लेकिन यह मंशा सरकार का हर्गिज नहीं है कि गन्ना उत्पादकों का दाम जल्दी से जल्दी न वसूल हो। इसके लिये तमाम तरीके अख्तियार किये जाते हैं और आइन्दा भी किये जायेंगे। मैं गेंदा सिंह जी को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई बात नहीं है। सिर्फ काम की आसानी के लिये यह बात रखी गयी है। इसके अलावा कलेक्टर के सामने संचालक मंडल की तमाम बातें होंगी। अगर उनसे एक बार पूछा जाय और उनको इत्मीनान न हो तो इसमें देर हो सकती है। फिर उनको आना ही पड़ेगा। यह तो वह करेंगे नहीं कि गन्ना बेचें नहीं और उसको फूंक दें। उनको आना ही पड़ेगा। मिल वालों को भी हमें मजबूर करना पड़ता है कि वह गन्ने को लें। जब हम दोनों को मजबूर करते हैं तो हमें ऐसे एक आदमी को रखना चाहिये जो तस्फिया कर सके। कलेक्टर लोकल आदमी होगा और वह सब बातों से वाकिफ होगा। उससे ज्यादा और कोई मुनासिब आदमी समझ में नहीं आता है। ऐसी हालत में मुझे उम्मीद है कि गेंदा सिंह जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे क्योंकि उनका जो मकसद है उसमें हम दोनों एक हैं। चाहे वह बदगुमानी करें लेकिन हमारा और उनका मकसद एक है कि गन्ना उत्पादकों को फायदा पहुंचाना है। इसी के साथ हमको यह देखना है कि यह जो हमारी शुगर की इंडस्ट्री है यह भी रहे, ऐसा न हो कि यह बन्द हो जाय। इन दोनों बातों को देखते हुए मुनासिब कार्यवाही करने की हमेशा सरकार की ख्वाहिश रहती है और हमेशा मुनासिब कार्यवाही की जाती है। बार-बार उन्होंने इस बात का चेलेंज दिया कि बड़े बहादुर हों तो दिला दें। कीमतें दिलाई जा रही हैं। कितना बकाया सन् १९५०–५१ में था और कितना रह गया ? करोड़ों से वह लाखों में आ गया। सन् १९५२–५३ का भी दिलाया जा रहा है और जो मिलें नहीं दे रही हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। यह सब बातें इस विषय से ताल्लुक नहीं रखतीं इसलिये मैं इनको बतला नहीं सकता, लेकिन इतना मैं बतला देना चाहता हूं कि उन मिलों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि गन्ना उत्पादकों का नुक्सान न हो। तो जब हमारा आपका मकसद एक ही है तो कोई वजह नहीं है कि महज बदगुमानी की बुनियाद पर आप हर चीज में कोई खामी निकाल दें और अपना भी और सदन का भी वक्त लें। मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "ईख उत्पादकों की सहकारी समिति के संचालक मंडल" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं—

खंड १६ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति के शब्द "फैक्ट्री को" से लेकर "सभी धनराशियों की" तक सभी शब्द निकाल कर यह रख दिया जाय—

"गन्ना पाने पर फैक्टरी का अध्यासी ऐसे दिये गये गन्ने के मूल्य व संबंधित धनराशियों की तुरन्त"

श्रीमन्, मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेने के बाद यह खंड १६ का उपखंड (२) इस प्रकार हो जाता है "बिक्री का गन्ना पाने पर फैक्टरी का अध्यासी ऐसे दिये गये गन्ने के मूल्य व संबंधित धनराशियों की तुरन्त अदायगी का उत्तरदायी होगा।" श्रीमन्, यह संशोधन इसलिये आवश्यक है चूंकि जिस प्रकार वर्तमान उपखंड के शब्द हैं वे जरा कंफ्यूजन में डालने वाले हैं। इसमें लिखा है कि फैक्ट्री को दिये गये गन्ने के संबंध में गन्ना पाने पर अध्यासी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तुरन्त सभी धनराशियों की अदायगी का उत्तरदायी होगा यह शब्द "धनराशियों" स्पष्ट नहीं है क्योंकि खंड १६ के उपखंड (१) में लिखा हुआ है "फैक्टरी का अध्यासी कलेक्टर के संतोषानुसार गन्ने के मूल्य के भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करेगा।" इसमें केवल गन्ने के मूल्य के शब्दों का प्रयोग किया गया है और सभी धनराशियों का प्रयोग नहीं हुआ है। गन्ने के मूल्य का शब्द जो है वह यहां अवश्य आना चाहिये तो इस लिये मैंने इसको स्पष्ट करने के लिये और इसकी भाषा को सुन्दर करने के लिये "ऐसे दिये गये गन्ने के मूल्य व संबंधित धनराशियों" रख दिया है। इसमें ब्याज भी हो सकता है और भी ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। इस प्रकार मैंने स्पष्ट कर दिया है और मुझे आशा है माननीय सभा सचिव महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---मुझे इस संशोधन को कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं होती मगर सिर्फ एक ख्याल है कि इसमें उन्होंने यह जो लिख दिया है कि बिक्री से पाने वाले गन्ने पर उसकी धनराशियों का वह तुरन्त जिम्मेदार होगा तो उस हालत में फैक्टरी का अपना भी गन्ना हो सकता है और वह कह सकते हैं कि हमने उसे खरीदा तो है नहीं तो उसके सिलसिले में जो सेस या दूसरी चीजें हैं उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं रहती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और यह जो मौजूदा है वह बहुत ठीक मालूम होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---जरा माननीय सभासचिव जी फिर से बतलावें कि उन्होंने क्या ऐतराज किया है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इस में ऐतराज यह है कि बिक्री का गन्ना पाने पर फैक्टरी का अध्यासी ऐसे दिये गये गन्ने के मूल्य व संबंधित धनराशियों की तुरन्त, यह तजवीज है। इसमें बिक्री का गन्ना जो है उससे फैक्टरी कह सकती है कि हमारे फैक्टरी के एरिया में जो अपना बोया हुआ गन्ना है वह हमने खरीदा तो है नहीं इसलिये वह बिक्री का नहीं है और उसके बाद जो सेस वगैरह हैं उसकी जिम्मेदारी मिल के ऊपर नहीं रहेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी---अगर माननीय मंत्री जी को सिर्फ "बिक्री का" शब्द पर आपत्ति है तो "बिक्री का" शब्द छोड़ कर बाकी वह मंजूर कर लें।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जरा बतलावें कि क्या मिलाना चाहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---"गन्ना पाने पर फैक्टरी का अध्यासी ऐसे दिये गये गन्ने के मूल्य व संबंधित धनराशियों की तुरन्त" अब इस प्रकार यह हो जायगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इसको मैं माने लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति के शब्द "फैक्टरी को" से लेकर "सभी धनराशियों की" तक सभी शब्द निकाल कर यह रख दिया जाय---

"गन्ना पाने पर फैक्टरी का अध्यासी ऐसे दिये गये गन्ने के मूल्य व संबंधित धनराशियों की तुरन्त"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "रु०" के स्थान पर शब्द "गन्ना" रख दिया जाय।

यह शब्द मोहमिल है और गन्ना शब्द रख देने से यह ठीक हो जाता है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "रु०" के स्थान पर शब्द "गन्ना" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं। मेरे संशोधन का प्रथम खंड तो स्वीकृत हो चुका है। दूसरा खंड मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

खंड १६ के उपखंड (३) की चौथी पंक्ति में शब्द "प्रत्येक" के स्थान पर शब्द "किसी भी" तथा पांचवीं पंक्ति में शब्द "देगा" के स्थान पर शब्द "दे सकता है" रख दिये जायं। यह युक्तिसंगत दिखलाई देता है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (३) की चौथी पंक्ति में शब्द "प्रत्येक" के स्थान पर शब्द "किसी भी" तथा पांचवीं पंक्ति में शब्द "देगा" के स्थान पर शब्द "दे सकता है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रतन लाल जैन—उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी श्री रामलखन मिश्र जी का संशोधन स्वीकृत हुआ उसमें शब्द "प्रत्येक" के स्थान पर शब्द "किसी भी" हो गया है। इसलिये अब मेरा संशोधन यह होता है कि इससे पहले "विशेष परिस्थिति होने पर" रख दिये जायं।

इससे फर्क यह पड़ेगा कि कभी जब ब्याज का प्रश्न आता है तो अगर मिल मालिक यह समझेंगे कि यह ब्याज हमें देना पड़ेगा सिर्फ ऐसी हालत में जब कि "विशेष परिस्थिति हो" तो उसी हालत में सरकार माफ कर सकती है। इसलिये इसको बढ़ाया जाय जिससे मिलमालिक रुपये को जल्द देने की कोशिश करेगा और समझेगा कि ब्याज माफ नहीं होगा। इसलिये यदि "विशेष परिस्थिति होने पर" शब्द रख दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैं समझता हूं कि "विशेष परिस्थिति" लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है इसलिये कि विशेष परिस्थिति में ही ऐसा किया जायगा इसके बढ़ाने से कोई खास फायदा नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको वापस ले लेंगे।

श्री रतन लाल जैन—मैं वापस लेने को तैयार हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १६ के उपखंड (३) की पंक्ति ४ के शब्द "किन्तु" से आरम्भ होने वाला प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इस उपधारा (३) को देखें तो उसमें चौथी पंक्ति से ये शब्द शुरू होते हैं "किन्तु प्रत्येक मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश देगा कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा जिसे वह निश्चित करे।" ऊपर तो यह है कि जब उपधारा (२) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से ७१/२ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब यह है कि सरकार ने इस बात का प्राविजन किया है कि जब १५ दिन के बाद अदायगी न हो तो जितना गन्ने का मूल्य बाकी रहे उस पर ७१/२ फीसदी उनसे लिया जाय। माननीय मंत्री ने बड़े फख्र के साथ इस बात को कहा कि हमने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। १ हजार रुपया जुरमाना, ६ महीने की सजा और ५ हजार रुपये तक जुर्माना रखा है। लेकिन मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार इस उपधारा की पहली ३ लाइनों में तो इतनी सख्त पाबन्दी लगाती है और पिछली ३ लाइनों को बढ़ाकर यह कहती है कि गन्ना कमिश्नर को यह अधिकार होगा कि या तो पिछला ब्याज ही न लें या यह फैसला कर दें कि किसी कम दर से होगा। अभी माननीय गेंदा सिंह के भाषण पर बोलते हुये माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हमारी नियत पर हमला नहीं करना चाहिये। लेकिन इस विधेयक को अगर कोई साधारण व्यक्ति भी देखेगा तो वह यह कहेगा कि मिलमालिकों के ऊपर कोई सख्ती अगर लगाई जाती है तो वह "किन्तु" इत्यादि बढ़ा कर राज्य सरकार अपने हाथ में लेती है या केन कमिश्नर या कलेक्टर को अधिकार देकर उस सख्ती को वापस ले लेती है। तो यह ऐसे ही हुआ कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया गया। जुरमाने के बारे में कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वह कोई ऐसी धनराशि मुकर्रर करे जो कम हो और उसी पर मामला तय हो जायगा। तो ऐसी 'सख्त' पाबन्दी को कौन मानेगा ? चाहे हमारी सरकार इसे पसन्द न करे लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारी और मिलमालिक कोई न कोई ऐसा कारण उपस्थित करेंगे जिससे वह सख्ती का असर कुछ न रहे। ऐसे भी लोगों को मिल का कंट्रोलर बना दिया जाता है जिनकी कोई भी योग्यता नहीं है और वह काम को खराब कर देते हैं। लेकिन सरकार उन्हीं के साथ अपना संबंध जारी रखना चाहती है। इस प्रकार एक हाथ से देकर दूसरे से लेना इस विधान सभा का अपमान करना है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि किन्तु से आगे का वाक्य हटा दिया जायगा और केवल साढ़े सात फीसदी सूद की व्यवस्था रखी जायगी।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अभी अभी जो त्रिपाठी जी ने संशोधन पेश किया है उसकी मुखालिफत करना चाहता हूं और यह बात कि ऐसी चीजें क्यों रखी जाती हैं यह बिलकुल साफ है। इसके अलावा उन्होंने पिछले मर्तबा जो कुछ मैंने कहा था उसका भी जिक्र किया लेकिन आधा ही कर के रह गये। मैंने यह कहा था कि शुबहा नहीं करना चाहिये और नियत पर हमला नहीं होना चाहिये क्योंकि जो कुछ भी यहां रखा जाता है वह विशेष परिस्थितियों को देख कर ही रखा जाता है, जो खास सूरतें और हालात बाज परिस्थितियों में पैदा हो जाते हैं उनकी वजह से रखा जाता है, जैसा कि सन् ५१-५२ में हुआ था। उस समय अगर रुपया बक़ाया न रखा जाता तो किसानों का बजाय फायदे के नुकसान होता। ऐसी ही तमाम सूरतों की वजह से ऐसा रखा जाता है। इस तरह की सब बातों को सोच कर ही इस तरह की गुंजाइश रखी जाती है। अगर ऐसी गुंजाइश न रखी जाय तो क्या उस वक्त असेम्बली बुला कर संशोधन किया जाय या आर्डिनेंस निकाला जाय। यह तो खास सूरतों के लिये रखा गया है, वरना इसका यह मतलब हरगिज नहीं हो सकता, एक तरफ तो कह दिया जाय कि ब्याज लगाया जायगा और दूसरी तरफ रोज उस ब्याज को माफ कर दिया जाय। इसलिये यह सब बदगुमानी है और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिये उस साल ऐसा हो गया होता तो सारी फैक्टरीज खत्म हो गयी होतीं और सन् ५२-५३ का गन्ना भी न पेला जाता। इसीलिये

ब्याज ही नहीं सेस भी मुल्तवी कर दिया गया था । लिहाजा ऐसी ही शक्ल पैदा हो जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि आप इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे माननीय मंत्री अपनी सफ़ाई देते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा संदेह बढ़ता जाता है। एक ओर तो कानून के द्वारा माननीय मंत्री जी सूद दिलवाने का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ केन कमिश्नर को यह अख्तियार दे रहे हैं कि जब वे चाहें सूद माफ कर दें। मेरी समझ में यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं आई कि एक तरफ तो सरकार यह ढिंढोरा पीटती है कि हमने ऐसा क़ानून बना दिया जिसकी बदौलत कोई मिल मालिक रुपया बक़ाया रखने की हिम्मत नहीं कर सकता, दूसरी तरफ केन कमिश्नर को यह अख्तियार दे दिया गया है कि अगर वह चाहेगा तो उसको माफ कर देगा । अब ऐसी हालत में वह किसको पूजेगा ? आप पुजवाना चाहते हैं सरकार को। आप चाहते हैं कि मिल मालिक आकर सरकार की पूजा किया करें। वह आ कर पूजा कर देगा और उसका सूद माफ हो जायगा। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी को आकर वह रुपया देगा और मंत्री जी उससे राजी हो जायेंगे। पूजा कई तरह की होती है । धूप, दीप और नैवेद्य से भी पूजा होती है, इसके अलावा पूजा के और भी अन्य प्रकार हैं, अनेक तरह से प्रसन्न किया जा सकता है। मुझे मालूम नहीं कि मंत्री जी किस तरह से प्रसन्न होंगे और किस तरह से उसका सूद माफ होगा । अगर मंत्री महोदय उन सूरतों को बता देते जिनमें मिलों का चलाना दुश्वार हो जायगा या किन सूरतों में उनको माफी मिल सकती है, तो उससे सदन को समझाने में कुछ आसानी हो जाती। हमें तो इतनी समझ नहीं जितनी की सरकारी बेंचों पर बैठने वाले लोग रखते हैं। अगर उतनी समझ होती तब तो पहले ही से समझे होते और अगर कहीं अंडरस्टुड हो तो वह कैसे समझ में आवे। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संदेह है वह इस तमाम विधेयक को देखने के बाद और दृढ़ होता है और मैंने तो बड़ी खुशी जाहिर की जब मुझसे श्री रामनारायण जी ने कहा कि इस संशोधन को तुम मत पेश करना । उससे मालूम होता था कि कुछ मामला इस तरह का है कि मैं जो संशोधन पेश करूं वह नहीं माना जाय और श्री नारायण दत्त जी व राम नारायण जी का ही संशोधन मंजूर होगा और अब की मर्तबा इस संशोधन का कुछ अच्छा फैसला होने वाला है । लेकिन जब मैंने माननीय उद्योग सचिव जी का बयान सुना तब मुझे मालूम हुआ कि जैसी बदक़िस्मती मेरे सिर पर है वही बदक़िस्मती श्री राम नारायण जी के सिर पर भी बदी हुई है । अच्छा है। माननीय उद्योग सचिव जी कहते हैं कि पिछले वर्ष उन्होंने बड़ी मेहरबानी की जो गन्ना पेरवा दिया था। मैं उनसे कहता हूं कि आप ने बड़ी मेहरबानी उन मिल मालिकों के साथ की जो कि ग़लत हिसाब पहले से ही रखते थे और जो गन्ना डिपार्टमेंट था जिसके ऊपर लाखों रुपया जनता की कमाई का खर्च होता है उसने उपाध्यक्ष महोदय, गलत हिसाब रखा कि इस इलाके में हमें इतना ही गन्ना देना है । बाद को हमें मालूम हुआ कि इससे ज्यादा गन्ना देना है तो मिल मालिकों ने कहा कि हम नहीं पेरेंगे और फिर उसके बाद इन मिल मालिकों के सामने सरकार ने घुटने टेक दिये। इतना ही नहीं, बल्कि केन कमिश्नर साहब का एक आदेश निकला जो कि सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ। पत्र संख्या ८८८५, दिनांक २४ मई, १९५१ इसमें यह कहा गया है कि अब पहली मई के बाद जो गन्ना मिलों में दिया जायगा उसकी क़ीमत कम कर दी जायगी और उस क़ीमत को कम करते समय जहां कि ५ प्रतिशत चीनी पड़ी वहां पर उन्होंने कहा कि १ रु० १२ आना मन से १ रु० ११ आने हो। और आगे कम करते करते जहां ५ प्रतिशत आया वहां पर उन्होंने फिर १ रु० साढ़े ८ आने मन दाम दिया। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उसी जमाने में एक फैक्टरी ने ९ प्रतिशत चीनी निकाली और उसी जमाने की किसी फैक्टरी ने साढ़े ७ प्रतिशत चीनी निकाली और दोनों को इस सरकार ने स्वीकार किया और दोनों को उसी हिसाब से रिकवरी बेसिस पर क़ीमत दिलवाई। उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना एक ही प्रकार का था, मिलें चीनी की ही थीं लेकिन हम नहीं कह सकते कि किस मिल के साथ सरकार का क्या रिश्ता था। और वे दोनों मिलें जो थीं यह नहीं था कि कोई देवरिया की हो और कोई

[श्री गेंदा सिंह]

मेरठ की हो, इतना फर्क नहीं था बल्कि वे सहारनपुर और मेरठ की एक ही लोकेलिटी की थीं। मैं पूछता हूं कि ७ जुलाई तक जो फैक्टरियां चलीं वे किसकी मेहरबानी से चलीं और उन फैक्टरियों को सरकार बहादुर ने यह क्यों नहीं हुक्म दिया कि वे पहले से चलें। जब रिजर्व्ड एरियाज थीं, जब सरकार के पास हिसाब किताब इस प्रकार का था कि इतने गन्ने के खेत इस रिजर्व ज़ोन में होने चाहिये, जब एक पूरा का पूरा महकमा कायम है जो केन सेस और पब्लिक एक्सचेकर का पैसा भी खर्च करता है उससे इस प्रकार की कोशिश क्यों नहीं की कि इतना ही गन्ना लिया जाय कि पेरा जा सके ? गवर्नमेंट ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और न उस महकमे ने ही इसकी खबर ली। माननीय उद्योग सचिव जी ने पहले कोशिश तो की थी कि उस महकमें की खबर ली जाय लेकिन उन्होंने फरमाया कि यह तो कृषि विभाग का काम है और जब कृषि विभाग के मिनिस्टर से कहा गया तो उन्होंने फरमाया कि यह उद्योग विभाग का काम है। यह दो विभागों में लटकता हुआ गन्ने का व्यवसाय खुद तबाह हो गया। तो मैं आप से कहता हूं कि मेहरबानी करके जो अख्तियार लेना चाहते हैं वह तो आप इस विधेयक में ले लेंगे ही लेकिन कम से कम ऐसी बात न कहा करें कि किसानों के नाम पर हम ऐसा कर रहे हैं और किसी के नाम पर भले ही हो सकता है लेकिन किसानों के नाम पर ही ऐसी बातें करना कुछ अच्छी बात नहीं है। अगर कोई और बात कही जाय तो माननीय उद्योग सचिव जी नाराज होते हैं और फिर माननीय उद्योग सचिव जी का इस महकमे से ज्यादा दिनों से संबंध भी नहीं है इसलिये बहुत संकोच रखकर मैं ऐसा कर रहा हूं। जिनसे इस मामले का संबंध है अगर वह यहां मौजूद होते तो जरा बातचीत करने का आनन्द भी आता। इसलिये मैं कहता हूं कि यह काम अपने जिम्मे मत लीजिये और रहने दीजिये उन लोगों के हाथ में जिनका इससे संबंध है।

मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि जो नतीजा इस विधेयक का निकलने वाला है जिससे मिलमालिकों को डर होता है वह अगर इस क्लाज को आपने पास कर दिया तो खत्म हो जायगा और वे बेडर हो जायंगे। बहुत ज्यादा ताक़त यों भी अपने हाथ में ले लेना बुरा है—"अति सर्वत्र वर्जयेत्"। सरकार को केवल इतनी ताक़त अपने हाथ में रखना चाहिये जिससे सरकार बदनामी से बचती रहे। इतना कह कर मैं रामनारायण जी से केवल यह कह दूं कि उनको यह मालूम हो जायगा कि गेंदा सिंह का अमेंडमेंट स्वीकार नहीं हो सकता तो इतना भी यह हार्मलेस संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त मैं उद्योग सचिव जी को भी इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि गन्ने के काश्तकार मिलों को बैठा नहीं देना चाहेंगे। जिस वक्त मिलों की हालत ऐसी हो जायेगी कि वह सूद देने के क़ाबिल नहीं रहेंगे तो आप इत्मीनान रखें वह आप की सिफारिश पर सूद छोड़ देगा। आखिर काश्तकार को अपना गन्ना खेत पर खड़े तो रखना नहीं है वह कह देगा कि हम सूद नहीं लेंगे। उनकी सद्भावना पर विश्वास कीजिये, सिर्फ डंडा चलाने की बात न सोचिये। कलेक्टर, कमिश्नर या यू० पी० सरकार डंडे के बल पर क्यों उससे कहती है कि तुम सूद छोड़ दो जब वह खुद अपना सूद नहीं छोड़ना चाहती। यह ठीक तरीका नहीं है। आप को उसकी सद्भावना पर विश्वास करना चाहिये और उसी से काम चलेगा और वही अच्छा भी रहेगा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं इसके पहले कि कुछ निवेदन करूं सरकार को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि इस संशोधन का समर्थन करते समय कम से कम मेरी ओर से सरकार को यह न समझना चाहिये कि उनकी नियत पर कोई हमला करना चाहता हूं। न कभी मुझे उनकी नेकनीयती में शक रहा है परन्तु इसके साथ ही साथ कभी नेकनीयती होते हुये भी, अच्छी नियत होते हुये भी आदमी कोई ऐसा काम कर सकता है, गलती से कर सकता है, जिससे, उस काम को जिसको वह नेकनियती से कर रहा है उसका उतना पूरा-पूरा फ़ायदा नहो जितना होना चाहिये था। मैंने माननीय सचिव का भाषण सुना और मैं उससे सहमत हूं

कि कभी-कभी ऐसे समय आ सकते हैं जहां कि काश्तकारों की मदद के लिये ही सरकार को ऐसा क़दम उठाना पड़े, जैसा कि उन्होंने अभी जिक्र किया था कि पिछले दफ़ा उठाना पड़ा था, जिसमें साढ़े सात फीसदी व्याज लेना मुनासिब न होगा और केन कमिश्नर को या सरकार को यह ब्याज छुड़वाना पड़े। मैं मानता हूं कि ऐसा समय आ सकता है परन्तु ऐसे समय के लिये एक ऐसा जरिया रख देना जिससे कि जनता को शक हो या मिल मालिकों को कम से कम कुछ न कुछ यह आइडिया हो जाय कि हमारे लिये कहीं न कहीं छूट है हम महफूज हैं तो यह ठीक नहीं होगा। मैं तो इस पर स्वयं एक संशोधन रखता परन्तु मुझे दुःख है कि मैंने यह समझा कि चूंकि मैं सेलेक्ट कमेटी में था और मेरा नोट आफ डिसेंट नहीं है इसलिये मैं संशोधन नहीं दे सकता, इसलिये मैं रह गया नहीं तो मैं इस सरकारसे यह प्रार्थना करता कि कम से कम बौन्डेड केन जिसको लेने की उनकी जिम्मेदारी है, अगर उसका रुपया रह जाय तो उस पर ७।। फीसदी का सूद मिल मालिकों को देना होगा। अगर कभी इसके अलावा ऐसा समय आवे तो उस पर केन कमिश्नर या सरकार ७।। फीसदी छूट करना चाहे तो इस को कटवा दे तो यह मुनासिब होगा।

माननीय गेंदासिंह जी ने अभी कुछ बतलाया कि सरकार ने किन किन परिस्थितियों में और कहां-कहां काश्तकारों की मदद का ढिंढोरा या ढोल पीट कर नाम किया है। मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि जबइधर से यह कहा जाता है कि पिछले वर्ष तमाम गन्ना खड़ा रह गया तब सरकार ने यह कोशिश की कि यह गन्ना पिलवा दिया जाय। सरकार के हाथ में कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे वह मजबूर करती कि तुमको यह गन्ना लेना ही पड़ेगा। बहरहाल उस समय हर तरह से काश्तकारों के हित में कोशिश की गयी। ऐसे समय में जब कि वह खड़ा-खड़ा नष्ट हो जाता तो उससे तो यही अच्छा हुआ कि १० आने या ८ आने के दाम पर उसको मिल मालिकों को दे दिया गया। कम से कम सरकार ने उस गन्ने का बिकने का तो इन्तजाम किया। परन्तु एक चीज को दृष्टिकोण में रखना चाहिये कि ऐसे समय में जिसको देखते हुये हम एक ऐसी जनरल छूट दें कि जब केन कमिश्नर चाहें तो ७।। की व्यवस्था को वह छोड़ सकता है, यह कुछ समझ में बात नहीं आती। मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा बकाया मिडिया निकालें कि जिससे उनको सहूलियत रहे। कम से कम बौंडेड केन के लिये केन कमिश्नर द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये और अगर उस में से रह जाय तो उसके लिये ७।। का सूद मिलों को देना ही पड़े ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री हरिप्रासाद (जिला पीलीभीत)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण जी ने जो संशोधन आप के सम्मुख रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खंड १६ के उपखंड (३) में सरकार एक तरफ तो उनका ख्याल करती है दूसरी तरफ उसको वापस लेती है। उसमें यह लिखा हुआ है कि—"जब उपधारा (२) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से १५ दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह बाक़ी के दिनांक से ७।। प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा।" अब यहां पर तो ब्याज देने की बात सरकार कहती है और दूसरी तरफ फिर कहती है कि—"किन्तु प्रत्येक मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश देगा कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा जिसे वह निश्चित करे।"

एक तरफ तो यह है कि अगर १५ दिन तक कोई मूल्य बाक़ी रहेगा तो उस पर ७।। प्रतिशत ब्याज दिया जायगा और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि राज्य सरकार की अनुमति से ब्याज कम किया जा सकता है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उसको यह मालूम होना चाहिये कि गन्ना किस मेहनत से पैदा होता है। किसान दो साल तक उस जमीन में ऊख खड़ी करता है और दो साल का लगान उसको पड़ती जमीन का देना पड़ता है तब कहीं जा कर ऊख तैयार होती है। किसान बहुत परेशानी और मेहनत के बाद ऊख पैदा करता है। आपने एक केन डेवलपमेंट मार्केटिंग सोसाइटी क़ायम कर रखी है और उस केन डेवलपमेंट मार्केटिंग सोसाइटी के द्वारा इतने तगड़े तगड़े हाथी बांधे हैं कि जो किसानों को खाये जा रहे हैं। यहां तक कि जब शुरू में ही सर्वे के लिये

[श्री हरि प्रसाद]

कामदार सावन में जाता है तभी से गड़बड़ी होती है। केन कनिश्नर, असिस्टेंट केन कमिश्नर, सी० डी० ओ०, ए० सी० डी० ओ० और उसके बाद सुपरवाइजर और फिर कामदारऔर फिर कामदार भी दलाल रखते हैं। तो जब सावन में कामदार सर्वे के लिये जाते हैं तो वहीं से खाने पीने की बात शुरू कर देते हैं और तरीका उन्होंने निकाल रखा है चाहे वह सरकार की ओर से हो या जो बड़े बड़े हाथी लखनऊ में रहते हैं उनकी तरफ से हो। सब से पहले तो वह १०० बीघे की जगह ५० बीघे और ५० बीघे की जगह २५ बीघे और १० बीघे की जगह ५ बीघे यानी काफी घटा कर लिखने की कोशिश करते हैं और जब उसमें गन्ने का तखमीना करते हैं तो उधर तो रक़बा घटा दिया और इसी तरह से १०० मन की जगह ५० मन गन्ना लिखते हैं और अपनी आमदनी के लिए और किसानों को परेशान करने के वह साधन निकाल लेते हैं और जब सुपरवाइजर गांव में आता है तो किसान अपना गन्ना पूरा लिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको वक्त से पूरी पर्चियां मिल सकें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं उसकी रेलीबेन्सी संशोधन के साथ क्या है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री हरिप्रसाद—मैं किसान की परेशानियां बतला रहा हूं। अगर परेशानियां न बतलायी जायं तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम हो। तो जब नवम्बर, दिसम्बर में पर्चियों का वक्त आता है तो पर्ची केलेन्डर ए० डी० डो० ओ० के पास भेज दिया जाता है और वह तहसील में बैठे बैठे पर्चियां भिजवाते हैं। और होता यह है कि कामदार लोग उनको ऐन वक्त तक रोके रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह बाहर की बातें न कहें।

श्री हरिप्रसाद—इसमें बाहर की बात तो नहीं है और जो कुछ मैं कह रहा हूं वह इसी से लगाव रखती है। अगर वह न बताया जाय तो कैसे मालूम होगा कि ७॥ प्रतिशत सूद लिया जाता है।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—मैं प्वाइंट आफ आर्डर लाना चाहता हूं कि जब उपाध्यक्ष जी ने कहा कि आर्निरेबिल मेम्बर इर्रेलेवेन्ट हो रहे हैं उस पर माननीय सदस्य का यह कहना कि मैं इर्रेलेवेन्ट नहीं हूं यह कहां तक उचित है। इसकी माननीय सदस्य को माफ़ी मांगना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आज माननीय सदस्य पहले पहल बोल रहे हैं इसलिये अभी कुछ ऐसी बात ठीक नहीं है।

श्री हरिप्रसाद—मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो वहीं उस को छोड़ दिया। तो कामदार पर्चियां समय पर नहीं देते, जिस दिन की पर्ची होती है उस से एक दिन पहले रात को ला कर देते हैं और रात में अगले दिन की तौल के लिये किसान गन्ना छील कर तैयार नहीं कर सकते और इस तरह से गन्ना टक पर लेट पहुंचता है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मैं आप के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वह माननीय सदस्य को थोड़ा सा बतला दें कि सदन के नियम क्या हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरिप्रसाद—तो उसके बाद जब वह पर्ची ले कर टक पर गाड़ी ले जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम देर में आये और वह तो तारीख़ बदल गई। वहां पर भी किसान को कुछ न कुछ पूजा देकर स्पेशल पर्ची बनवाना पड़ती है.....

श्री उपाध्यक्ष—आप संशोधन पर ही बोलें तो ठीक होगा।

श्री हरिप्रसाद—जो गन्ने की किसानों की दिक्क़तें हैं उन्हीं को बयान कर रहा हूं फिर संशोधन पर ही आना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो उस को बयान न करूं। तो मैं यह कह रहा था कि स्पेशल पर्चों के लिये उनको वहां कुछ न कुछ देना पड़ता है.....

श्री उपाध्यक्ष—अनेक बार वही बात न कहें, संशोधन पर ही आप आ जायें तो अच्छा है।

श्री हरिप्रसाद—नतीजा यह निकलता है कि गाड़ी में जितनी ईख होती है उसको वह किसी न किसी तरह से वहां फेंकने की कोशिश करता है।

इतनी परेशानी के बाद जो कुछ काश्तकार को पर्ची में रुपया मिलता है, तो जब उसे वह भुनाने जाता है तो ४, ४, ८, ८, दिन तक टालते रहते हैं और कहते हैं कि साढ़े सात बजे के बाद पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट लेता है तो कहते हैं पैसा दो तो पेमेंट होगा नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह से कामदार, सुपरवाइजर, ए० सी० डी० ओ०, सी० डी० ओ०, ऊपर से नीचे तक काश्तकारों का रुपया खींच लेते हैं उसके बाद जितना रुपया बचता है, तो उसका पेमेंट नहीं मिलता। पेमेंट लूट लिया जाता है। फिर जो बचता है उसको दिलाने की सरकार कोशिश नहीं करती। साढ़े सात रुपया साल का सूद दिलाने का पहले सरकार लालच देती है, और उसके बाद उसे भी मना कर देती है। इस सम्बन्ध में माननीय उद्योग मन्त्री जी को यह भी सोचना चाहिए कि बाजार में सूद की क्या दर है। चार रुपये महीने पर सूद मिलता है और उधर साढ़े सात रुपये सालाना का लालच देकर सरकार मना कर देती है।

मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को वह स्वीकार करने की कृपा करें।

एक सदस्य—मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर)—आप क्या कोई खास बात कहना चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जरा माननीय सभासचिव की मदद करना चाहता हूं।

श्रीमन्...

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आपने इजाजत नहीं दी, माननीय सदस्य बोलने लगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—इजाजत मिल चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय सभासचिव और माननीय शिक्षा मन्त्री जी, जो कृपा करके बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी जो प्रतिबन्ध हटाना चाहते हैं कृपया उसको पढ़ लें। मैं समझता हूं कि काफी दूर से आये हैं, ऐनक पर धूल जम गयी होगी उसको साफ करके पढ़ लें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—"किन्तु प्रत्येक मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश देगा कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा जिसे वह निश्चित करे।"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जैसा हिन्दी में बिल है अगर ऐसा ही मंजूर कर लिया जाता है तो सब चौपट हो जाता है।

देगा का मतलब है "शैल हैव"। हर मामले में गन्ना कमिश्नर और राज्य सरकार को आज्ञा देनी होगी कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा। अंग्रेजी में तो आपने "मे" लिखा है। लेकिन हिन्दी में जो ड्राफ्ट है उसमें ऐसा नहीं है और अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं रह गयी। अगर ऐसा ही ड्राफ्ट बनाना था जैसा कि हिन्दी में है, तो अच्छा तो यह होता कि जो राज्य सरकार ब्याज नियत करेगी वही हो जायगा। अन्त में तो राज्य सरकार की ही आज्ञा चलेगी। तो जैसा कि लालच माननीय हर प्रसाद जी ने बतलाया वह बिलकुल सही है। साढ़े सात प्रतिशत भी नियत है, पंद्रह दिन भी नियत हैं, फिर गन्ना कमिश्नर हैं, उनके ऊपर राज्य सरकार है। वह हर हालत में आज्ञा देगी। तो माननीय सभा सचिव दोबारा गौर करें, हिन्दी का बिल तो उन्हें साफ मालूम हो जायगा।

श्री रामलखन मिश्र—प्वाइंट आफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन हो चुका "दे सकता है और किसी भी मामले में"। उन्हें भ्रम हो गया है। वह अंग्रेजी का रूप देख कर ऐसा कह रहे हैं। ४२-क मेरा ही संशोधन था। अगर सौ में एक बार भी ऐसा अवसर आये तो सरकार के पास यह अधिकार तो होना चाहिए कि वह उसका उपयोग कर सके।

श्री शिवनारायण—मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—बोलने के लिए माननीय सदस्य खड़े ही नहीं हुए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इसमें काफी दिलचस्पी सदन ने ली और मुझे डर था कि काफी गरमा गरमी हो जायगी लेकिन मामला बच गया।

यह संशोधन जो उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सभासचिव ने बताया यह विधान सभा है और विधान सभा में जब कोई कानून बनता है तो उसको इतना साफ होना चाहिए कि जिस में कोई गुंजाइश गड़बड़ी की न रहे। मैं लम्बा हवाला देकर सदन का समय बरबाद करना नहीं चाहता लेकिन इसमें अगर सरकार की तरफ से कोई विशेष परिस्थितियों का जिक्र किया गया होता जैसा कि माननीय सभासचिव ने कहा तो उसको हम मानने के लिए तैयार हो जाते। और प्रत्येक मामले में सरकार की स्वीकृति से गन्ना कमिश्नर आदेश कर देगा, यह तो विशेष परिस्थितियों का जिक्र होने पर, जैसे अकाल होने पर वह दिक्कतें होती हैं। तो यह विशेष परिस्थिति न रह कर एक गोल मटोल कानून विशेष परिस्थिति का मनवा लिया जाय, इससे सरकार को भले ही दिक्कत न हो। लेकिन जो इसको अमल में लाने वाले हैं, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती। वहां तो माला पहिनने से, दावतों से और एक होटल से दूसरे होटल में जाने से फुर्सत नहीं। यहां २५ मन्त्री और उपमंत्रियों की तादाद हो जाने के बाद उपाध्यक्ष महोदय आशा थी कि लाल फीते के कार्य में कुछ कमी होगी लेकिन अब तो वहां से जो आता है बहुत कम केसेज में उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। तो ऐसी हालत में विधान सभा के सदस्य कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं कि एक अनिश्चित सा कानून ऐसी स्थिति में पास कर दिया जाय और मैं समझता हूं कि यह सरकार के हक में होगा। अभी माननीय सभा सचिव ने यह कहा कि ऐसी परिस्थिति हो कि विधान मण्डल न बैठी हो तो उस वक्त क्या विशेष परिस्थिति होगी। उस समय आर्डिनेंस आप निकालते हैं। जो आर्डिनेंस निकलते हैं वह गलत-गलत निकलते हैं और जो कानून विधान सभा में पास किये जा सकते थे उनके लिए आर्डिनेंस निकल जाता है और ऐसे भी कानून

दो साल से लागू है और वह बाकायदा सरकारी गजट में छापे नहीं गये। अभी एक कानून इसी भवन में पास हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आर्डिनेंस भी आप बना दें तो हमारी तरफ से कोई आब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस तरह से बिलकुल एक खुला हुआ हाथ हम दे दें अनिश्चित सी परिस्थिति में यह हमारे लिए मुनासिब नहीं है और न सरकार के लिए मुनासिब है। ऐसी स्थिति में साढ़े सात फीसदी का जो प्राविजन है वह बहुत सख्त है और उससे काफी सुधार गन्ना उत्पादकों का होगा मगर एक हाथ से अधिकार देकर उसी हाथ से ले लेना चाहते हैं तो उससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी जिस से आप सन्देह और शक से नहीं बच सकते।

तो मैं समझता हूं कि अब भी गेंदा सिंह जी ने नारायण दत्त जी और हमारा नाम लेकर यह भी कह दिया कि उन्हीं लोगों के संशोधन उद्योग मन्त्री मान लेते हैं, इस बदनामी के बाद अगर वह संशोधन न माना जाय तो इस से ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—बहुत काफी देर हुई, लेकिन कोई भी नयी बात नहीं कही गयी। पहली दफा जो कुछ वह कह चुके थे उसके अलावा कोई नयी बात नहीं कही गयी जिसका मुझे जवाब देना हो।

एक बात गेंदा सिंह जी ने बड़ी अच्छी कही। उनको न मालूम यह शुबहा क्यों हो गया कि उनकी तरफ से जो संशोधन आवेगा वह माना नहीं जायगा, अगर कोई माकूल चीज आवेगी तो जरूर मानी जायगी। लेकिन जो बात उन्होंने बहुत अच्छी कही वह यह कि गन्ना उत्पादकों और किसानों की तरफ से सद्भावना रखनी चाहिए। तो मैं उन से और दूसरे माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जिनके लिए आप कहते हैं कि उनकी तरफ से सद्-भावना रखनी चाहिए तो उनकी चुनी हुई सरकार की तरफ से भी आपको सद्भावना रखनी चाहिए। आपको यह न समझना चाहिए कि जैसा कि वह हर वक्त समझते रहे हैं कि सरकार गन्ना उत्पादकों और किसानों का नुकसान करेगी।

वह उन्हीं की चुनी हुई है और आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि जब उनकी तरफ सद्-भावना रखते हैं तो यह भी समझिये कि उन्होंने सही वोट दिये हैं और उनके सही वोट से सही तरीके पर सही सरकार बनी हुई है। अगर आप यह सोचकर चलें तो बहुत सी बातें जो जायद आ जाती हैं, वह न आयें और काम जरा जल्दी हो जाया करे। मुझे और कुछ नहीं कहना है और मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (३) की पंक्ति ४ के शब्द "किन्तु" से आरम्भ होने वाला प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मता-नुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१३

विपक्ष में—१००।)

श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थितकरना चाहता हूं—

खंड १६ के उपखंड (४) की पहिली पंक्ति में "गन्ना कमिश्नर" के स्थान पर "ईख उपादकों की सहकारी समिति के संचालक मण्डल का उपसभापति अथवा अवैतनिक मंत्री," शब्द रख दिये जायं।

यह मूल धारा जो है वह यह है कि "गन्ना कमिश्नर कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाणपत्र भेज सकता है जिसमें अध्यासी द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि, ब्याज

[श्री गेंदासिंह]

के सहित यदि कोई देय हो, निर्दिष्ट होगी और ऐसे प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर कलेक्टर उक्त अध्यासी से प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा मानों कि यह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो।" इस संशोधन का यह अर्थ है कि गन्ना कमिश्नर के बजाय वहां के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के दस्तखत से सार्टिफिकेट जारी हो। इस पर बहस मुबाहिसा तो बहुत हो चुका है और जो दलीलें पहले दी गयी हैं, उससे कोई नयी दलील मैं देना नहीं चाहता हूं और मैं यह उम्मीद नहीं करता कि उन नयी दलीलों के देने के बाद भी माननीय उद्योग सचिव जी हमारे इस संशोधन को स्वीकार ही कर लेंगे। तो मैं न तो उन्हें कष्ट देना चाहता हूं और न सदन को कष्ट देना चाहता हूं। मैं उनके विवेक पर इसको छोड़ कर उनसे अपील करता हूं कि फिर एक बार बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स जो वहां का है, वह ज्यादा जान सकता है वहां की हालत और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके सार्टिफिकेट से धरती उलट जायगी। गन्ना कमिश्नर हर यूनियन और हर सोसाइटी को सार्टिफिकेट दिया करेगा। गन्ना कमिश्नर को बड़ा काम रहता है। समूचे राज्य भर में सैकड़ों यूनियनें हैं। उन सैकड़ों यूनियनों को वह अपनी आंख के सामने नहीं रख सकता। लेकिन वहां का जो बोर्ड है जिसका चेयरमैन कलेक्टर है, जिसका चेयरमैन एस० डी० एम० या एस० डी० ओ० हुआ करता है, उसके सामने वहां की मुसीबत होती है और उस मुसीबत को देख करके अगर वह सार्टिफिकेट काट दे और उस सार्टिफिकेट पर गन्ने की कीमत की वसूली मालगुजारी की तरह हुआ करे, तो इसमें कोई बिगड़ जाने वाली बात नहीं है। मैंने कलेक्टर को नहीं रखा है, क्योंकि अगर चेयरमैन की हैसियत से कलेक्टर कलेक्टर का सार्टिफिकेट काटे तो यह मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस संशोधन में "उपसभापति" शब्द रखा है। उपसभापति सार्टिफिकेट दे दे और उस सार्टिफिकेट पर कलेक्टर मालगुजारी की तरह से वसूली की कार्यवाही जारी कर दे। यह तो कलेक्टर के हाथ में है कि वह उसमें एतराज कर सकता है, उसमें उसका मौका दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। जिस तरह से मालगुजारी की वसूली में उसकी इच्छा काम करती है, डिस्क्रीशनरी पावर्स उसका है, उसी तरह से इस सम्बन्ध में भी कलेक्टर को पावर्स रहेगी। तो उसमें कोई बिगड़ जाने वाली बात नहीं है जिस से जो सरकार का उद्देश्य है, वह गड़बड़ में पड़ जाय। इसलिए मैं समझता हूं कि इस संशोधन को माननीय उद्योग सचिवजी स्वीकार करने की मेहरबानी करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जैसा गेंदा सिंह जी ने खुद ही कहा कि इस किस्म के संशोधनों पर बहुत बहस हो चुकी है और वह दलीलें जो उनके लिए दी गयी थीं वही यहां पर भी लागू हैं इसलिए कुछ बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद भी कहा जैसे कि किसी भी सौदे में दो पार्टियां होती हैं, एक बेचने वाली और एक खरीदने वाली तो इन दोनों के दरमियान में जो झगड़ा हो उसको एक तीसरे ही आदमी के सिपुर्द करना चाहिए यह एक मामूली नियम की बात है। इसलिए कलेक्टर चूंकि उस बोर्ड का चेयरमैन होगा इस लिए उसको यह अख्तियार देना ठीक नहीं है। बकिया तमाम बातें इस पर वहीं कही जा चुकी हैं। इसलिए मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले से ही उम्मीद करता था वही जवाब भी मिला। जहां कहीं भी फैक्टरी की ओर दबाने की बात आ जायगी उसे सरकार नहीं स्वीकार करेगी। अगर किसी मजदूर के द्वारा फैक्टरी की ओर दब जाय उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए मुझे उसके विवेक के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ मुनासिब समझा कह दिया और माननीय सभासचिव ने जो कुछ मुनासिब समझा, उन्होंने भी कह दिया। अब तो सदन का काम है, वह जैसा फैसला करेगा वह सबको मानना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्या उद्योग मन्त्री के सभासचिव जी कुछ कहेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में "गन्ना कमिश्नर" के स्थान पर "ईख उत्पादकों की सरकारी समिति के संचालक मण्डल का उपसभापति अथवा अवैतनिक मंत्री" शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आवश्यक संशोधन पेश कर रहा हूं कि खंड १६ के उपखंड (४) की दूसरी पंक्ति में शब्द "सकता है" के स्थान पर शब्द "देगा" रख दिया जाय।

"सकता है" कुछ अर्थ नहीं रखता है। प्रमाण पत्र वह देगा और प्रमाण पत्र देना आवश्यक है इसलिए मुझे विश्वास है कि यह संशोधन स्वीकार हो जायगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (४) की दूसरी पंक्ति में शब्द "सकता है" के स्थान पर शब्द "देगा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी— उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

खंड १६ के उपखंड (४) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"यदि कलेक्टर द्वारा हर कार्यवाही करने के बाद भी मिल के अध्यासी से रुपया वसूल न हो सके तो अगले गन्ना पेराई के मौसम में राज्य सरकार द्वारा उक्त चीनी मिल का संचालन किसी सहकारी समिति या बोर्ड कारपोरेशन के सुपुर्द कर दिया जाय"।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में धारा १६ का एक विशेष स्थान है जिसकी उपधारा (२) में अध्यासी के ऊपर इस बात की विशेष जिम्मेदारी दी गयी है, इस प्रकार की अदायगी के वसूल करने की ओर दफा ३ . . .

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। यह फैक्टरी के कण्ट्रोल के सिलसिले में जो उन्होंने कहा वह हमारे जूरिस्डिक्शन के बाहर है। शूगर प्रोडक्शन का जो मामला है, वह सेण्ट्रल है इसलिए अगर आप इसको न पेश करें, तो अच्छा है।

श्री गेंदासिंह—इसमें मेरी समझ में नहीं आया कि शूगर प्रोडक्शन का कहां मामला है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—फैक्टरी को चलाने का है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—सरकार ने धारा ३ में यह बाधा लगायी है कि अगर १५ दिन के अन्दर अदायगी नहीं हो जायगी तो मिल को ७ १/२ रु० सैकड़ा ब्याज देना पड़ेगा और चौथी उपधारा में इतनी सख्ती करने की सोची है कि अगर वह रुपया वसूल न हो तो मालगुजारी की तरह वसूल किया जाय और इसमें जो किन्तु और परन्तु के प्राविजन्स लगाये गये हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान पहले से ही है कि इनसे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इन

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

सब प्राविजन्स के लिए हम सरकार को थोड़ी देर के लिए मुबारकबाद दे सकते हैं। लेकिन इन सब कार्यवाहियों के बावजूद भी अगर रुपया अदा न हो तो क्या होगा और मिल का संचालन कौन करेगा। आज दीवानी में दुनिया जानती है कि अगर रुपया अदा नहीं होता है तो उसकी कार्यवाही हो सकती है और वह जेल में भेजा जा सकता है। अगर मिल खाली है और रुपया नहीं है और तमाम किसान गन्ने की फसल में इन्तजार करेंगे तो इस विशेष परिस्थिति के लिए इस विधेयक में कोई प्राविजन नहीं किया गया है। मुझे ताज्जुब हुआ जब हमारे उद्योग मन्त्री सचिव ने कहा कि यह हमारे विधान सभा के अधिकार से बाहर है।

अभी हमारे साथी गेंदा सिंह जी ने नाम बतलाये हैं जहां आपने अथराइज्ड कन्ट्रोल्स मुकर्रर किये हैं। बिहार सरकार ने यह तय किया है कि दो मिलों का संचालन कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया जाय। यहां पर भी कोआपरेटिव यूनियन अपने बाई लाज में परिवर्तन कर रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो कोआपरेटिव विभाग को मिलों के संचालन का कार्य दिया जा सकता है। ऐसी सूरत में कौन सा रास्ता रह जाता है जब कि तीनों परिस्थितियों से रुपया वसूल न हो तो मिल का संचालन कौन करे। मैं समझता हूं कि ऐसे अयोग्य मिल मालिक की जगह पर कोआपरेटिव सोसाइटीज या कारपारेशन्स रख दिये जायें तो अति उत्तम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जान बूझकर इस बात को नहीं कहा है कि सरकार इन मिलों को अपने हाथ में ले ले क्योंकि हमारी सरकार समाजीकरण को आज बदनाम कर रही है। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का सवाल है तो सरकार कह देती है कि हमने नेशनलाइज किया था और आगे हालत खराब हो गयी। हमारे दल की नीति यह है कि अगर कभी सत्ता हमारे हाथ में आये तो हम इनको सरकार के सुपुर्द नहीं करेंगे बल्कि रीजनल कारपोरेशन्स रहेंगे। चाहे काटन मिल्स हों या सीमेंट की मिल्स हों सबके लिए कारपोरेशन्स होंगे।

मार्क्सवाद में चर्चा हुई है कि एक व्यक्ति ठीक तरह से संचालन कर सकता है या सरकार। हमारी केन्द्रीय सरकार ने अपने राज्य सरकारों में जो उदाहरण पेश किये हैं उससे नेशनलाइजेशन का नाम बदनाम होगा। ऐसी सूरत में हमारी प्रजा शोसलिस्ट पार्टी ने एलेक्शन मैनीफेस्टो में घोषणा की थी कि इनको सरकार के सुपुर्द करना ठीक नहीं है बल्कि समाजीकरण होना चाहिये और उनके लिये विभिन्न कारपोरेशन्स होंगे और जिस तरह से कि एक मिल मालिक कम्पटीशन करके उपज बढ़ाता है उसी तरह से यह कारपोरेशन्स भी उपज बढ़ायेंगे। एक व्यक्ति को जो इम्पीचस रहता है वही इन कारपोरेशन्स और कोआपरेटिव सोसायटीज का हो सकता है और इन कोआपरेटिव सोसायटीज की तरक्की हमारी सरकार चाहती है।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)।

अगर इस किस्म के मिलों का जिनके मालिक अयोग्य हो गये हैं उनका संचालन कोआपरेटिव सोसायटीज को दे दिया जाय तो इससे हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव आंदोलन को एक बड़ा बल मिलेगा और सरकारी सहायता दी जा रही है। अगर उनका संचालन कोआपरेटिव सोसायटी को देना मुनासिब नहीं है तो ऐसी हालत में हर मिल के लिये कारपोरेशन अलग अलग बनाये जा सकते हैं और वह अपने निजी कायदे और कानून को बनाकर चलें। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिये इस समय सरकार के पास कोई रास्ता है तो वही एक व्यक्ति का है जैसे कि एक व्यक्ति को पडरौना में मिल दे दी गई है वह अयोग्य साबित हुआ है। इससे अच्छे तो यही है कि इन मिलों का संचालन इन संस्थाओं को दे दिया जाय तो अति उत्तम है।

इस प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबिला करने के लिये इस विधेयक में कोई प्राविजन नहीं रखे गये हैं। हमारे उद्योग सचिव विशेष परिस्थिति का ध्यान रख कर हमारे

मिल मालिकों को हर तरह से माफ करने के लिये तैयार हैं। यदि एक पैसा भी वसूल न हो और मिल मालिक बाहर चला जाय तो ऐसी सूरत में उस मिल का क्या होगा इसका प्राविजन इसमें नहीं है। ऐसी हालत में बेहतर होगा कि वह मिलें कारपोरेशन को या कोआपरेटिव संस्थाओं के सुपुर्द कर दी जायं जिससे उनका संचालन ठीक हो सके।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जनाबवाला, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, यह कि फैक्टरी किसके सुपुर्द की जाय और शुगर का प्रोडक्शन कौन करे, यह बातें प्राविंस के पास नहीं है। इनके लिये सेंट्रल कानून है। इस पर हम कानून नहीं बना सकते।

उन शुबहत के मुताल्लिक जो कि अभी जाहिर किये गये हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब ऐसी परिस्थिति होगी कि तमाम कोशिशों के बाद भी रुपया नहीं वसूल होगा उस समय हम कानून तो नहीं बना सकते लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं कि इस मिल को किसके सुपुर्द कर दिया जाय। अगर कोआपरेटिव सोसायटी उसे ठीक चला सकती है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि क्यों उसे रिकमेंड न किया जाय। जब रुपया वसूल नहीं होगा तो हम सेंटर को सलाह देंगे कि वह किसी को मुकर्रर करें, अगर सहकारी समिति उसे चलाने योग्य होगी तो वह, वरना और अब मुझे उम्मीद है कि रामनारायण जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष, मुझे दुख है कि माननीय सभासचिव महोदय ने इस संशोधन को ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। इस संशोधन का समर्थन करते हुये मैं उनका ध्यान पहली प्रतिबन्धात्मक दो लाइनों की ओर ले जाना चाहता हूं "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कलेक्टर द्वारा हर कार्यवाही करने के बाद भी मिल के अध्यासी से रुपया वसूल न हो सके" मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने कई बार यह कहा कि इसका इंडस्ट्रीज ऐक्ट से संबंध है जो सेंट्रल सबजेक्ट होने से वह केवल सिफारिश कर सकते हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि अगर मान लिया जाय कि रुपया उसने किसी भी हालत से नहीं दिया। कलेक्टर के पास केन कमिश्नर के पास से प्रमाणपत्र पहुंच गया और इस बिल में धारा १६ (४) के मुताबिक हम कलेक्टर को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह बकाया को मालगुजारी की तरह से वसूल करे। उसके बाद अटैचमेंट का आर्डर निकलेगा और लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूलयाबी से मतलब यह है कि मशीनरी की कुर्की हो सकती है। फिर तो कलेक्टर के हाथ में फैक्ट्री आ सकती है। वह उस समय इंडस्ट्रीज ऐक्ट को नहीं देखेगा। तो रामनारायण जी का संशोधन उस समय के लिये है जबकि फैक्टरी अटैच हो जाती है और मिलमालिक रुपया नहीं देता और फैक्टरी हाथ में आ जाती है। तो वह उसे नीलाम करे लेकिन रामनारायण जी यह सुझाव दे रहे हैं कि ऐसी सूरत में उस मिल को किसी सहकारी समिति या बोर्ड से चलवाया जाय। गन्ना सोसायटी को दे दें। मालूम नहीं इसके अन्दर कैसे इंडस्ट्रीज ऐक्ट बीच में आ गया। इस विधेयक में आपने मालगुजारी के तौर से वसूल करने का अधिकार दे दिया है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपने संशोधन के उसूल को मान लिया है, जब प्रान्तीय सरकार सिफारिश कर सकती है, जब कोआपरेटिव सोसायटी को वह दी जा सकती है तब तो आपने रामनारायण जी के संशोधन को एक तरह तो मान ही लिया है। अब रही इंडस्ट्री ऐक्ट की बात, उसका प्रश्न इसमें नहीं उठता इसलिये मुझे आशा है कि सफाई हो जाने के बाद आप इस संशोधन को मंजूर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं रामनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि इसका संबंध इस धारा से मालूम नहीं होता। एक तो वसूली का सवाल है। उपखंड (४) में किस प्रकार से वसूली की जाय उसका प्रोसीजर दिया है यह प्रतिबन्ध उसमें कहां लगता है। आपका यह एक स्वतंत्र खंड तो हो सकता है क्योंकि यह दूसरी बात है। इसके साथ प्रतिबन्ध के रूप में यह असंगत मालूम पड़ता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—धारा १६ में कई प्रज्ञायें बतलाई गयी हैं उसमें गन्ने के दामों के वसूली के बारे में भी कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, लेकिन इसमें वसूली का सवाल नहीं है यह तो इंतजाम का सवाल है। इसलिये इस पर केवल स्वतंत्र खंड के रूप में ही विचार हो सकता है। वैसे तो यह संशोधन ही इन आर्डर नहीं था लेकिन चूंकि इस पर बहस हो चुकी है इसलिये मैं इस पर विचार करने की अलग खंड के रूप में, अगर आप चाहें तो इजाजत दूंगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—अगर कोई दिक्कत न हो तो इसको स्वतंत्र खंड के रूप में ले लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अगर आपकी आज्ञा हो तो यह खंड १६ (क) के रूप में रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—धारा १६ के पश्चात् १६ (क) माननीय राम लखन जी का संशोधन है, उसके बाद आपका यह संशोधन १६ (ख) के रूप में लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६ (क)

गन्ने की खरीद पर कमीशन। १६ (क) (१) फैक्टरी द्वारा खरीद किये हुए गन्ने के प्रत्येक मन के लिये अध्यासी द्वारा कमीशन देय होगा,

(क) यदि गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति द्वारा खरीदारी की गयी हो तो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति और गन्ना विकास परिषद् को ऐसे अनुपात में कमीशन देय होगा जो राज्य सरकार प्रख्यापित करे किन्तु गन्ना विकास परिषद् को देय कमीशन का अंश पचास प्रतिशत से अधिक न होगा;

(ख) और यदि खरीदारी सीधी गन्ना उत्पादक से की गयी हो तो गन्ना विकास परिषद् को कमीशन देय होगा।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) और (ख) के अधीन कमीशन उन दरों से देय होगा जो नियत किया जाये, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ख) के अधीन निश्चित दर उस दर से अधिक नहीं होगी जिसके अनुसार खंड (क) के अधीन गन्ना विकास परिषद् को कमीशन देय हो।

(३) भुगतान (Payment) ब्याज और वसूली जिसके अन्तर्गत मालगुजारी की बकाया की वसूली भी है, से सम्बद्ध उपबंध जो गन्ना के मूल्य को प्रवृत्त होते हैं, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उपधारा (३) के अधीन कमीशन के भुगतान और वसूली को भी प्रवृत्त होंगे।

श्री रामलखन मिश्र—आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड १६ (क) के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द 'बकाया' तथा शब्द 'वसूली' के बीच में आये हुये शब्द 'कि' के स्थान पर शब्द 'के रूप में' रख दिये जायं।"

श्री अध्यक्ष—यह आपका दूसरा प्रश्न है और गन्ने की खरीद और कमीशन वगैरा का सवाल दूसरा है। मैं समझता हूं कि इसको आप बाद में रखें। माननीय राम नारायण जी जो रखना चाहते थे उस पर बहस जारी रहेगी। यह १६ . (क) के रूप में होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन तो मेरा बिलकुल साफ है और मैं आपका अनुगृहीत हूं कि थोड़ी बहुत वैधानिक दिक्कतें उसमें हो सकती हैं आपने उसमें सुधार कर दिया।

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह आपका जवाबी भाषण समझा जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां। मुझे तो कुछ अजीब सा मालूम होता है कि माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें कोई विशेष बात तो नहीं कही। मैं समझता हूं कि काफी बातें इस संबंध में श्री नारायणदत्त जी कह चुके हैं। उसमें न कोई प्रांतीय सरकार की ओर कानूनी रुकावट है कि कोई का रपोरेशन या सहकारी समितियों को दें। असलियत तो यह है कि एक आवश्यक प्राविजन इस बिल में छूट गया था। मुझे आशा है कि माननीय उद्योग सचिव जी अगर मुझे इसके लिये धन्यवाद नहीं देंगे तो कम से कम इसको मंजूर तो अवश्य कर लेंगे जिससे कि यह विधेयक एक तरह से पूरा हो सके। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय उद्योग सचिव इसको मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन इस तरह से कर दें।

खंड १६ के पश्चात् निम्नलिखित खंड १६–क होगा और जो खंड १६–क है वह ख हो जायगा। उसके बाद इस तरह से पढ़ा जायगा।

"यदि कलेक्टर द्वारा खंड १६ के अनुसार हर कार्यवाही करने के बाद भी मिल के अध्यासी से रुपया वसूल न हो सके तो अगले गन्ना पेराई के मौसम में राज्य सरकार द्वारा उक्त चीनी मिल का संचालन किसी सहकारी समिति या बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जायगा।"

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जैसा कि मैं अभी पहले कह चुका था, इससे मतलब तो उनका यही है कि अगर किसी सूरत में रुपया न वसूल हो सके तो मालगुजारी के बकाया के तौर पर कार्यवाही हो सके। जैसा कि श्री नारायणदत्त जी ने कहा यह तो सवाल ही नहीं होगा कि रुपये की वसूली में नीलाम कर दिया जाय। लेकिन बाज सूरत ऐसी हो सकती है कि नीलाम न करके उसे चलाने की जरूरत होती है और जब चलाना हुआ तो प्रोडक्शन का सवाल आता है और उसके लिये मिल चलाने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। हम उसमें सलाह देते रहते हैं जैसा कि इस वक्त भी होता है। जहां ज्यादा बकाया पड़ गया वहां हमने इस वक्त भी कई ऐसी मिलों के लिये सलाह दे रखी है कि उनके लिये कोई आदमी मुकर्रर कर दिया जाय या सहकारी समिति को दे दिया जाय जो गन्ने को पेरे। यह तो हम कर सकते हैं लेकिन उसे कानून की शक्ल में, सेक्शन की शक्ल में रखना मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं श्रीमन्, कि जब कोई मिल मालिक रुपया बिलकुल न दे और मिल की कुर्की करके मिल कलेक्टर के इन्तजाम में आ जाय तो फिर उस मिल के लिये क्या प्रबंध होगा वह कलेक्टर की मिल हो जायगी या केन सोसायटी की तरफ से वह चलेगी उसके लिये क्या कोई प्रोविजन इस बिल के अन्दर है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अगर यह जरूरी समझा जायगा कि वह मिल किसी के सुपुर्द कर दिया जाय तो उस सूरत में किसी आदमी को या किसी सहकारी समिति को उसे चलाने के लिये दे दिया जायगा। इसके लिये सेंटर से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से इसको कबूल नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ (क) खंड १६ (ख) पढ़ा जाय और निम्न-लिखित खंड १६ (क) उसके स्थान पर रख दिया जाय ?

"१६ (क) यदि कलेक्टर द्वारा खंड १६ के अनुसार हर कार्यवाही करने के बाद भी मिल के अध्यासी से रुपया वसूल न हो सके तो अगले गन्ना पेराई के मौसम में राज्य सरकार द्वारा उक्त चीनी मिल का संचालन किसी सरकारी समिति या बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ (क) के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "बकाया" तथा शब्द "वसूली" के बीच में आये हुये शब्द "की" के स्थान पर "शब्द के रूप में" रख दिये जायं।

यह पुराने लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में जिस स्थल पर है उसका यहां पर अनुकरण मात्र है। मुझे आशा है कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ (क) के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "बकाया" तथा शब्द "वसूली" के बीच में आये हुये शब्द "की" के स्थान पर शब्द "के रूप में" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६-(क) विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

फैक्टरियों में प्रयोगार्थ गन्ने के विभेदों को अनुपयुक्त प्रख्यापित करने का अधिकार

१७—(१) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि

(अ) विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने का कोई विभेद उक्त क्षेत्र में स्थित किसी फैक्टरी या सभी फैक्टरियों के लिये अनुपयुक्त है,

(ख) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी विभेद का पेड़ी वाला गन्ना (रैटून केन) उक्त क्षेत्र में स्थित सभी अथवा किसी फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त है, और

(ग) ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिये किसी विभेद के गन्ने का बीज अनुपयुक्त है,

(१-क) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति कलेण्डर वर्ष के ३१ दिसम्बर के बाद और पहली सितम्बर से पूर्व जारी की जायगी।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी विभेद के गन्ने का बीज जब उस क्षेत्र के किसानों में वितरण के लिये अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया जाय

फैक्टरी का अध्यासी, उसकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद अथवा ऐसे विभेदों के बीज को किसी भी व्यक्ति को, गन्ना उत्पादकों अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति किसी के सदस्यों द्वारा भी क्षेत्र में प्रयोग करने के लिये, वितरित न करेगी।

गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां।

(३) जब किसी भी विभेद का गन्ना अथवा पेड़ी का गन्ना फैक्टरी में प्रयोग के लिये उपधारा (१) के अधीन अनुपयुक्त प्रख्यापित कर दिया गया हो तो ऐसे फैक्ट्री का अध्यासी या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति इस विभेद का गन्ना न तो बोयेगी और न ऐसे विभेद के गन्ने की पेड़ी रक्खेगी।

श्री रतन लाल जैन—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड "१" के भाग "ख" की पंक्ति ३ में शब्द "सभी अथवा किसी" के स्थान पर शब्द "किसी या सभी" रख दिये जायं।

यह केवल एक शाब्दिक संशोधन है। भाषा की गलती है जिस तरह से इसमें रखा हुआ है वह ठीक नहीं है। बहुबचन के स्थान पर बहुवचन ही होना चाहिये। इसलिये यह संशोधन है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे यह संशोधन मंजूर है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति ३ में शब्द "सभी अथवा किसी" के स्थान पर शब्द "किसी या सभी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रतन लाल जैन—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड "१ क" की पंक्ति २ में शब्द "सितम्बर" के स्थान पर शब्द "जुलाई" रख दिया जाय।

इसमें यह रखा गया है कि जब सरकार यह समझेगी कि कोई गन्ना का बीज ठीक नहीं रह गया है और वह गन्ना नहीं बोया जाना चाहिये तो उसकी सूचना अगर जुलाई में उसको दे दी जाय तो ठीक है क्योंकि अगर किसी किसान के पास ऊख का बीज है या पेड़ी खड़ी है तो उसके लिये यह मौक़ा है कि वह रबी की फसल दूसरी उसमें बो सकता है। अगर बरसात बीत गई उस वक्त हुकुम गया तो उस समय उसके लिये असम्भव है कि दूसरी खेती हो सके। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो भी आदेश हो वह जुलाई के पहले जून में मिलना चाहिये ताकि किसानों को यह मौक़ा रहे कि उसकी जो गन्ने की पैदावार है अगर उसको फैक्टरी नहीं लेती है तो उसको जोतकर वह दूसरी फसल उसमें कर सके। अगर बरसात बीत गई और सितम्बर आ गया तो उसके लिये कोई मौका नहीं रहेगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसमें सितम्बर के बजाय जुलाई रख दिया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अभी जो कुछ कहा गया उससे मुझे पूरी हमदर्दी है और यह ठीक है कि अगर विज्ञप्ति पहले से जारी हो जायगी तो ठीक होगा और रेटून क्राप वग़ैरा के खेत काम में आ जायंगे लेकिन इसमें पहली सितम्बर तक रख देने के मानी यह नहीं हैं कि उससे पहले नहीं जारी की जायगी। कोशिश यही की जायगी कि जुलाई से ही यह काम शुरू कर दिया जाय और सितम्बर तक की तो हद रख दी गई है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आशा करता था कि माननीय सभासचिव जी श्री रतनलाल जैन का संशोधन अवश्य स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने जो एक वास्तविक और व्यावहारिक आपत्ति उठाई है कि बरसात में एक सितम्बर से पहले

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कोई आदेश निकालेंगे तो काश्तकार के लिये उस आदेश का लाभ उठाना असम्भव हो जायगा। मुझे भी अपने क्षेत्र का तजुर्बा है कि ३३१ नम्बर के गन्ने को सरकार ने कहा कि वह फ़ैक्ट-रियों के क़ाबिल नहीं है और उसको नामंजूर कर दिया लेकिन वह आर्डर देर में निकला और वह गन्ना पहले ही लगाया जा चुका था। इसका नतीजा वहाँ यह हुआ कि काश्तकारों का हजारों मन गन्ना नहीं लिया गया और जो कुछ लिया गया वह भी कम क़ीमत पर लिया गया और अब तक किसान को इस कठिनाई के कारण हानि उठानी पड़ रही है। वह खुद जब कहते हैं कि इसमें सितम्बर लिखा हुआ है लेकिन विज्ञप्ति जुलाई ही में निकाल दी जावेगी और जब वह स्वयं वह आवश्यकता महसूस करते हैं तो फिर बिल में सितम्बर रखने से क्या लाभ है। सितम्बर रखने से तो डिपार्टमेंट में और भी स्लेकनेस आ जायेगी और लोग जुलाई में न करके समझेंगे कि अभी तो सितम्बर तक का समय है और वह धीरे-धीरे करेंगे। इससे इन्क्वायरी करने वाले और रिसर्च करने वाले और काश्तकार सभी को सुविधा होगी। इस लिये "जुलाई" रखा जाना बहुत आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि इस मिली-जुली मांग को वह स्वीकार करेंगे और ठुकरायेंगे नहीं।

श्री रतन लाल जैन—मैं तो अर्ज पहले ही कर चुका हूं कि यह बहुत जरूरी है और आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि यह जो घोषणा है वह अगले साल के लिये होगी। यह सही है कि किसान की ख्वाहिश होती है कि जुलाई तक खेत खाली हो जाय लेकिन कुछ रुकावट पड़ जाय और बाद में कुछ हो जाय इसलिये यह रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा इसमें सितम्बर रखा जा रहा है, लेकिन कोशिश इसकी की जायगी जुलाई तक ही घोषणा हो जाय। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे वर्ना उससे बहुत दिक्क़त हो जायगी।

श्री रतन लाल जैन—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति के अन्त में शब्द "तो" रख दिया जाय।

इससे कुछ वाक्य-सौष्ठव बढ़ जाता है और वाक्य ठीक हो जाता है इसलिये आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति के अन्त में शब्द "तो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

गन्ने की बिक्री पर कर

(२) राज्यपाल, विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर उपभोग, प्रयोग अथवा बिक्री के लिये प्रवेश पाने वाले गन्ने पर अबवाब लगा सकते हैं, जो चार आने प्रति मन से अधिक न होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अबवाब किसी भी क्षेत्र में ऐसे गन्ने के प्रदेश पर नहीं लगाया या गा जिसकी बिक्री के संबंध में उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कर देय हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, किसी फ़ैक्टरी में ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिये प्रयुक्त अथवा प्रयोग किये जाने वाले गन्ने के संबंध में पूर्णतः अथवा अंशतः अबवाब में छूट दे सकती है।

(३) राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें वह प्राधिकारी जिसे कर अथवा अबवाब निर्धारण करने तथा वसूल करने का अधिकार हो तथा वह व्यक्ति जिससे और वह रीति जिसमें कर अथवा अबवाब वसूल किये जायेंगे, निर्दिष्ट होंगे।

(४) यदि इस धारा के अधीन कर अथवा अबवाब लगाने से पहले ही गन्ने की बिक्री के संबंध में अनुबन्ध हो गया हो तो बेचने वाले को अधिकार होगा कि ख़रीदार से संविद मूल्य (Contracted price) के अतिरिक्त उसके अंश के रूप में ऐसे कर और अबवाब की धनराशि भी वसूल करे जिसके लिये बेचने वाला उत्तरदायी है।

(५) जब कोई व्यक्ति कर अथवा अबवाब को बाक़ी रखे तो कर अथवा अबवाब वसूल करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी आदेश दे सकता है कि बक़ाया धनराशि के अतिरिक्त ऐसी धनराशि जो उक्त बकाया के १० प्रतिशत से अधिक न हो, शास्ति (penalty) के रूप में उस व्यक्ति से वसूल की जाय जिसके द्वारा कर अथवा अबवाब देय हो।

(६) कर अथवा अबवाब वसूल करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र कलेक्टर के पास भेज सकता है जिसमें संबद्ध व्यक्ति से बक़ाया के रूप में देय धनराशि निर्दिष्ट होगी और कलेक्टर उस व्यक्ति के प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो कि यह धनराशि मालगुजारी की बक़ाया हो।

(७) उपधारा (५) के अधीन शास्ति (penalty) के रूप में लगाई गई कोई भी धनराशि उस रीति से वसूल की जा सकेगी जिसमें उपधारा (६) में कर अथवा अबवाब की बक़ाया वसूल करने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री केशभान राय (ज़िला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय, उपखंड (२) से (७) तक को उपखंड (१) से (६) तक अंकित किया जाय, उपखंड (२) का प्रतिबन्ध "किन्तुदेय हो" हटा दिया जाय तथा उपखंडों (३), (४), (५), (६), तथा (७) में आये हुये "कर अथवा" और "कर और" शब्दावलियों को हटा दिया जाय।

इसके विषय में विशेष कुछ कहना नहीं है। यह साधारण भाषा संबंधी संशोधन है। इसकी आवश्यकता तो इसलिये पैदा हुई कि खंड १८ के उपखंड (१) को प्रवर समिति ने निकाल दिया है। उसे निकाल देने से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि यह संशोधन किया जाय।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष---१८ (१) है कहां, लेकिन। वह तो निकाल दिया गया है। सेलेक्ट कमेटी ने इसको निकाल दिया है।

श्री केशभान राय—उसके आगे भी है। उपखंड (२) का किन्तु प्रतिबन्ध "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अबवाब किसी भी क्षेत्र में ऐसे गल्ले के प्रवेश पर नहीं लगाया जायगा जिसकी बिक्री के संबंध में उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कर देय हो," यह निकाल दिया जाय, १८ (१) के निकाल देने से यह अनावश्यक हो जाता है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मुझे यह स्वीकार है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अबवाब.....देय हो," निकाल दिया जाय।

श्री केशभान राय—इसके बाद (३), (४), (५), (६), तथा (७) में आये हुये "कर अथवा" और "कर और" शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह भी स्वीकार है आप को?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—जी हां, स्वीकार है।

श्री केशभान राय—और धारा '५' और '६' के स्थान पर '४' और '५' कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तो मेरा काम है। जब यह मंजूर हो जायगा तो उसके बाद में सभी नम्बर बदल दूंगा।

तो माननीय उद्योग मंत्री पूर्ण स्वीकार करते हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—जी हां।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) से (७) तक को उपखंड (१) से (६) तक अंकित किया जाय। उपखंड (२) का प्रतिबन्ध "किन्तु" से लेकर "देय हो" तक हटा दिया जाय तथा उपखंडों (३), (४), (५), (६), तथा (७) में आये हुये शब्द "कर अथवा" और "कर और" हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

खंड १८ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "एक" रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मूलधारा १८ है उसके दूसरे उपखंड में यह है कि राज्यपाल विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर उपभोग, प्रयोग अथवा बिक्री के लिये प्रवेश पाने वाले गल्ले पर अबवाब लगा सकते हैं, जो चार आने प्रति मन से अधिक न होगा। तो मैं केवल इतना चाहता हूं कि चार आने के स्थान पर एक आना कर दिया जाय।

इस सरकार के बुजुर्गों की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने यह फैसला किया था आज से कई वर्ष पहले कि एक ही आना रखा जायगा। आध आने से शुरू किया गया था। माननीय काटजू साहब जो उस जमाने के उद्योग मंत्री थे हमारे प्रदेश के, उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया था और उस वक्त की सरकार ने फैसला किया था कि यह अबवाब दो पैसा प्रतिमन रखा जायगा। लेकिन वह बढ़ते बढ़ते एक आना हुआ और एक आने के बजाय वह ३ आना हुआ और ३ आने अब तक चला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जरूर नया है लेकिन दलीलें इस पर पहले से दी गयी हैं। मैं तो यह बतलाऊंगा कि चीनी के दाम पर क्या असर पड़ता है और कुछ अपने बुजुर्गों की राय में इस सरकार के सामने पेश करके उम्मीद करूंगा कि उनकी राय सरकार को अपने इस फैसले को बदलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जब चीनी की क़ीमत मुकर्रर होती है तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है उसमें पहले आइटम में केन कास्ट रखते हैं और एक वर्ष का उन्होंने हिसाब इस तरह से दिया है कि—

	रु०	आ.	पा.
केन कास्ट	१६	६	६
सेस	१	१४	३
कोआपरेटिव सोसाइटी कमीशन	०	३	६
पावर फ्यूएल एंड स्टोर्स	०	९	११
सैलरीज़ एंड वेजेज़	२	८	६
पैकिंग	०	१०	०
रिपेयर्स एंड रिनुवल्स	०	६	७
अदर ओवरहैड्स	०	८	४
इंटेरेस्ट	०	५	०
डेप्रिसिएशन	०	५	३

इस प्रकार ये २३ रु० १२ आने ४ पाई होते हैं। और इसमें उन्होंने प्रत्येक ब्लाक पर १० परसेंट प्राफिट लगाया और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी लगाई तो इस प्रकार कुल रक़म २७ रु०,८ आने, ३ पाई हुई और उसको २७ रु०आ० ८ आना मन चीनी का दाम उस वर्ष कर दिया गया। तो इसमें इतनी रक़मों को जोड़ने के बाद यह एक अच्छी रक़म केन सेस की हो जाती है। यह या तो गन्ना बोने वाले जो हैं यह मान लें कि उनकी पसीने की कमाई काट ली जाती है या यह कहा जाय कि कंज्यूमर के पाकेट से ले लिया जाता है। यानी दोनों में से कहीं से गई वह रक़म। तो इस संबंध में कुछ अपने बुजुर्गों की राय देकर माननीय उद्योग मंत्री जी से अपील करूंगा। इस संबंध में यह शुगर इंडियन टैरिफ बोर्ड जो १९५० में मुक़र्रर किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी राय मैं पढ़ना चाहता हूं—

"We are far from being satisfied with this explanation and we consider that this cess has so far been largely used for purposes of revenue. It is an accepted cannon of taxation that raw materials of industry should be exempted from tax though a small cess may be imposed on such raw material only if it is intended for the purpose of improving its yield of quality or marketing.'

यह शुगर टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट है, उनकी राय है। इसके अलावा एक पैनेल बिठाया गया था। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने एक पैनल बिठाया था सन् १९४६ में उसने यह कहा, उसमें भी हिन्दुस्तान के बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग थे—

"All local cesses on cane should be abolished if they are incompetable with the all India control and policy."

आल इंडिया कंट्रोल ऐंड पालिसी के संबंध में हमने शुगर टैरिफ बोर्ड जो इंडियन गवर्नमेंट ने मुक़र्रर किया था उसकी तरफ से राय मैंने आप की ख़िदमत में पेश की। अब यह जहां तक सरकारों का कहना है यह मैंने आप से निवेदन किया। शुगर मिल असोशियेसन जो चीनी का आज संगठन है सारे हिन्दुस्तान का उसने रिजोल्यूशन किया। यह मीटिंग आफ दि आल इंडिया एन्युअल शुगर मिल्स असोशियेशन हेल्ड आन फरवरी २८, १९५२ इन न्यू डेल्ही का रिजोल्यूशन है। इनका कहना है कि—

"All cesson cane is not being levied in any other sugar producing country its, imposition in India can be justified for the development of cane. This Associaton also desires to draw the attention of the State Governments of U. P. and Bihar to the recommendation of the Indian Tarrififf Board in their 1950 Report on the sugar industry to the effect that the 'Provincial Governments should contribute much larger sums, from the collections o

[श्री गेंदा सिंह]

cane cess than hitherto done as the benefit of research and development will be mostly derived by the Provinces. This Assocation therefore urges upon the State Governments which are charging cane cess to earmark the entire cess collections for cane development work."

इतना कहने के बाद मैं कुछ विशेष अपनी ओर से कहना नहीं चाहता हूं और मैं केवल यह कह कर के माननीय उद्योग सचिव जी को अपील करना चाहता हूं कि यह सरकार की राय हो चाहे न हो लेकिन इस सदन की राय है कि यह केन सेस का बोझ हटाया जाय । इसके पहले बहुत बहस हो चुकी है और केन सेस को किस काम में खर्च किया जाय इस पर भी बहुत बहस हो चुकी है। यह सरकार किसी भी हालत में इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि इस केन सेस को जेनरल रेवेन्यू में काम में न ला करके इस इंडस्ट्री की तरक्की में, गन्ना बोने वालों की तरक्की में खर्च किया जाय अगर सरकार इस सिद्धांत को मानने के लिये तैयार नहीं है तो फिर वैसी हालत में मैं समझता हूं कि इसके लिये उन्हें तैयार होना चाहिये कि बजाय ४ आने मन वह ले करके संतोष करे । अगर एक आने मन भी रहेगा तो मैं समझता हूं कि तब भी काफी रुपये की आमदनी सरकार को होगी और उस रुपये से भी जो सरकार अपना इरादा रखती है उस इरादे के अनुसार वह अपने प्रोग्राम को चला सकती है । मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब चीजों को उनकी खिदमत में पेश करने के बाद वे इसपर इस तरह से विचार नहीं करेंगे कि मैं पेश कर रहा हूं, गेंदा सिंह पेश कर रहे हैं, और इसलिये इस बात को नहीं मानना चाहिये । शुगर टैरिफ बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का सन् ५० का, शुगर पेनल सन् ४६ का और शुगर इंडस्ट्रीज इंक्वायरी कमेटी जो बनी उसके विचार मैंने उनके सामने पेश किये । मिल ओनर्स की असोशिएशन की तरफ से मैंने उसके विचार पेश किया और केन ग्रोवर्स की तरफ से मैं अपनी आवाज उनकी खिदमत में पेश करने का दावा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर वे गौर करेंगे और इस संशोधन को जो बहुत सीधा साधा संशोधन है स्वीकार करने की मेहरबानी करेंगे ।

श्री मोहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अध्यक्ष महोदय, न मालूम क्यों श्री गेंदा सिंह की बदगुमानी है कि जो कुछ उनकी बात उनकी तरफ से कही जायगी मानी ही जायगी । मुझे अफसोस है कि वह ऐसी बात पेश नहीं करते जो मानी जा सके । जो पहले ऐक्ट था उसमें ४ आने सेस मौजूद था वही रखा गया । ४ आने रखने के मानी यह नहीं होता है कि ४ आने लिये जायेंगे । इस वक्त ४ आने तक का प्राविजन है लेकिन ३ आने लिया गया । इस वक्त जब हम लोग पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट के काम फैले हुये हैं, हम को पैसों की जरूरत है, ऐसी हालत में ४ आने से १ आना कर देना मुनासिब नहीं है । मैं इसकी मुखालिफत करता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष,.....

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं एक विशेष प्रस्ताव रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—इसके बाद, आप बोल लें पहले ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् ,मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय सभा सचिव महोदय को यह आपत्ति हुई कि चूंकि पंच-वर्षीय योजना का अवसर है, डेवलपमेंट के लिये हमको रुपया चाहिये और इसलिये इस सेस को ४ आने रखना बड़ा आवश्यक है और इसीलिये उन्होंने इस संशोधन को नहीं माना । सेस की परिभाषा क्या है और रेवेन्यू की परिभाषा क्या है, इसको तो मैं समझता हूं कि माननीय सभा-सचिव अच्छी तरह से जानते हैं । अगर वे केन सेस का रुपया जनरल

डेवलपमेंट में लगाना चाहते हैं तो फिर सेस कहना वे छोड़ दें ? उसको वे यदि टेक्स कहें या लेवी कहें तो समझ में आ सकता है लेकिन सेस शब्द को दुरुपयोग न करें। जैसे सरकार हैंडलूम इंडस्ट्री में सेस लगा रही है। वह केवल हैंडलूम इंडस्ट्री के लिये लगाया जा रहा है। यह नहीं है कि सेस लगाया जा रहा है कपड़े पर और खर्च होगा जंगल बढ़ाने पर। सेस का का एक डेफिनिट परपज होता है। जैसा कि कल मैंने आकड़ों से साबित किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जितना सेस से रुपया मिलता है उसका एक बटे दस सरकार गन्ने के डेवलपमेंट पर लगाती रही है। माननीय गेंदा सिंह ने तो छूट दे दी है जो उन्होंने एक बटे चार रखा है। जब कि आप एक बटे दस ही खर्च करते हैं, आप एक बटे चार वसूल करेंगे। इस तरह से आप को बहुत आमदनी मिल जाती है। मैं श्रीमन् आप का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि अभी जो श्री केशभान राय जी का संशोधन माना गया है और उसके अनुसार जो प्रतिबन्ध हटा दिया गया है, उस प्रबन्ध में यह था कि जहां बिक्री कर लगेगा वहां सेस नहीं लगेगा। वह प्रतिबन्ध मैं पढ़े देता हूं, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अबवाब किसी भी क्षेत्र में ऐसे गन्ने के प्रवेश पर नहीं लगाया जायगा जिसकी बिक्री के संबंध में उपा-धारा (१) के अधीन लगाया करदेय हो। तो सरकार ने बहुत सोच समझकर बल्कि उस वक्त की पूरी सेलेक्ट कमेटी को माना कि एक आना सेस लग सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि इस अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ने कोई मेहरबानी नहीं की है। चूंकि यह पुराना प्रतिबन्ध था वह सर-कार का लाजिमी कर देता है एक आना गन्ने पर बिक्री कर लगाने पर। इसका मतलब यह था कि सरकार खुद इस बात को मानती है कि जो एक आना बिक्री कर है वह काफी है। इस बात को सिद्धान्ततः सरकार मान चुकी है। जिस प्रतिबन्ध से आप ने बिक्री को हटा दिया उसी प्रतिबन्ध को आप सेस में भी ले आइए और एक आना मान लीजिये। मैं समझता हूं कि जो सरकार पहले सिद्धान्तः मान चुकी है उसको दोहराने में कोई नुक्सान नहीं है।

बैठक के समय में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का सदन तब तक बैठा रहेगा जब तक कि यह मौजूदा बिल उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३, पास न हो जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आज के सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाय और सदन तब तक बैठे जब तक कि प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

खंड १८ (क्रमागत)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में तमाम बातों के साथ यह भी कहा कि इस सरकार की अनुमति हो या न हो इस सदन की अनुमति अवश्य ऐसी है कि अबवाब की दर ४ आने से १ आना कर दिया जाय। मैं मानता नहीं यदि गेंदा सिंह जी का विचार केवल ऐसे कुछ सदस्यों को सारा सदन समझने का हो या कि सरकार के साथ में सदन का ग्रह बहुत न हो कर कुछ साथी केवल चूंकि कुछ उनका हिस्सा या उनके कुछ साथी उसके पक्ष में हैं तो वह ऐसी बात कहते हैं।

करों के संबंध में एक बड़ी विचित्र बात इस सदन के सामने सुनने को मिलती है। बाहर जब करों का जिक्र होता है तब तो वह एक प्रकार से स्वीकार किया जाता है और यदि मैं गलती इस संबंध में नहीं करता तो मेरे मित्र जिस दल से संबंधित हैं उस दल के एक प्रमुख नेता

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

ने यह कहा था कि यदि सरकार को चलाने की आवश्यकता हुई और यदि हमको सरकार चलाने दिया जाय तो आज के करों से ६ गुने करों की हमको लेने की आवश्यकता पड़ेगी । मैं नहीं जानता, श्रीमन्, कि जो चीजें आज सदन के सामने रखी गईं उन तीनों चीजों को गेंदा सिंह जी ने रखा है। उन्होंने सन् ४६ की रिपोर्ट रखी, सन् ५० वाली रिपोर्ट रखी इससे पूर्व की भी एक रिपोर्ट रखी लेकिन मेरे मित्र शायद इस बात से परिचित हों कि डेलप्मेंट का कार्य सन् ५० से पश्चात् का कार्य है। उससे पहले की रिपोर्टों का संबंध डेवलपमेंट के कार्यों से नहीं है और मेरे मित्र शायद यह भी अनुभव करते हों जब कि वह यह कहते हैं कि इस सदन के मत से यह अबवाब अधिक है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके मत से यह डेवलपमेंट का कार्य आवश्यक है यानी यदि वह ऐसा विचारते हैं कि डेवलपमेंट का कार्य आवश्यक है तो फिर मैं उनसे यह मांग करूंगा कि इसके लिये धन की आवश्यकता की पूर्ति कहां से होगी । बहुत से सुझाव हमारे सदन के सामने आये हैं समय समय पर और मेरे मित्र के दल ने भी बहुत से सुझाव दिये हैं। किन्तु प्रश्न यह नहीं है कि वह सुझाव हमने दिये हैं या उन्होंने दिये हैं लेकिन, प्रश्न तो यह है कि निर्माण कार्य के लिये इस प्रदेश को इस सरकार को धन की आवश्यकता है और यदि वह धन यदि किसी पेड़ पर से तोड़ा जा सके तो हम अनुगृहीत होंगे और श्रीमन्, गेंदा सिंह जी हमें बतला दें । अगर वह धन अली बाबा की गुफाओं में से निकाला जा सके तो हम अनुग्रहीत होंगे और वह गुफा का द्वार बतला दें। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई वृक्ष या गुफा का द्वार नहीं है । हमें अपनी जनता से ही यह धन लेना पड़ेगा।

मैं यह स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता हूं कि धन लेना या धन की मांग करना यह दोनों अरुचिकर हैं। जो व्यक्ति यह कहता है कि धन की मांग न करे और धन को रोकना चाहता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से आयास मेरे मित्र ऐसी चीप पौप्लेरिटी लेने का प्रयास करते हैं जो उनको शोभा नहीं देता । मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि इस सरकार के बहुत से सदस्यों और इस दल के बहुत से सदस्यों को यह अरुचिकर है कि धन की मांग बढ़ा दी जाय और मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि निर्माण कार्य के लिये धन कहां से लायें। मैं समझता हूं कि किसी भी दल के लिये चीप पौपुलेरिटी या सहज में बड़प्पन लूटने की बात से अधिक सिद्धांत का प्रश्न है। यह सम्भव है कि हम जनता के सामने कुछ दिन अच्छे न रह सकें जैसे कि बहुत बार होता है । यदि किसी डाक्टर को आपरेशन करना पड़ता है तो उसके पिटने तक की नौबत आ जाती है । ऐसी स्थिति हो सकती है।

हम जनता के कार्य के लिये धन कहां से लायें। मैं श्री गेंदा सिंह जी से यह कहना चाहूंगा ? कि यदि उनको प्रचारात्मक कार्य करना है तो वह करें, हमें एतराज नहीं है लेकिन कटु सत्य को देखना है कि आखिर इस धन की पूर्ति हम कहां से करें । वह कोई मार्ग हमें बतलायें। यदि छोटे छोटे सेस के मामलों में हमारे भाषण चलते रहे और हमारा तरीक़ा, इस प्रकार का हो कि हम छुपा चोरी खेल खेल सकें या देख सकें और कहें कि हम करों का विरोध करते हैं और दूसरी ओर यह कहें कि धन की आवश्यकता है ? यदि हमारे पास सरकार आये तो हमें आज से छैगुने करों की आवश्यकता है तो मैं कहूंगा कि इस पर तो वह स्वयं ही विचार करें।

जहां तक चार आने वाली सेस की बात है तो जैसा कि माननीय उद्योग सचिव महोदय ने कहा कि इसमें आवश्यक नहीं है कि चार आने प्रति मन लगाया ही जायगा। किन्तु यदि उसके शब्द देखे जायं तो वह यह हैं कि चार आने प्रति मन से अधिक नहीं होगा अर्थात् वह एक आने मन भी हो सकता है, दो आने मन भी हो सकता है और दो पैसे मन भी हो सकता है। समय के अनुसार जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार से अबवाब का धन अधिक कम हो सकता है।

श्री नारायण दत्त जी ने जो एक बात कही उसको सदन विचार ले। उन्होंने कहा कि चूंकि यह प्रतिबन्ध एक सदस्य द्वारा निकाल दिया गया है इसलिये उसका अर्थ यह हो गया कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है कि एक आने मन से अधिक नहीं लगायें। मैं समझता हूं कि उनका यह तर्क उनके ही विरुद्ध है। जब प्रतिबन्ध निकल गया है तो यह प्रावीजन ही कहां रहता है?

आज खंड २ इस प्रकार है कि "राज्यपाल विज्ञप्ति द्वारा ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर उपभोग, प्रयोग अथवा बिक्री के लिये प्रवेश पाने वाले गन्ने पर अबवाब लगा सकते हैं जो चार आने प्रति मन से अधिक नहीं होगा।" इसका प्रतिबन्ध निकल गया। इसके बाद जो सिद्धान्त मेरे मित्र ने रखा था वह समाप्त हो जाता है। वह सैद्धान्तिक रूप से भी ग़लत है और जैसा कि उन्होंने समझा उससे भी ग़लत है। वह सीधा साधा यह था कि १८ के खंड (१) जो सिद्धान्त १२ पाई प्रति मन से अधिक बिक्री कर नहीं लगाया जायगा इसके पश्चात् अबवाब वाला प्रावीजन था तो राज्य सरकार की शायद ऐसी मंशा थी कि यदि बिक्री कर लगता है तो उस क्षेत्र में अबवाब न लिया जाय। वह सैद्धान्तिक रूप से ठीक था। यह ग़लत सिद्धांत है कि अगर बिक्री कर १ आना प्रति मन है तो अबवाब १ आने से अधिक नहीं लिया जायगा। सवाल ऐसा था कि दोनों कर एक साथ वसूल न किये जावें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी की सेवा में कहना चाहता हूं कि जो कुछ वह यहां कहते हैं, चाहे प्रचार की या दूसरी दृष्टि से कहते हों, उनको पूरी स्वतंत्रता है कि वह कहें, और यदि वह यह मानते हैं कि इस देश के निर्माण में उनका भी हाथ है, जैसा कि उन्हें मानना चाहिये, तो मैं उनकी सेवा में निवेदन करूंगा कि वह इस कर के संबंध में गम्भीरता से विचार करें। जो भी कर लगाये जाते हैं, मैं बार बार कह चुका हूं कि ये किसी इच्छा से नहीं वरन् अनिच्छा से ही लगाये जाते हैं और इसलिये लगाये जाते हैं कि देश का और इस प्रदेश का निर्माण करना है ताकि भविष्य में आगे बढ़ने वाले प्रदेशों में हमारा प्रदेश अग्रणीय हो। इसी इच्छा से बहुसंख्यक सदस्य सरकार का साथ देते हैं। उसे स्वेच्छा से सहयोग देते हैं, किसी जबरदस्ती या जोर से नहीं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो नहीं थी कि प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में कुछ और बातें कही जातीं लेकिन अभी अभी जो माननीय सदस्य कुछ कह गये हैं और कुछ प्रश्न भी पूछे गये हैं, यह जरूरत प्रतीत होती है कि कम से कम उन्हें यह बता दिया जाय कि उन प्रश्नों के जवाब क्या हैं। करों के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुये आप ने एक दृष्टांत दिया और यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के किसी नेता ने यह कभी कहा था कि डेवलप करने के लिये ६ गुना तक कर लगाया जा सकता है यदि उस नेता के हाथ में देश की बागडोर आवे। माननीय सदस्य ने केवल यही कहा कि ६ गुना कर लगाया जा सकता है, उसके नीचे नहीं पढ़ा कि किस पर लगाया जा सकता है। उसमें यह नहीं लिखा कि यह कर लिया जायगा भूखे तड़पते हुये लोगों से जो ओले, पत्थर, बाढ़ और अन्य ऐसी ही विपत्तियों में ग्रस्त हैं। उसके लिये तो उसमें साफ लिखा था कि जो कर देने लायक़ हों, जो राज्य में मुनाफ़ा कमाते हों, उन पर यह कर लगाया जायगा। आप ने पूछा कि माननीय गेंदा सिंह जी बतलावें कि वह अलीबाबा की गुफा कहां है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम तो बहुत दिनों से बतलाते चले आये हैं कि आप को दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बतलाता हूं कि आप के देश में अली बाबा की गुफा टाटा और बिरला के घर में है जहां से आय करके रूप में या अन्य रूप में अपनी आवश्यकता के अनुसार रुपया ले सकते हैं। मैं आप से कहता हूं कि वहां तो ४० ही थे लेकिन आप के देश ४० से भी ज्यादा ऐसे हैं जिनका आप नाम नोट कर सकते हैं और जितनी सम्पत्ति अली बाबा वाले केस में मिली उससे कहीं ज्यादा आप उनके यहां से ले सकते हैं। मैं आप से यह कहूंगा कि अली बाबा की गुफा की बात कह कर सिर्फ यह कह देना कि नेताओं ने कहा कि ६ गुना कर लगाया जाय, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसमें तो आप को बुद्धि से और तर्क से काम लेना होगा और इसी विचार से ओत-प्रोत होकर तर्क-युक्त और बुद्धि

[श्री रामेश्वर लाल]

युक्त संशोधन माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है। मैं फ़िर माननीय सदस्यों को अली बाबा और ४० चोरों की याद दिलाता हुआ साथी गेंदासिंह का जो संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव उसका समर्थन करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय लक्ष्मी रमण जी के भाषण को बहुत गौर से सुना। अली बाबा वाली बात का जिक्र तो अब न करूंगा लेकिन एक पेड़ के बारे में जरूर कहना चाहता हूं जिसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने ऐसा कहा कि एक ऐसा पेड़ बता दिया जाय जिसको हिला कर पैसा गिरा दिया करें और उससे सारे देश का काम चल जाय। माननीय लक्ष्मी रमण जी मथुरा के रहने वाले हैं और अगर कल्प वृक्ष कहीं हो सकता है तो वहीं हो सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अब तो वह रेगिस्तान होने जा रहा है।

श्री गेंदा सिंह—जहां तक रेगिस्तान का सवाल है जब तक हम और लक्ष्मीरमण जी हैं हम उसको रेगिस्तान बनता भी होगा तो नहीं बनने देंगे और अगर उस रेगिस्तान को रोकने के लिये पैसा और कर तो क्या अगर शरीर देने की आवश्यकता होगी तो वह भी दे देने में हम नहीं चूकेंगे। लेकिन हमें माननीय लक्ष्मी रमण जी को यह विश्वास दिलाना है कि यह जो सेस इकट्ठा किया जायगा वह जायेगा कहां। मैंने बहुत कोशिश की इस अबवाब की रक़म को सही काम में खर्च होने के लिए और जिन मदों को हम अपने दिमाग़ से सही समझते हैं उन को बताने का यत्न किया लेकिन मुझे दुःख है कि हमारी एक भी बात न मानी गयी। अब उन बातों को मंजूर न कर के माननीय लक्ष्मी रमण जी यह कैसे कहते हैं कि हम विरोध न करें और सरकार से कहें कि वह कर न लगायें, यह हमारे साथ ज्यादती है। हम जब कहते हैं कि ठीक ढंग से रक़म खर्च नहीं होती तो हमको ग़लत तौर पर समझाने की कोशिश की जाती है और इसलिये हम मजबूर हो कर उसका विरोध करते हैं। और मैंने शुरू में कह दिया कि अपने विचार मैंने नहीं कहे, कुछ बुजुर्गों की राय आप के सामने पेश कर दी, कुछ शुगर कमेटी इन्क्वायरी में बैठे उनकी राय है, कुछ शुगर मिल मालिकों की राय है, कुछ पेनल में बैठे थे, उनकी राय है, और उनका यह कहना है कि यह इस तरह का टैक्स लगाया जाना एक बड़ा भारी अनर्थ है। जिस वक्त मैंने उसके अंश को पढ़ा था तो या तो मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया कि श्री लक्ष्मी रमण जी उसको समझ पाते या उन्होंने उसको सुना ही नहीं। उसमें स्पष्ट था कि इस तरह की कोई रकम अबवाब की कच्चे माल पर नहीं लगायी जाती। उन्होंने कहा कि ऐसे मुल्क में नहीं होता और किसी भी इंडस्ट्री के कच्चे माल पर अबवाब नहीं लगाया जाता जबकि गन्ने के किसानों को इस देश में ज्यादा सुविधायें दी जाती हैं। अच्छा खाद, पैदावार बढ़ाने की सारी सुविधायें तथा अच्छी सड़कें और जाने आने के साधन दिये जाते हैं लेकिन इस प्रकार का कोई ये सेस नहीं लगाया जाता। यह मेरी राय नहीं है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है तो जब कहीं लगता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या हक है क्या वह समूचे देश की सरकारों से कोई कम लायक सरकार बनना चाहती है? अगर वह कम लायक नहीं है तो मैं उससे उम्मीद करूंगा कि उसको इस पर गौर करना चाहिये और अपने ही बुजुर्ग की राय पर उसे गौर करने चाहिये। वे न मानें हमारी बातें। हम जानते हैं कि माननीय उद्योग सचिव जी तुले हुये बैठे हैं कि अगर हम दिन को दिन कहेंगे तो उसको वे रात जरूर कहेंगे और अगर हम रात को रात कहेंगे तो उसे वे दिन कहेंगे। अब वह बदकिस्मती हमारी है, और हम कैसे कहें बदकिस्मती उनकी भी है लेकिन है बदकिस्मती सभी की। जो सही बात है उसे भी सही मानने के लिये माननीय उद्योग सचिव जी तैयार नहीं हैं। यहां पर लोगों का कल्प वृक्ष वगैरह की बात कहना यह ठीक नहीं है। बृक्ष जैसा कि माननीय रामेश्वर लाल जी ने बतलाया कि वृक्ष तो हैं ही हमारे देश में। हम यह नहीं कह सकते

कि सरकार कर न लगावे। अगर कर नहीं लगावेगी तो सरकार चलेगी केसे? लेकिन जो उनके खर्चे का तरीका है, हम क्षमा चाहते हैं लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी से क्योंकि वे ही सारे रुपये पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, वे फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, वे नाराज हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि रुपये के हिसाब किताब रखने और उसके खर्च करने में बड़े शऊर की जरूरत होती है जिसकी आज हमारे देश में बहुत कमी है। अगर ठीक ढंग से खर्च होता तो हमारे यहां जो गरीबी, अनएम्पलायमेंट है, और जो हमें रोज उलाहना मिलती है, कि अगर अकाल पड़ जायगा तो कहां से पैसा आयेगा, यह कोई बहुत गौरव की बात नहीं है कि सरकार के किसी कोने में हर साल अकाल आदि पड़ा करे। कहा जाता है कि अगर कहीं तुम्हारे देवरिया में ही अकाल पड़ गया तो कहां से पैसा आयेगा अगर कर न लगावें। मैं कहता हूं कि आप इसके लिये ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि अकाल ही न पड़े। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मैं अल्लादीन का चिराग जलाना चाहता हूं लेकिन मैं अल्लादीन का चिराग नहीं जलाना चाहता हूं और न अली बाबा वाला पेड़ ही लगाना चाहता हूं। बड़ी सीधी सादी बात है और अपने बुजुर्गों की राय है कि जब मुसीबत आती है तो उससे कुछ लाभ उठावें। देश में जब कोई संकट आता है तो उस संकट से आदमी लाभ उठाता है। लेकिन सरकार के ऊपर जब संकट आता है तो वह उससे लाभ उठाने की बात नहीं सोचती है। अकाल आया चला गया, बाढ़ आयी चली गयी। फिर उसके बाद सरकार इस बात को छोड़ देती है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिये। वह अपना बस्ता बांध कर रख देती है और जब तक फिर संकट न आ जाय तब तक वह बस्ता नहीं खोलती है। माननीय उद्योग सचिव जी शायद सोच रहे हैं कि मैं अप्रासंगिक बात कर रहा हूं। लेकिन मैं कोई अप्रासंगिक बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो कर लगाने के सिद्धान्त की बात करता हूं। जब सरकार कर लगा सकती है तो जरूर कर लगावे और उससे करदाताओं की तकलीफ को रफा करे। लेकिन सरकार कर दाताओं की तकलीफों को रफा नहीं कर रही है। हां, कुछ थोड़े से लोगों की तकलीफों को वह जरूर रफा करती है या उन्हें आराम देती है। जैसे अंग्रेजी राज्य के जमाने में चौकीदारों को तीन रुपया मिलता था और आज ५ रुपया मिलता है। इसी इंडस्ट्रीज में ही कामदार को इतनी कम तनख्वाह दी जाती है जिससे कि हमारा सारा काम खराब हो जाता है, उसको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है कि उसे अपने को मेंटेन करने के लिये रिश्वत लिये बिना काम नहीं चलता। और इसलिये वह रिश्वतें लेता है,

श्री अध्यक्ष—आप आगे बढ़ गये।

श्री गेंदा सिंह—तो इसलिये सोचा गया है कि इस इंडस्ट्री को तरक्की देने लिये इस पैसे का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो। इसलिये मेरे संशोधन पास जितनी शक्ति है को लगाकर मैं इसका विरोध करता हूं और इसको जानते हुये कि माननीय उद्योग सचिव जी इस बात को दिल से चाहे पसन्द न करते हों लेकिन तब भी वह हमारी बात को नहीं मानेंगे। इस आशा से रखता हूं कि इस वक्त तो वह न मानेंगे लेकिन आज जब रात को सोयेंगे तो सोचेंगे कि बात तो ठीक कहता था लेकिन हमने माना नहीं मुमकिन है इससे आगे चल कर कुछ किसानों को दाम ठीक से मिल जाय और सरकार का भी फायदा हो जाय। इस आशा से मैं यह संशोधन रखता हूं और मैं समझता हूं कि अगर उतना भी कार्य हो जायगा तो मुझे संतोष होगा।

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—जनाबवाला, अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने जो तकरीर की है उसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वह सब इससे पहले वाले संशोधन पर कही जा चुकी हैं और कोई ऐसी नई बात नहीं कही है जिस पर मुझे कुछ कहना है। टैक्स लगाने के बारे में तो मैंने कहा कि फाइव ईयर प्लान हमारा चल रहा है उसके सिलसिले में हमें पैसे की जरूरत है। यह शुगर डेवलपमेंट का कार्य उससे

[श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री]

अलग नहीं है और इसी वजह से सबेरे तीन-चौथाई विकास परिषदों को देने वाला उनका संशोधन मंजूर नहीं किया गया था। इस वक्त डेवलपमेंट कामों के लिये और और कामों के लिये पैसे की जरूरत है और इसलिये इसको ४ आने घटाकर एक आना नहीं किया जा सकता और न वह मुनासिब है। इसके अलावा जो टैक्स लगाया जाता है वह देख लिया जाता है कि कहां तक मुनासिब है। यह कोई नई चीज नहीं है बल्कि जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें भी ४ आने था। उसको ही यहां पर रख दिया गया। पहले भी तीन आने लिया गया था और यह जरूरी नहीं है कि अब ४ आने लिया ही जायगा। मेरे दोस्त किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कहते हैं तो मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसी तरह से नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सरकार उनको फायदा पहुंचाना चाहती है। दरअसल शुगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट उनका भी डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के काम को नजर में रखते हुये मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि हाउस चार आने के रेट को मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "एक" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १८ के अन्त में नया उप-खंड निम्न प्रकार से रख दिया जाय ---

"(८) उक्त अबवाब की रकम उस वक्त तक वसूल न की जा सकेगी जब तक ईख का दाम बाकी पड़ा हो।"

मैं जो यहां यह रखना चाहता हूं वह इसलिये कि जब तक गन्ने का दाम किसानों का बाकी हो तब तक सरकार अपना केन सेस वसूल न करे। और मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी बात इसमें चाहता हूं कि किसानों को प्रायोरिटी दी जाय उनको रुपया देने में। सरकार को उस सेस फैक्टरी वाले रोक नहीं सकते हैं चाहे फैक्टरी भी नीलाम हो जाय लेकिन काश्तकारों के पैसे क लिये दिक्कत पड़ती है और उसमें कानूनी कठिनाई भी आती है और हाईकोर्ट से इस तरह इन्जंक्शन आर्डर भी आ जाता है इसके अलावा और भी दिक्कत आती है। इस वास्ते मैं उन काश्तकारों के पैसे के लिये प्रायोरिटी चाहता हूं कि उनके पैसे के लिये प्रायोरिटी दी जाय। केनसेस से तो वसूल हो ही जायगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समूचे विधयक क पास होत समय यह संशोधन तो स्वीकार किया ही जायगा और हमारे माननीय उपसचिव इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---मुझे अफसोस है कि मैं यह संशोधन मंजूर नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि जैसा उन्होंने खुद कहा कि सरकार को रुपया तो वसूल हो जायगा लेकिन किसानों का पड़ा रहेगा। नहीं मालूम वह इस बात को कैसे समझते हैं कि ऐसा होगा। सरकार काश्तकारों के रुपये को भी उतना ही जरूरी समझती है क्योंकि इस विधेयक में कोई जगह पर यह बात कही गयी है कि काश्तकारों के गन्ने को रकम माल-गुजारी की तरह से वसूल की जायेगी। इससे यह साफ मालूम होता है कि सरकार यह नहीं समझती कि सरकार की रकम पहले वसूल हो जाय और काश्तकारों की बाद में। अभी मिलों में बहुत सी शुगर इकट्ठा हो गयी थी। १४ लाख मन के करीब पैदा हो गयी थी। उसको थोड़ा थोड़ा करके बाजार में निकाला और रुपया भी दिलवाया। यह नहीं किया कि सरकार ने अपना वसूल किया और किसानों का बाकी रहा। यह बिला जरूरत की चीज मालूम होती है। यह तो होता ही रहता है। किसानों का जो मामला है वह सब से पहले आता है। दरअसल किसानों के फायदे में और सरकार के बाद फायदे में कोई

फर्क नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग को खोलकर इसको देखा जाय तो इस तरह के संशोधन देने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि इस तरह के संशाधन से बदगुमानी पैदा होती है। इस वजह से मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री गेंदा सिंह—मुझे अफसोस है कि यह संशोधन माननीय उद्योग मंत्री ने स्वीकार नहीं किया। जो बात उन्होंने कही वह यही कही है कि क्यों गलतफहमी हो रही है। मैं देखता हूं कि हर मामले में वही उनकी एक राय है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि किसानों के रुपये के लिये प्रायोरिटी दी जाय। अगर कोई इसमें आगे आनेवाली कठिनाई नहीं है तो माननीय मंत्री जी को मान लेने में क्या कठिनाई थी। बिला वजह माननीय उपसचिव जो कहते हैं वह ठीक है। मैं सिवाय इसके और क्या कह सकता हूं कि मेरी बदनसीबी है और केन ग्रोवर की कि उपसचिव जी इसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैं इस संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के अन्त में नया उपखंड निम्नप्रकार से रख दिया जाय—

"(८) उक्त अबवाब की रकम उस वक्त तक वसूल न की जा सकेगी जब तक ईख का दाम बाकी पड़ा हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

इस अधिनियम के प्रयाजन के लिये अध्यासी का अवधारण।

१९—(१) जब किसी फैक्टरी का अध्यासी कोई भी फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय (एसोसियेशन) हो तो उसके साझेदारों अथवा सदस्यों में से किसी [भी] एक या उससे अधिक व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन उन अपराधों में से किसी के लिये भी, जिसके लिये फैक्टरी का अध्यासी दंडनीय हो, अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे दंड दिया जा सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फर्म अथवा समवाय (एसोसियेशन) कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी एक सदस्य को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये फैक्टरी का अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा व्यक्ति तब तक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी समझा जायगा जब तक कि उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक फर्म अथवा समवाय में उसकी साझेदारी अथवा सदस्यता समाप्त न हो जाय।

(२) जब फैक्टरी का अध्यासी कोई कम्पनी हो तो उसके किसी एक या एक से अधिक संचालक (डायरेक्टर) पर, अथवा निजी कम्पनी हो तो उसके किसी हिस्सेदार पर किसी भी अपराध के लिये, जिसके लिये फैक्टरी का अध्यासी दंडनीय हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अभियोग चलाया जा सकता है और उसे दंड दिया जा सकता है,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनी कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी संचालक को अथवा निजी कम्पनी की

दशा में किसी हिस्सेदार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा संचालक अथवा हिस्सेदार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी समझा जायगा जब तक उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक उसकी संचालकता अथवा हिस्सेदारी समाप्त न हो जाय ।

श्री गेंदा सिंह--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) तथा (२) के प्रतिबन्ध हटा दिये जायं ।

इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस धारा १९ में यह लिखा है कि "जब कि फैक्टरी का अध्यासी कोई भी फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य समवाय (एसोसियेशन) हो तो उसके साझेदारों अथवा सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन उन अपराधों में से किसी के लिये भी जिसके लिये फैक्टरी का अध्यासी दंडनीय हो, अभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे दंड दिया जा सकता है । अब इसके बाद यह प्रतिबन्ध है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनी कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी संचालक को अथवा निजी कम्पनी की दशा में किसी हिस्सेदार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा सचालक अथवा हिस्सेदार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यासी समझा जायगा जब तक उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक उसकी संचालकता अथवा हिस्सेदारी समाप्त न हो जाय।"

तो मैं इसमें संशोधन केवल इसलिये करना चाहता हूं कि जहां पर फैक्टरी के मालिक चालक हैं वह यह करते हैं कि आकुपायर ऐसे आदमी को मुकर्रर कर देते हैं कि जो आदमी दो महीने के लिये जेल भी जाने को तैयार हो और जुर्माना भी हो जाय तो वह सब बरदाश्त कर ले और जुर्माना मालिक चाहे खुद ही दे देते हैं । ऐसे आकुपायर से वह हर किस्म के नाजायज काम कराया करते हैं और जब कभी मुकदमा चलता है तो वह उसी अध्यासी पर चलता है और जो उस कुकर्म की जड़ होती है वह पीछे से छिपे-छिपे काम करती है और वह १०००, ८००) रुपया माहवार लेकर उन तमाम कुकर्मों की ढाल बने रहते हैं और वह किसी काम के करने से डरते नहीं हैं । मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय उद्योग सचिव जी से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या वह बतला सकते हैं कि वह लोग कहां कहां पर ऐसा करते हैं । इसमें कोई बात नहीं है कि जो इन्कार करने लायक हो । मैं समझता हूं कि इस प्रतिबन्ध को रख कर माननीय उद्योग मंत्री जी खुद अपने को परेशानी में डालेंगे । इसको मान जायं तो अच्छा है और न मानें तो उनको अधिकार है ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री गेंदा सिंह जी ने कही है उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा कि उसमें सिर्फ जेल की ही सजा नहीं रखी गई है कि वह किसी बोगस आदमी का नाम लिख दें और उसमें उसके साथ जुरमाना भी रखा गया है और वह चाहे किसी को नामजद कर दें लेकिन जो भी हजार ५०० रुपया जुर्माना होगा वह उन पर पड़ेगा यानी मालिक पर और वह बच नहीं सकते । अगर ऐसे बीच में जुर्माने की सजा न होती तो यह अन्देशा सही होता कि किसी आकुपायर का नाम लिख देंगे और उसको दो सौ चार सौ रुपया महीना वह दे दिया करेंगे और खुद मनमानी करते रहेंगे । इस मसले पर सेलेक्ट कमेटी में भी काफी गौर हो चुका है और वहां भी यही राय थी । मैं समझता हूं कि यह आप का अन्देशा निराधार है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से कहूंगा कि मैं इस संशोधन को वापस नहीं ले सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि इस प्रतिबन्ध के न रहने से जाने क्या कुकर्म होने वाले हैं। उनको समझ में यह बात कुछ दिन बाद आवेगी और उन्होंने जो कहा है कि इसमें जेल और जुर्माने की सजा की गुंजाइश है तो क्या मेरा जो आगे संशोधन है उसको वह मान लेंगे जिसमें कहा गया है कि "अथवा" के बजाय और रखा जाय। आपने इस में मैजिस्ट्रेट को डिसक्रिशनरी पावर दी है। वह चाहे जुर्माने की सजा दे या जेल की सजा दे दे।

मैं अब मैजिस्ट्रेटों के लिए क्या कहूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन मैजिस्ट्रेटों के ऊपर कोई दबाव न होता तो क्या गोकुलनगर, पडरौना, और कठकुइयां का पैसा बाकी रह जाता। जिस दिन अध्यासी गिरफ्तार होकर अदालत के कमरे में आते, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके बाद कोई मिल मालिक हिम्मत नहीं करता कि किसानों का पैसा बाकी रखे। लेकिन मैं जानता हूं कि यह नहीं होने वाला है। मेरी बदकिस्मती है कि माननीय उद्योग मन्त्री जी मान नहीं सकते। मैं अपील तो कर ही नहीं सकता कि वह मान जायं, लेकिन जो कुछ इसका नतीजा होगा वह थोड़े दिनों के बाद सामने आ जायगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अब मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) और (२) के प्रतिबन्ध हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

२०—(१) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने या दिये गये नियम अथवा आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास का दण्ड जो ६ महीने तक हो सकता है, अथवा अर्थदण्ड का, जो ५,००० रु० से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करता रहे तो प्रत्येक उस दिन के लिए जब-जब उल्लंघन करे वह ऐसे अधिक अर्थदण्ड का भागी होगा जो १,००० रुपये से अधिक न होगा। शास्ति (Penalty)

(२) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत विशेष रूप से और इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की सुनवाई करने वाले प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिए यह वैध होगा कि इस अधिनियम के अधीन अपराधी निर्णित किये गये किसी व्यक्ति पर ऐसा दण्ड लगाये, जो पांच हजार रुपये से अधिक न होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड २० के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "कारावास" के पहिले "कठिन" शब्द बढ़ा दिया जाय तथा पंक्ति ३ के अंक "६" और पंक्ति ४ के अंक "५,०००" के स्थान पर क्रमशः "१२" और "१०,०००" रख दिया जाय।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा। "१२" के स्थान पर "३" वर्ष कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा में मेरा यह संशोधन है, उसमें कारावास शब्द का जिक्र है। कारावास साधारण भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसे अपराधों जिनका तजुर्बा माननीय उद्योग सचिव को पिछले कई वर्षों से हो रहा है और जिनको पाबन्द करने के लिए एक के बाद दूसरी धाराएं इस विधेयक में रखी गयी हैं, अगर साधारण सजा दी गयी तो उन पर कोई विशेष असर नहीं होगा। साधारण सजा तो बिलकुल एक डिटेंशन की तरह होता है। जेल के नियमों के अनुसार उसमें घर से सब सामान मंगा कर खाने की सुविधा होती है। जब कि गेंदा सिंह जी ने बतलाया कि ऐसे भी नकली अध्यासी मिल जाते हैं तो उनको एक डिटेंशन की हालत में आराम से खाने पीने की जहां सुविधा हो तो भय है कि वह इस सजा को कोई खास चीज नहीं समझेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां साधारण सजा है वहां पर कठिन कारावास कर दिया जाय।

उपस्थित विधेयक में जेल की सजा सिर्फ छः महीने रखी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे दल की तरफ से कई बार बतलाया जा चुका है कि मिल मालिक या पैसे वाले जुरमाने से कभी नहीं डरते। सजा से डरते हैं। जब कारावास की व्यवस्था है तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और यह छ : महीने की कोई सजा नहीं है। यूं तो इस धारा के अनुसार मैजिस्ट्रेट को हक है कि एक महीने की सजा दे या छः महीने की। लेकिन अगर ऐसे भीषण अपराध हैं, गुरुतर अपराध हैं, जिनमें मैजिस्ट्रेट यह समझता है कि ६ महीने की सजा काफी नहीं है, और वह ३ वर्ष तक बढ़ाना चाहता है या अधिक बढ़ाना चाहता है तो उसको इस विधेयक के अनुसार दिक्कत पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मन्त्री को ६ महीने के बजाय ३ वर्ष रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि उसमें कम से कम या ज्यादा से ज्यादा का सवाल नहीं है। मैजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि वह एक ही महीने की सजा दे।

दूसरा विषय जो मेरे संशोधन का है यह है कि ५ हजार रुपया जो जुर्माना रखा गया है उसको मैंने रखा है कि १० हजार कर देना चाहिए। और यह संशोधन मेरा उपस्थित हो जाता तो १० हजार की जगह मैं १ लाख रखता लेकिन उसका महत्व नहीं। सिर्फ दूना रख दिया इसलिए कि जिन लोगों का इससे सम्बन्ध है वह बहुत ही होशियार लोग हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में वाद विवाद में अध्यक्ष महोदय आपने देखा होगा कि कुर्की भी कटी है, वारन्ट भी कटा है, बैंक में हिसाब भी नहीं है और मिल भी चलती जाती है। अध्यक्ष महोदय, जितना रुपया होता है, बैंक से निकाल कर या दूसरी जगह रख कर वह लोग सरकार को धोखे में डालना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सख्त सजा होगी, ५,००० रु० के बजाय १०,००० रु० जुर्माना होगा तो वह भी उसी उद्देश्य के लिए पुष्टिकर होगा जिसको माननीय उद्योग मन्त्री ५,००० रु० रख कर करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने अखबारों में देखा होगा कि अभी काश्मीर में कुछ दिनों पहले नमक लोगों ने नायब कर दिया था बाजार से और उस समय श्रीनगर के भरे बाजार में ऐसे लोगों को कोड़े लगाये गये थे। पाकिस्तान ऐसी हुकूमत जिसके लिए हमारी सरकार यह कहती है कि वहां सख्ती नहीं बरती जाती और हम से उनकी हुकूमत अच्छी नहीं है वहां भी कराची में ब्लैक मार्केटियर्स को कोड़े लगाये गये भरी सभा में और बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया। तो ऐसे किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा जिनके बारे में एक्सपर्टस् ने हिसाब लगाया है कि हर मन गन्ने की कीमत दो रुपया और सवा दो रुपया से कम नहीं होती तो उनको तो जो मिलता है वह मेहनत की कमाई में मिलता है, उनको तो १ रु० ३ आना और १ रु० ५ आने से ज्यादा गन्ने की कीमत नहीं मिलती है। मुझे तो हंसी आती है जब मैं कन्ट्रोल की दूकान पर लकड़ी खरीदने जाता हूं। वहां एक रुपया दस या बारह आने मन लकड़ी मिलती है और जब किसान गन्ना बेचने जाता है तो उसको एक रुपया पांच आने या साढ़े आठ आने मिलते हैं

यानी लकड़ी से भी, जो गन्ना उत्पन्न करता है उसे कम कीमत दी जाती है। तो विशेष परिस्थितियों में माननीय उद्योग मन्त्री जानते हैं कि गन्ने की खेती करनेमें कितना परिश्रम होता है। तो अगर इतने परिश्रम से उत्पन्न किये हुए गन्ने का रुपया वह न दे और कानून की पाबन्दियों को न माने तो जितनी सख्त सजा हो वह कर देनी चाहिए और यह जरूरी नहीं है कि ३ वर्ष ही सजा दी जाय या १० हजार ही जुर्माना किया जाय। मैं तो एक मैक्सिमम लिमिट रख देना चाहता हूं। यह संशोधन उसी मंशा के आधार पर है जिसके आधार पर ५ हजार रुपया जुर्माना और ६ महीने की सजा रखी गयी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय उद्योग सचिव इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसको कठिन सजा करने का ताल्लुक है मैं यह अर्ज करूंगा कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट के सेक्शन २४ के मातहत इम्प्रिजन्मेंट के बारे में यह है कि—

"Imprisonment of either description as defined in the Indian penal Code."

तो उसके बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि वह सख्त सजा भी दे सकता है, और सिम्पिल भी दे सकता है, उसमें मना नहीं है। अब बाकी रहा यह कि उसको ६ को १२ से बदल दिया जाय और ५,००० को १०,००० कर दिया जाय तो उस पर सेलेक्ट कमेटी ने काफी . . .

श्री अध्यक्ष—६ महीने को ३ साल करना चाहते हैं। ६ को १२ नहीं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—तो यह जो रखी गयी है इसके अन्दर सजा वह बहुत काफी गौर करने के बाद सेलेक्ट कमेटी ने और सब लोगों ने इसको मुनासिब समझ कर रखा है। मैं समझता हूं यह काफी है। जिस मकसद के लिए यह रखा गया है उसके लिए यह बिलकुल काफी है। आप ख्वामख्वाह ऐसी चीज न रख दें कि जिसको कभी अमल में भी न ला सकें, यह ठीक नहीं है। यह ५ हजार जो है और अगर उसके बाद कान्टिनुइंग ब्रोच के लिए अलग रख दिया गया है तो इसके लिए यह काफी है जिसका कि अन्देशा आपको है। मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं समझा कि जब मैं सिर्फ इस पर जोर देता हूं कि मैजिस्ट्रेट को यह भी अख्तियार हो कि वह चाहे तो इतनी भी सजा दे सकता है तो जब वह ५ हजार रुपया की सजा देने का अख्तियार देते हैं तो इसमें उनको क्या दिक्कत होती है। अगर कोई गुरुतर अपराध निकल आये तो मैजिस्ट्रेट के हाथ क्यों बांधे जायं। तो यह एक ऐसी समस्या है कि जिस पर माननीय उद्योग मन्त्री जी ने प्रकाश नहीं डाला। मैं समझता हूं कि वह फिर एक दफा इस पर गौर करके इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैं समझता हूं कि जुडिशियरी के हाथ को बांधना मैजिस्ट्रेट या करे या न करे, यह ठीक नहीं है। उसको डिस्क्रीशन रहना चाहिए। इसको वह देखे और जिस डिग्री का अपराध वह समझे उसकी सजा दे। मैं अब भी इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "कारावास" के पहिले "कठिन" शब्द बढ़ा दिया जाय तथा पंक्ति ३ के अंक "६" और पंक्ति ४ के अंक "५,०००" के स्थान पर क्रमशः "३ वर्ष" और "१०,०००" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २९ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में "अथवा" के स्थान पर "और" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—२० है यह, २९ गलत छपा है।

श्री गेंदासिंह—जी हां, खंड २०। यह इस तरह से हो जायगा कि "यदि किसी फैक्टरी का अध्यासी अथवा प्रबन्धक या खरीदारी एजेंट कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने या दिये गये नियम अथवा आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंधन करता है तो वह कारावास का दण्ड जो ६ महीने तक हो सकता है, और अर्थ दण्ड का जो ५ हजार रु० से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करता रहे तो प्रत्येक उस दिन के लिए जब-जब उल्लंघन करे वह ऐसे अधिक अर्थदण्ड का भागी होगा जो १,००० रु० से अधिक न होगा"।

तो यहां जहां पर यह "अथवा" लिखा हुआ है, जो ६ महीने तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड का जो ५ हजार रु० से अधिक न होगा, यहां पर "अथवा" की जगह "और" चाहता हूं कि "और" बढ़ा दिया जाय और इसका नतीजा यह होगा कि जो बहस अभी मैंने उद्योग सचिव जी ने जैसा बताया है, सुनी है, कि मैजिस्ट्रेट का कोई हाथ इसमें नहीं बंधेगा, वह जो चाहेगा वह करेगा। एक बस इसमें इतना ही है कि जेलखाने की सजा देना उसके लिए लाजिमी होगी कि जेलखाने की सजा जरूर दे चाहे १५ दिन की ही क्यों न दे, १ दिन की ही क्यों न दे। ६ महीने के भीतर उसको देना है। जी में आये जुर्माना करे या न करे, यह दूसरी बात है, लेकिन जेलखाने की सजा देना जरूरी होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह आपका इन आर्डर कुछ मालूम नहीं होता। आप का अर्थ यह है कि दोनों देना होगा?

श्री गेंदासिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—अथवा दोनों का भागी होगा यही शब्द है आगे।

श्री गेंदासिंह—अब अध्यक्ष महोदय, संशोधन का अर्थ यह है कि उसके लिए लाजिमी हो जाय जेलखाने की सजा देना।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि यह दूसरा "अथवा" शब्द भी काटना पड़ेगा। आपके संशोधन में यह अर्थ नहीं निकलता। वह कान्ट्रैडिक्टरी हो जाता है। अगर आप यह चाहते हैं कि दोनों का भागी हो उसका उसमें यह करना होगा कि जो ६ महीने तक हो सकता है और अर्थ दण्ड का जो इतने से अधिक नहीं होगा दोनों का भागी होगा। यानी "अथवा" दूसरी जगह भी काट देना पड़ेगा। यहां का "अथवा" भी काटना पड़ेगा। पहले "अथवा" के स्थान पर "और" रखना पड़ेगा और दूसरा "अथवा" काटना पड़ेगा। यह दोनों मिलाकर कहें तो हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—जी हां। वैसे ही समझ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं तो यह समझता हूं कि अगर आपका ही संशोधन केवल मान लिया जाय तो परस्पर विरोध-सा हो जाता है। इसलिए दोनों 'अथवा' को हटाना पड़ेगा और पहले अथवा की जगह "और" शब्द रखना पड़ेगा।

श्री गेंदासिंह—तो यह संशोधन, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं, कि स्वीकार होने वाला है। इसके वाक्य को जिस तरह से शुद्ध किया जा सके वह आप कर लेंगे। इस पर मैं अधिक न कह कर.....

श्री अध्यक्ष—यह केवल शाब्दिक फर्क नहीं है। आपके संशोधन में कुछ और फर्क हो जाता है। "अथवा" दूसरी जगह काट देने से सजा तथा अर्थ दण्ड दोनों लाजिमी हो जाते हैं और अगर "अथवा" दूसरी जगह न काटें तो लाजिमी नहीं होते। आप का संशोधन इस तरह होगा कि खंड २० के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में "अथवा" के स्थान पर "और" रख दिया जाय और पंक्ति ५ में "अथवा" हटा दिया जाय। इस तरह से आप का संशोधन हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—तो ऐसा ही हमारा संशोधन समझा जाय। मैं माननीय उद्योग सचिव से यह निवेदन करता हूं कि इसमें कोई झंझट नहीं है। फिर भी मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार रहता है कि वह कम से कम सजा दे। कोई मजबूरी उसकी नहीं है कि वह पूरी सजा दे। वह चाहे तो एक दिन की सजा दे। लेकिन इतना जरूर है कि एक दिन की सजा का खौफ माननीय उद्योग सचिव जी के बहुत से कामों को हल कर देगा। इस लिए मैं इस समय ज्यादा नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार होने वाला है। इस-लिए माननीय उद्योग सचिव जी इसपर अपनी स्वीकृति देदें तो अच्छा है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जैसा कि इससे पहले संशोधन के सिलसिले में मैंने कहा था कि इसका अख्तियार मैजिस्ट्रेट को ही रहे तो अच्छा है, कि वह मुनासिब समझे तो जेल की सजा दे और मुनासिब समझे तो जुर्माने की सजा दे और कम समझे तो कम दे और ज्यादा समझे तो ज्यादा दे। उसके हाथ को बांधना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि गेंदा सिंह जी ने पहले जो कहा था अगर उसको वे ध्यान में रखते तो यह संशोधन उनको फुजूल सा मालूम होता। उन्होंने कहा कि मिल के जो मालिक होंगे, वे किसी ऐसे वैसे आदमी को आक्युपायर बना देंगे और वह जुर्माना दे देगा, इससे क्या फायदा होगा। वही चीज इस सिलसिले में भी हो सकती है। इस तरह अगर कोई असली आदमी नहीं है, कोई बोगस आदमी है तो उसको आप जेल क्यों भिजवायेंगे। इसलिए मैजिस्ट्रेट के हाथ बांधने की मेरी राय नहीं है। इसकी मैं मुखालिफत करता हूं।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं पाता हूं माननीय उद्योग सचिव जी को। मैंने कुछ कहा और उन्होंने मुझे कु छ और ही समझ लिया। मैं तो यह कह रहा हूं कि मैजिस्ट्रेट का हाथ बांध दिया जाय कि वह जेलखाने की जरूर सजा दे। वे कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट का हाथ नहीं बांधना चाहिए।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि वह अध्यासी जो गलत आदमी होगा वह जेल जाने में अपनी खुशी मानेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह गलत अध्यासी जुर्माने की सजा भुगत लेगा, लेकिन अगर जेलखाना जाने की नौबत आयेगी तो वह गलत अध्यासी बनने के लिए नहीं तैयार होगा। गलत अध्यासी बनने की प्रवृत्ति में जोर न हो, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जेलखाने की सजा को लाजिमी जरूर कर दिया जाय। मैं जो कहता हूं उसको बदकिस्मती मेरी यह है कि मैं समझा नहीं पाता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, फिर मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहूंगा कि जहां लोहे की जंजीर से मिल मालिकों के छू जाने की नौबत आती है, वहां हमारी सरकार घबड़ा उठती है। सरकार यह समझती है कि अगर कोई मिल मालिक जंजीर से छू गया तो उसकी सारी आबरू बिगड़ गयी और उसकी नाक कट गयी। हमें जेलखाना भेजने में यह सरकार अपनी शान समझती है। हम तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलने वाले थे, और आज भी कोई बहुत ज्यादा सिद्धान्तहीन तरीके से लड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए तो जेलखाने के लिए वह ताजीरात हिन्द की दुनिया भर की सजायें रखना चाहती हैं, लेकिन मिल मालिकों के लिए अगर हम कहते हैं कि एक दिन जेलखाने भेजने के लिए इसमें रख दीजिए तो उसके लिए माननीय उद्योग सचिव जी बहुत घबड़ाते हैं।

[श्री गेंदा सिंह]

मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप सिर्फ इतनी गुन्जाइश कर दीजिये मैजिस्ट्रेट के लिए कि अगर वह सजा देना चाहें तो दे दे। कानून में हमने देखा है कि सख्त सजा देने को भी लिखा हुआ है और यह भी लिखा हुआ है कि जेलखाने की सजा दी जाय या दोनों सजायें दी जायं। इसलिए इस कानून में इस बात की गुन्जाइश क्यों की जाती है, इस खरीद बिक्री वाले कानून में कि किसी मिल मालिक को जेलखाना जाने की नौबत न आये और इस कानून को बनाने के लिए सरकार बड़ी उतावली है। मैं अपनी बात कह चुका हूं। आगे वह उनको जेलखाने भेजवाने के लिए तैयार नहीं तो न भेजवायें।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मझे कुछ नहीं अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में "अथवा" के स्थान पर "और" रख दिया जाय तथा पंक्ति ४ में शब्द "अथवा" हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे एक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—अभी तो उन्होंने संशोधन पेश ही नहीं किया है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड २० के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय —

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभियुक्त को मुकदमे की पैरवी के लिये वकालतन हाजिरी की सुविधा नहीं दी जायेगी।"

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त का संशोधन यह है कि किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभियुक्त को मुकदमे की पैरवी के लिए वकालतन हाजिरी की सुविधा नहीं दी जायगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस बात की सुविधा दी गयी है कि किसी भी मुकदमे में अगर मैजिस्ट्रेट समझे, जिस किस्म का मुलजिम हो, उस हिसाब से दफा २४० है गालिबन, उसके द्वारा उसकी हाजिरी माफ हो सकती है। इसलिए यदि यह संशोधन मान लिया जायगा तो यह क्रिमिनल प्रोसिज्योर कोड में अमेंडमेंट करने तक जाता है जो कि इस सदन के अधिकार के बाहर है। इसलिए मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि यह संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—क्रिमिनल प्रोसिज्योर कोड तो यहां है नहीं। उसका यह जो सेक्शन है उसी की रू से यह तय हो सकता है कि उसके विरुद्ध कोई अमेंडमेंट यहां आ सकता है या नहीं आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—कौन सी यह दफा है? उसे आप पढ़ कर सुनायें।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह दफा देखनी है, वह किताब उनके पास है नहीं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में एक बात कहनी है कि कांस्टीटचूशन की दफा २२ में प्रोवाइडेड है कि जो आदमी गिरफ्तार किया जायगा उसको २४ घंटे के अन्दर कोर्ट के अन्दर पेश होना चाहिए। इससे भी माननीय गेंदा सिंह जी का जो अमेंडमेंट है वह आउट आफ आर्डर है।

सेक्शन २२ फन्डामेंटल ऐक्ट में यह है।

श्री अध्यक्ष—इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कह रहे हैं गालिबन ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष उसको हाजिर होना पड़ेगा। (कुछ ठहरकर) मेरे सामने एक वैधानिक, प्रश्न अभी अभी पेश किया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को तो उन्होंने पेश नहीं किया कि इसमें कहां यह चीज है कि मैजिस्ट्रेट को लाजिमी यह करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज उन्होंने नहीं बतलायी है और मैं समझता हूं कि यह सुविधा देना लाजिमी है। ऐसा कोई प्रतिबन्ध कोड में नहीं है, यदि मैजिस्ट्रेट चाहे तो दे सकता है। इस तरह की चीज इसमें मौजूद है। किसी कानून के जरिये से अगर आप यह कर देते हैं और यह सुविधा हटा दी जाती है तो मैजिस्ट्रेट इससे बाध्य हो जाता है और बाध्य करने का अधिकार इस सदन को है। जब तक मुझे संविधान की कोई ऐसी बात माननीय सदस्य नहीं बतला देते कि फ़न्डामेन्टल राइट्स में वह चीज आती है तब तक मैं यह नहीं मान सकता हूं कि सदन को इस प्रकार के कानून पास करने का अधिकार नहीं है।

मैं और भी आप को बतला देना चाहता हूं कि एक अधिनियम में वकील को भी पेश होने का अधिकार नहीं है। वकील के जरिये से कार्यवाही न करें ऐसा पंचायत ऐक्ट में कहीं नियम है। यहां तक जब सदन जा सकता है कि वकील को मामला पेश करने का अधिकार किसी परिस्थिति में न दें। प्रस्तुत प्रश्न में ऐसी बात नहीं है कि वह कह रहे हों कि वह खुद हाजिर हों और वकील न आ सके। वकील के साथ अगर वह हाजिर हो जाय तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुलजिम को स्वयं हाजिर होना ही पड़ेगा। इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगा देने में कोई अवैध बात नहीं होती है। मैं उनको इजाजत देता हूं कि वह अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने निर्णय दिया है ऐसा ही मैं भी समझ रहा था। कभी मेरा इरादा यह नहीं था कि उसको वकील करने से रोक दिया जाय। वह वकील अवश्य करे, और इसमें कोई अवैधानिक बात नहीं होती है और न विधान का ही प्रश्न उठता है।

इस संशोधन पर अधिक समय न लेकर मैं माननीय उद्योग सचिव का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पर हठ किया जाय कि इस संशोधन को न माना जाय। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिस पर मुकदमा चले और जिसको अध्यासी बनाया जाय तो वह कम से कम अदालत में हाजिर तो हो। अदालत के सामने कटघरे में हाजिर होने में उन्हें कुछ तकलीफ मालूम होती है क्योंकि वह एक मरतबा गये और मैजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त दे दी कि हमें हमेशा हार्ट की तकलीफ रहती है और यदि कहीं एक सार्टिफिकेट हासिल कर लिया तो फिर तो मैजिस्ट्रेट कह देते हैं कि हार्ट की तकलीफ पाने वाला आदमी नहीं आ सकता है। इसलिए उनको हाजरी से मुस्तस्ना कर देते हैं। इससे सालों मुकदमे लड़ते हैं। वकील को खड़ा कर देते हैं और पैरवी के लिए उसको दस रुपया दे देते हैं क्योंकि उनके पास रुपये की तो कोई कमी नहीं है। इसलिए इस तरह से इस विधेयक का उद्देश्य भी सफल नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जाती तौर पर हाजिर होने के लिए अगर मजबूर कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो श्री गेंदा सिंह जी ने कहा वह मेरी समझ में नहीं आयी कि वह खुद हाजिर होंगे तो मुकदमा जल्दी खत्म हो जायगा और वकील के जरिये देर कैसे हो जायगी। यदि खुद हाजिर हों तब भी देर हो सकती है और न हाजिर हों तब भी देर हो सकती है। इसलिए खुद हाजिर होने से इसका कोई ताल्लुक मालूम नहीं होता है।

अगर उनका यह मतलब है कि वे कोर्ट में आते हैं और वे असर वाले लोग होते हैं तो ज्यादा असर होगा कलेक्टर पर, तो उनका यह अन्देशा फुजूल है। हम इस बात को जानते हैं और हमको फक्र है कि हमारे यहां की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसलिये कोई उसका असर नहीं मालूम होता और मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सवाल है, मेरे लायक दोस्त को कुछ दिक्कत पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने उसे देखा, पढ़ा नहीं है। उसमें यह सहूलियत हर उस मुलजिम को दी गयी है जो या तो बुड्ढा हो या पर्दा नशीन औरत हो अथवा इतना बीमार हो कि वह कचेहरी में न जा सके। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा कानून है जो इन्साफ के उसूल पर बना हुआ है। इसमें किसी ऐसे मुलजिम की हाजिरी वकालतन नहीं हो सकती है जो परदानशीन न हो, इतना बुड्ढा न हो कि उसे चलने में दिक्कत हो या इतना बीमार न हो कि अदालत न जा सके। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से मनुष्यता का प्वाइन्ट आफ व्यू भी गायब हो जाता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि जब तक वह इस किताब को जिसे संशोधन करने का अधिकार भारत की पार्लियामेंट को है, अच्छी तरह से समझ न सकें, वह निर्णय करें, कि इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—इस प्रश्न पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने की जरूरत नहीं समझता था, लेकिन यह जो संशोधन अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है इसमें एक सिद्धांत का प्रश्न निहित है। किसी मुलजिम का न्यायालय में वकालतन पैरवी के लिए उपस्थित होना विशेष परिस्थितियों में देखा जाता है। यह आम तौर से नहीं होता है। माननीय गेंदा सिंह जी ने जिस विचार से यह संशोधन रखा है, उस विचार की भी पूर्ति इससे नहीं हो सकेगी। वह उस व्यक्ति को जो सामूहिक रूप से या नैतिक रूप से अपराधी है, चाहते हैं कि मजबूर किया जाय कि वह अदालत में हाजिर आवे। हम मानते हैं कि यह होना चाहिए लेकिन इससे भी जघन्य पाप करने वाले व्यक्ति जब कभी अदालत के सामने अभियुक्त के रूप में खड़ा होता है उसके लिए यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, मरडर और डकैती के केसेज जैसे हैं और दूसरे आई०पी०सी० के मामलों में, उसमें यह प्रतिबन्ध रखा जाता है कि वकालतन पैरवी की इजाजत दी जाती है और अदालत विशेष परिस्थिति में यह आज्ञा देती हैं कि वह एक या दो तारीखों के लिए उसकी वकालतन पैरवी स्वीकार करते हैं। हम समझते हैं कि इसके लिए यह प्रतिबन्ध लगाना, इसके लिए यह संशोधन उपस्थित करना उचित नहीं है। मानवता के ख्याल से भी मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी इसको वापस लेंगे।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मानवता का ध्यान मैं सदैव रखता हूं और मानवता के कल्याण के ख्याल से मैंने ऐसा संशोधन उपस्थित किया था। एक तो मानवता मिल मालिकों के महल में है, जिसने किसानों का लाखों रुपया बकाया रख लिया है और बकाया रख कर गुलछर्रे उड़ाता फिरता है जब वह बाकी रखता है तो वह मिल पर भी नहीं रहता। यहां लखनऊ रहता है, आप ही के अगल बगल में रहता है, यहां से उठा तो नैनी ताल, शिमला या बम्बई चला जाता है। वह मिल पर नहीं रहता। उसकी मानवता यहां चलायी जाती है और उधर किसानों की मानवता रौंदी जाती है। मालगुजारी की वसूली में उसकी मानवता रोज रौंदी जाती है। यहां तक कि जब हमने पिछले मर्तबा यह कहा कि अगर कोई काश्तकार पकड़ा जाय और उसका वारंट गिरफ्तारी का हो तो अगर वह अपनी रकम फौरन अदा कर दे तो उसको छोड़ दिया जाय लेकिन इस हुकूमत ने उसे पसन्द नहीं किया। उन्होंने उसके लिए किया कि जब तक उसकी कमर में रस्सी लगा कर १० : १५ मील तहसील तक न खदेड़ा जाय तब तक रुपया वसूल न किया जाय। यह मानवता की एक नजीर है। उस समय मैं चिल्ला रहा था और मिश्र जी भी मौजूद थे, लेकिन उस मानवता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। बहुतेरी चीख पुकार की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रूल्स में रख दिया गया कि अगर चपरासी पकड़ ले तो उसका रुपया नहीं ले सकता उसको, जरूर ही तहसील में ले जाया जावेगा। और वहीं पर रुपया वसूल करने के बाद उसे छोड़ा जायगा। मैं यह कह रहा था कि एक कसूरमन्द आदमी जो हजारों आदमियों की गाढ़ी कमाई की रकम लेकर गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसके लिए इतना कर दिया जाय कि अदालत में वह स्वयं हाजिर है। उद्योग सचिव जी ने कहा कि मुकदमा तो तब भी लंबा चल सकता है। लेकिन उन्होंने यह गलत सोचा है। नाम

तो क्या बताऊं वक्त लगेगा लेकिन ऐसे लोग हैं जो यहां इरादा करके अगल बगल घूम रहे हैं और मुकदमे के मुलजिम हैं और पकड़े नहीं जा रहे हैं और अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे मुअंड हैं, हेल ऐन्ड हार्टी हैं, लेकिन वहां पर कोई दूसरा ही वकील पैरवी कर रहा है। मैं डाक्टर नहीं हूं और न माननीय उद्योग सचिव ही डाक्टर हैं।

इसके बाद सी० आर० पी० सी० की बात कही गयी कि उसमें हमने देखा ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ बीमार लोगों को और इनफर्म लोगों को ही इजाजत दी गयी है। इसके बाद माननीय उद्योग सचिव ने अपनी जुडिशियरी नाज जाहिर किया। हमें भी अपनी हिन्दोस्तान की जूडिशियरी पर नाज है लेकिन हुजूर वाला यहां की मैजिस्ट्रेसी तो ईमानदार बनना चाहती है लेकिन उसको ऊपर वाले ईमानदार बनने दें तब न। उनके ऊपर दबाव के उदाहरण पेश कर सकता हूं। अगर कोई मैजिस्ट्रेट चाहता है कि उसको हाजिर कराया जाय तो उसका तबादला कर दिया जाता है। मैजिस्ट्रेसी के ऊपर अभिमान करना तो ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि मैजिस्ट्रेसी स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पाती है। क्या यहां जो कुछ कहा जा रहा है इतना सब कुछ कहने पर भी आवश्यक बातें भी नहीं मानी जा रही हैं। तो क्या इसका असर मैजिस्ट्रेसी पर न पड़ेगा? क्या इसका असर न पड़ेगा कि जाती हाजिरी आप जरूरी नहीं समझते। और आज तक जो हाजिर कराये जाते थे वे भी नहीं हाजिर करा सकेंगे। मैं माननीय उद्योग सचिव जी से इतना कह कर कि वे मान नहीं सकते इस बात को, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जिन लोगों के लिए वे उम्मीद करते थे कि वे आज तक बराबर हाजिर थे, इस संशोधन को मान लेने को बाद वे नहीं जा सकते। एक दो तारीख के बाद वे इस गैरकानूनी काम के लिए दण्ड देने को तैयार हो जावेंगे। सरकार के सामने आकर जुर्माना दे देंगे। लेकिन इस सरकार को जो मंजूर हो वह करे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—अभी इतनी लम्बी तकरीर सुनने के बाद भी मैंने समझा नहीं कि वह लखनऊ में या नैनीताल में घूमता रहेगा तो उसका मुकदमें पर क्या असर पड़ेगा। वकालतन वह हाजिर हो जायगा और उसको जो सजा मिलेगी उसे भुगतेगा। लखनऊ में हो या नैनीताल में हो अगर जेल की उसे सजा होगी तो वह वहां से गिरफ्तार होकर आ जायेगा और अगर जुर्माने की सजा होगी तो भी वह लखनऊ या नैनीताल से वसूल हो जायगी। इसलिए इसकी कोई जरूरत मुझे मालूम नहीं हुई। इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसिज्योर कोड की जो दिक्कत बतलायी गयी है, वह भी एक बात है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभियुक्त को मुकदमे की पैरवी के लिए वकालतन हाजिरी की सुविधा नहीं दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं—

खंड २० के रेखांकित उपखंड (२) के आरम्भ में निम्नलिखित वाक्य जोड़ कर उसे खंड २१-क में परिगणित कर दिया जाय :—

"क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १८९८, (Code of Criminal Procedure, 1898) की धारा ३२ में किसी बात के होते हुए भी।"

कारण यह है कि जितने भी क्रिमिनल केसेज चलेंगे वे सब के सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत ही चलेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत जो विधान है उसका पालन करना पड़ेगा। जब तक कि उसके सम्बन्ध में कोई बात यहां नहीं आ जाती है तब तक यहां का जो भी नियम बना है उस पर लागू नहीं होगा।

[श्री रामलखन मिश्र]

यह एक अड़चन है, यह बिलकुल छूआ कारतूस रहेगा। बहुत आवश्यक बात है इस लिए ये शब्द आवश्यक हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—इस तरह का संशोधन मैं समझता हूं कि श्री राम नरेश जी देख रहे हैं कि पहलें यह संशोधन स्वीकृत हुआ है। इसमें 'भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के होते हुए भी' यह शब्द आये हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के होते हुए भी यह सदन उसकी बात से बाध्य नहीं होता है, यह स्पष्ट हो जाता है।

प्रश्न यह है कि खंड २० के रेखांकित उपखंड (२) के आरम्भ में निम्नलिखित वाक्य जोड़ कर उसे खंड २१-क में परिगणित कर दिया जाय—

"क्रिनिमल प्रोसीजर कोड, १८९८ (Code of criminal procedure, 1898)

की धारा ३२ में किसी बात के होते हुए भी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड २० के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अधिनियम" के बाद शब्द "अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गयी आज्ञा" जोड़ दिये जायं।

श्रीमन्, हम अगर खंड २० को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो इसके उपखंड १ के अनुसार कोई व्यक्ति यदि इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो सजा का दोषी होगा, लेकिन नियमों के उल्लंघन आदि का कोई जिक्र नहीं है। सेलेक्ट कमेटी में जाने से पहले ड्राफ्ट जो इस धारा का था, वह इस प्रकार था :—यदि किसी फैक्टरी का अध्यासी अथवा प्रबन्धक या खरीदारी एजेन्ट इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने या दिये गये नियम अथवा आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास का दण्ड, जो ६ महीने तक हो सकता है . . .". लेकिन इसको बदल कर जो अब रखा गया है वह इस प्रकार है :—"यदि (किसी फैक्टरी का अध्यासी अथवा प्रबन्धक या खरीदारी एजेंट) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के . . ." तो इसमें केवल ऐक्ट का जिक्र रखा गया है। रूल्स का नहीं तो इस संशोधन का माना जाना बहुत आवश्यक है ताकि यह उपखंड १ के अनुसार ही उपखंड २ भी हो जाय। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान पुराने फैक्टरी कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा ३० की उपधारा ३ की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है :—

"In making any rule under sub-section one or two the State Government. may provide that a breach of said rule shall be punishable with fine not exceeding two thousand rupees"

तो हर प्रकार से मैं समझता हूं कि उपखंड १ को देखते हुए, पुराने शूगर फैक्टरी ऐक्ट को देखते हुए, और इसके पुराने रूप को देखते हुए, यह आवश्यक है कि यह संशोधन माना जाय और मुझे आशा है कि मेरा यह संशोधन माना जायगा।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मुझे इसमें काई दिक्कत नहीं मालूम होती और मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "अधिनियम के" के बाद शब्द "अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गयी आज्ञा" जोड़ दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "अधिनियम के" के बाद शब्द "अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गयी आज्ञा" जोड़ दिये जायं।

यह पहले का पूरक है और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—इसको भी मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "अधिनियम" के बाद शब्द "अथवा उसके अधीन बने नियम अथवा दी गयी आज्ञा" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड २१

वाकार्यवाहियों का निवेशन (institution)

२१—(१) इस अधिनियम के अधीन गन्ना कमिश्नर अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद (Complaint) किये बिना कोई अभियोग निवेशित (instituted) नहीं किया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर गन्ना कमिश्नर अथवा गन्ना कमिश्नर की पूर्व सहमति से जिला मजिस्ट्रेट ऐसा प्रशमन शुल्क (Composition fee) लेकर जो उस पर ऐसे अपराध के लिए लगाये जा सकने वाले अर्थ दण्ड से अधिक न होगा, किसी भी स्तर पर उक्त अपराध का प्रशमन (Compound) कर सकता है।

(३) कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न हो, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने या दिये गये किसी नियम अथवा आज्ञा के विरुद्ध किसी अपराध का विचार न कर सकेगा।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

खंड २१ के उपखंड (१) को निम्न प्रकार से रख दिया जाय—

"(१) इस अधिनियम के अधीन कोई परिवाद (complaint) किसी कष्ट पाने वाले व्यक्ति (agrieved person) द्वारा अभियोग निवेशित (instituted) किया जा सकेगा अथवा केन कमिश्नर, कलेक्टर तथा ईख उत्पादकों की सहयोग समिति के संचालक मण्डल द्वारा अभियोग निवेशित किया जा सकेगा।"

[श्री गेंदा सिंह]

खंड २१ इस प्रकार है कि :—'इस अधिनियम के अधीन गन्ना कमिश्नर अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अधिकार के अधीन परिवाद (complaint) किये बिना कोई अभियोग निर्देशित (Instituted) नहीं किया जायगा। इसके स्थान पर मैं चाहता हूं कि इस तरह से रख दिया जाय। कलेक्टर को अधिकार रहेगा, केन कमिश्नर को अधिकार रहेगा लेकिन तकलीफ पाने वाले को अधिकार रहे कि वह सरकारी अदालत तक पहुंच सके। बस इतना ही इसका मतलब है। मैं समझता हूं कि माननीय सचिव जी का ख्याल बदलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे विधेयक में जो उनका ख्याल रहा है उस पर वह पूरी तरह से विचार करके इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—श्री गेंदा सिंह जी का ख्याल सही है और मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं। इस बात पर कई दफा बहस हो चुकी है। यह अधिकार केन कमिश्नर और कलेक्टर को दिया गया है। संचालक मण्डल, और सहयोग समिति वगैरह के लिए आरगूमेन्ट दे दी गयी उन सब का जवाब दिया जा चुका है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि दो फरीक होते हैं एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। यह मुनासिब मालूम होता है कि पेश्तर वह कार्यवाही अदालत के सामने जाय। कोई बीच का शख्स हो जो इस बात को समझ ले और बतलावे कि केस ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद केस इन्सटीट्यूट हो इसलिए यह रखा गया है। लिहाजा मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपसचिव की बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। विधेयक के २१ खंड में ३ उपधाराएं हैं। उसमें कलेक्टर को अधिकार दिया गया है और केन कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि वह मुकदमा चलाये यह बात नामुनासिब है। जहां पर बीच बचाव या समझौता करना हो तब वह हो सकता है। वहां बात समझ में आती है, लेकिन जिसका रुपया बाकी हो और वह कलेक्टर या केन कमिश्नर की राय के बिना मुकदमा नहीं चलाये तो यह बात समझ में नहीं आती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय कोरम पूरा है ?

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा हो गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं यह कह रहा था कि जहां किसी समझौते की बात हो या रुपये के लेनदेन के बीच बचाव की बात हो, वहां पर अधिकार कलेक्टर को दिया जा सकता है लेकिन जिसका रुपया बाकी हो वह सीधे अदालत में नहीं जा सके यह अजीब बात है और समझ में आने वाली बात नहीं है। अभी यहां पर विधान की धाराओं का जिकर किया गया, लेकिन यह कहां का विधान है और कहां का न्याय है कि जिसका रुपया बाकी हो, वह अपनी इच्छा से अदालत में नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह संविधान की धारा के खिलाफ है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह देखकर कि माननीय उपसचिव ने संशोधन की मुखालिफत की।

मैं समझता हूं कि वह अब भी गौर करेंगे और जिस किसान के गन्ने के दाम बाकी हैं, उसको अधिकार होना चाहिए कि वह किसी के बीच बचाव के बिना और कलेक्टर कमिश्नर के बिना ही वह अपना रुपया वसूल कर सके और उसको मुकदमा दायर करने और कम्पलेंट करने का अधिकार हो। कलेक्टर की हैसियत किसी वकील की नहीं है, यह तो स्वयं किसान समझ सकता है कि मुकदमा हो सकता है या नहीं। किसान खुद समझदार है किसी का सिर नहीं फिरा है कि स्वामखाह मुकदमा दायर करे और हर्जे खर्चे का जिम्मेदार बने। यह संशोधन न्याय-संगत है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करते हुए माननीय सभासचिव से निवेदन करूंगा कि वह अपने निश्चय पर पुनः विचार करें। पहला एतराज तो इस धारा के सम्बन्ध में यह है कि उन्होंने इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के करीब करीब एक ही माने होते हैं लेकिन जब कि सारे विधेयक में कलेक्टर आया है तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों रखा जाय इसीलिए श्री गेंदा सिंह जी ने अपने संशोधन में कलेक्टर कर दिया है और केन कमिश्नर को भी उन्होंने ठीक किया है। एक बात उन्होंने इसमें जरूर जोड़ दी है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स या इन्डिविजुअल केन ग्रोअर्स हैं, उनको मौका दिया जाय कि वह कम्पलेंट कर सकें। अगर मन्त्री जी कहते तो इतना हो सकता था कि गन्ना उत्पादक कलेक्टर की सम्मति प्राप्त कर के कम्पलेंट कर सकते हैं और अगर वह इस तरह की बात कहते तो मैं श्री गेंदा सिंह जी से भी प्रार्थना करता कि वह उन की बात मान लें परन्तु उन्होंने बिना इस के महत्व को समझे हुए ही अस्वीकार कर दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं फिर माननीय सभासचिव से प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन तो इस खंड को ठीक कर रहा है, इसलिए वह इसको स्वीकार कर लें और इतना तो अवश्य स्वीकार कर लें कि इन्डिविजुअल केन ग्रोअर का कम्पलेंट इन्सस्टीटयूट करने को अधिकार रहे।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में क्या कहूं। मैं समझता हूं कि यह वैधानिक ग़लती सरकार कर रही है और इस कानून के बनाने में कहीं अगर मैं होता और केन ग्रोअर्स की सोसाइटी का मेम्बर मैं न होता तो मैं इस कानून को चैलेंज करता हाईकोर्ट में। किसी को अधिकार नहीं है कि हमारे अदालती रास्ते को गैरमामूली तरीक़े से रोक दे। मैं समझता हूं कि यह कानूनी ग़लती हो रही है। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे सूबे के गन्ना बोने वाले कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर हो ही गये हों। जो मेम्बर नहीं हैं उनका रास्ता रोकने का क्या किसी को अधिकार हो सकता है। आप उनका भी रास्ता रोकते हैं कि वह किसी भी हालत में आगे नहीं जा सकते। कलेक्टर साहब क्यों रोकते हैं वह कौन होते हैं रोकने वाले और उसकी ओर से बोलने वाले? उनको क्या हक़ है, कलेक्टर कलेक्टर हैं। वह उसकी तरफ़ से बोलें लेकिन उसको रोकने वाले वह कौन हैं। जो उसका फंडामेंटल राइट है उसके उस हक़ को माननीय उद्योग सचिव रोक रहे हैं और बैठे छीन रहे हैं। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं जो कुछ मैंने समझा कह दिया। मैं समझता हूं कि उसको कानूनी अख्तियार है और नैतिकता की मांग है कि जिस आदमी को शिकायत हो उसको अपनी शिकायत को उचित अधिकारियों के पास ले जाने का जो अधिकार है इस अधिकार को माननीय उद्योग सचिव और सरकार छीन रही है। जैसा वह मुनासिब समझें करें।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफ़सोस है कि हर दफ़ा मुझे गेंदा सिंह जी से इख्तलाफ करना पड़ता है। उन्होंने नैतिकता की बात कही बिलकुल नैतिकता के आधार पर यह प्रावीजन रखा गया है। जब आप कहते हैं कि हर शख्श को अधिकार हो जाय तो इस विधेयक में आपने बहुत से ऐसे अधिकार दिये हैं जो आम तरीके पर लोगों को हासिल नहीं है। अगर किसी का रुपया बाक़ी है तो वह अदालत में जाकर दावा करे, डिग्री हासिल करे और वसूल करे। लेकिन हमने यहां यह जिम्मेदारी ले ली है कि हम उसे सरकारी मतालबे के तरीक़े पर वसूल कर सकते हैं। जब यह बात है तो यह देखना पड़ता है कि ऐसा न हो कि बिला वजह मुक़दमा दायर कर दिया जाय। इसलिये हम यह रखते हैं बीच में पहले देख लिया जाय। यही वजह है कि मैं आपके संशोधन को नहीं मान सकता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (१) को निम्न प्रकार से रख दिया जाय--

"(१) इस अधिनियम के अधीन कोई परिवार (complaint) किसी कष्ट पाने वाले व्यक्ति (agrieved person) द्वारा अभियोग निवेशित

[श्री अध्यक्ष]

(instituted) किया जा सकेगा अथवा केन कमिश्नर, कलक्टर तथा ईख उत्पादकों की सहयोग समिति के संचालक मंडल द्वारा अभियोग निवेशित किया जा सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२—२४

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण।

२२—(१) कोई भी वाद, अभियोग अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit prosecution or other legal proceeding) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा अथवा बनाये गये किसी नियम के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के लिये न लाई जा सकेगी।

(२) ऐसे कार्य के कारण, जो इस अधिनियम के अधीन दी गयी आज्ञा या बनाये गये नियम के अनुसार सद्भावना से किया गया हो या जिसका करने का विचार हो, हुई क्षति या होने वाली क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लायी जा सकेगी।

निवर्तन तथा अपवाद।

२३—दि यू० पी० शुगर फ़ैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट, १९३८ जिसे यहां पर आगे चल कर इस धारा में तथा धारा २६ में "उक्त ऐक्ट" के नाम से अभिदिष्ट किया गया है, एतद्द्वारा निर्वातित (repeal) किया जाता है।

किन्तु प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ ई० की धारा ६ तथा २४ की सामान्य प्रयुक्ति (general application) को बिना बाधित किये, निर्वातित विधायनों तथा पुनर्विहित विधायनों (enactments repealed and re-enacted) के अधीन नियुक्तियों, विज्ञप्तियों, आज्ञाओं इत्यादि (appointments Notification orders etc) के निवर्तन और जारी रखने के संबंध में यह निर्वतन निम्नलिखित पर विपरीत प्रभाव न डालेगा और न अन्य प्रकार से उन्हें प्रभावित करेगा:—

(क) उक्त ऐक्ट द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी तामील की गई नोटिस, दी गई आज्ञा, अथवा दिये गये परमिट (अनुज्ञापत्र), लाइसेंस अथवा सैक्शन (स्वीकृति) के व्यापार (operation)।

(ख) उक्त ऐक्ट के अधीन उसके निवर्तन के पूर्व निर्धारित या लगाये गये किसी अबवाब, कर या अन्य शास्ति (penalty) को, अथवा उसके निर्वतन से पूर्व की अवधि के संबंध में किसी अबवाब, कर, शुल्क या शास्ति को निर्धारित या लगाने को अधिकार को, या उसके अधीन की गयी किसी बात या किसी ऐसी बात की जिसके करने की अनुज्ञा हो, अविकल वैधता (continued validiiy) और उक्त अबवाब कर, शुल्क, या शास्ति निर्धारित या लगायी जा सकती है और उक्त कोई बात की जा सकती है मानों कि उक्त ऐक्ट निर्वातित नहीं किया गया है;

(ग) उक्त ऐक्ट के अधीन संगठित बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल को जारी रखना और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या इसके अनुसार इस प्रकार का बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल (गन्ना विकास परिषद्) संगठित

न हो जाय उदत बोर्ड या केन डेवलपमेंट काउंसिल इसे अधिनियम के अधीन उक्त बोर्ड या परिषद् द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकार, पालन किये जाने वाले कर्तव्य और किये जाने वाले कार्यों का पालन, प्रयोग तथा संपादन करेंगे; और

(घ) उक्त ऐक्ट के अधीन अथवा द्वारा प्राप्त किसी अधिरक्षा (immunity), मुक्ति (exemption) अथवा रक्षा (protection) का जारी रहना।

द्वितीयत प्रतिबन्ध यह है कि उक्त ऐक्ट के अधीन सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित रूप से प्रख्यापित कोई क्षेत्र, इस अधिनियम के अधीन जब तक कोई विपरीत आदेश न दिया जाय अथवा कोई ऐसी बात न की जाय या ऐसा कार्य न किया जाय जिससे वह अधिक्रांत (superseded) हो जाय, उसी प्रकार जारी रहेगा मानो इस अधिनियम के अधीन प्रख्यापित किया गया हो।

संक्रमण संबंधी उपबन्ध (Transitional provision

२४—उक्त ऐक्ट से इस अधिनियम में संक्रमण संबंधी उपबन्धों के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार सरकारी गज़ट में आज्ञा प्रकाशित कर के,

(क) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम उस अवधि के भीतर जो कि आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय उन अनुकूलनों के अधीन प्रभावशाली होगा जो परिष्कार परिवर्द्धन अथवा परित्याग (modifications addition or ommissions के रूप में आवश्यक अथवा उपयुक्त समझे जायं, तथा)

(ख) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अन्य ऐसी अस्थायी व्यवस्था कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ के बारह मास के बाद कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२, २३ और २४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५

नियम बनाने का अधिकार।

२५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) बोर्ड तथा परिषद् की संस्थापना तथा संगठन,

(ख) बोर्ड तथा परिषदों का विघटन तथा पुनः संगठन तथा अन्य आनुषंगिक विषय;

(खख) विकास परिषद् के सदस्यों को हटाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ग) बोर्ड तथा परिषद् द्वारा कार्य के परिचालन की व्यवस्था;

(गग) धारा ६ के अधीन विकास परिषद् की वार्षिक बैठक बुलाने की रीति, उस बैठक में किया जाने वाला कार्य और उसके करने की रीति,

(घ) रीति तथा रूप जिस प्रकार धारा ८ के अधीन परिषद् के अधीनस्थ निधि रखी जायगी तथा ऐसी निधि का प्रयोग तथा उससे अदायगी ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये बोर्ड तथा परिषदों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेश,

(च) चीनी कमिश्नर तथा गन्ना कमिश्नर के कर्तव्य, अधिकार तथा कार्य;

(छ) धारा ११ के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवाओं को अन्य शर्तों से सम्बद्ध विषय तथा उनके कर्तव्य, अधिकार और कार्य;

(ज) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायं, जिनके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी हो;

(झ) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अपीलों के संबंध में दिया जाने वाला शुल्क;

(ञ) खरीदारी तथा उनके द्वारा अथवा चीनी की फैक्टरियों द्वारा गन्ने की खरीदारी के लिये नौकर रखे जाने वाले दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनको लाइसेंस देना तथा उनके कार्य और कर्तव्य और उनके द्वारा जमा की जाने वाली जमानतें तथा वे दशायें जिनमें ऐसी जमानतें जब्त की जा सकें ;

(ट) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अथवा उनके अधीन किये जाने वाले अनुबन्ध का आकार-पत्र तथा अनुबन्ध की शर्तें तोड़ने पर शास्ति (penalty),

(ठ) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां, गन्ना विकास परिषदों तथा यू० पी० केन यूनियन फेडरेशन के संगठन, संचालन, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा (आडिट), तथा ऐसी संस्थायें तथा उनके संघों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता की शर्तें, नियम तथा उनके कर्मचारियों एवं वित्तीय व्यवस्था (finances) का नियंत्रण,

(ड) गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा गन्ना दिये जाने पर वह दर और रीति जिस पर और जिसके अनुसार उक्त समिति को कमीशन दिया जायगा,

(ढ) गन्ने की ठीक तौलाई तथा तौलाई के लिये सुविधाओं तथा तौलाई की जांच और तौलाई के समय के संबंध में व्यवस्था;

(ण) फ़ैक्टरियों को आने वाले मार्गों तथा गन्ना लाने वाली गाड़ियों के रुकने के स्थान के लिए तथा गाड़ीवानों और बैलों के लिये छाया, स्थान तथा बैलों के लिये नांदों और संबद्ध विषयों की व्यवस्था,

(त) उन झगड़ों के संबंध में:—

(क) जो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के कार्य के विषय में, सदस्यों अथवा सदस्यों और समिति, अथवा दो निबन्धित (रजिस्टर्ड) संस्थाओं अथवा संस्था और फैक्टरी अथवा गन्ना उत्पादकों और फैक्टरी के बीच में हों,

(ख) जो संस्था या फ़ैक्टरी द्वारा परिषद् के प्रति अंशदान की अदायगी के संबंध में गन्ना विकास परिषद् और गन्ना उत्पादकों की सहकारी

समितियां अथवा परिषद् और फैक्टरी अथवा परिषद् तथा गन्ना उत्पादक के बीच हों,

तथा अन्य किसी झगड़े के विषय में जो परिषद् के कार्य से संबद्ध हों, गन्ना कमिश्नर के निर्णय के लिये या यदि वह आदेश दें तो मध्यस्त निर्णय (आर्बिट्रेशन) के लिये गन्ना कमिश्नर को भेजा गया अभिदेश, मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रकार, गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ के यहां अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया एवं गन्ना कमिश्नर अथवा मध्यस्थ या मध्यस्थों के न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करना,

(थ) विवरणों, नकशों और रजिस्टरों तथा अन्य आकारपत्रों का आकार-प्रकार जिनका इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन रखना अपेक्षित हो तो ऐसे नक़शों, विवरणों और आकार-पत्रों की खानापूरी करना,

(द) इस अधिनियम द्वारा अथबा उसके अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार तथा रीति जिसके अनुसार वे दिये जायेंगे,

(ध) इस अधिनियम के अधीन अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया।

(न) विषय जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २५ के उपखंड (२) के भाग (ञ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "खरीदारी" के बाद शब्द "एजेंट" जोड़ दिया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (२) के भाग (ञ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "खरीदारी" के बाद शब्द "एजेंट" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड २५ के उपखंड (२) के भाग (ड) के बाद निम्न उपभाग (डड) व (डडड) बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं :—

"(डड) धारा १६ के अनुसार गन्ने के मूल्य, अदायगी न होने पर ब्याज, तथा संबंधित धनराशियों के भुगतान की व्यवस्था, व गन्ना कमिश्नर के प्रमाण-पत्र का प्रकार;

(डडड) धारा १८ के अधीन लगाये गये अबवाब की दर और वसूल करने वाले प्राधिकारी के कर्त्तव्य, तथा वसूल करने की रीति।"

श्रीमन्, नियमों में इस बात की व्यवस्था होना बड़ा ही आवश्यक है कि गन्ना कमिश्नर के प्रमाण-पत्र का प्रकार क्या होगा। संबंधित धनराशि और गन्ने का मूल्य या ब्याज का भुगतान, इनकी व्यवस्था किस प्रकार मिल मालिक करेगा वह जिस प्रकार सदा नियमों में होता आया है उस प्रकार होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान पुराने फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट की धारा ३० की उपधारा (R) और (V) की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। जिसमें (R) में तो 'the payment for the price of cane का सरकार को

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अधिकार है और (V) के अनुसार "the amount of the tax or cess imposed under section 29 and the authority by which the person from whom, and the manner in which such tax or cess shall be collected;"

इस बात का पूरा-पूरा अधिकार नियम बनाने का सरकार को था और जब तक नियमों में यह बात स्पष्ट नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि किसी प्रकार यह विधेयक पूरा नहीं माना जा सकता, अधूरा माना जायगा। चूंकि जब धाराओं में लिखा हुआ है "प्रेस्क्राइब्ड" तो जहां नियम बनाने का प्रश्न आता है तो धारा को स्पष्ट हो जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—संशोधन में है "गन्ने का मूल्य" और होना चाहिये "गन्ने के मूल्य का भुगतान"। अगर "गन्ने के मूल्य का भुगतान" नहीं लिखा जाता तो इसका अर्थ यह होगा कि मूल्य को निश्चित करने के भी नियम बनेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अगर ऐसा है तो ठीक है "भुगतान" इसमें जोड़ दिया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में तो मूल्य के मुताल्लिक़ कहा गया है जिसे हम मुक़र्रर नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसको दुरुस्त कर दिया। अब "मूल्य का भुगतान" हो गया।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—ठीक है मूल्य का भुगतान हो गया तो वह धारा २५ के उपखंड (१) से मक़सद पूरा हो जाता है। कोई ख़ास जरूरत नहीं मालूम होती कि ऐक्ट को लिमिट किया जाय। इसलिये इसको फिजूल समझते हुये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—धारा २५(१)में तो यह लिखा हुआ है कि "राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है" यानी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें इन मामलों के लिये जो मैंने बतलाये उनके लिये नियम बनाना जरूरी है। "बना सकती" और "बनायेगी" में बड़ा फ़र्क़ होता है। तो अगर माननीय मंत्री जी उपधारा (१)को पढ़ें तो उसमें जरूरी नहीं है और न इससे यह स्पष्ट होता है कि सेस कौन लगायेगा, कौन वसूल करेगा, किस ढंग से वसूल होगा, गन्ना कमिश्नर किस प्रकार का प्रमाण-पत्र बनायेगा। इसलिये नियमों में यह व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी को साधारण फारमूला क्या बतलाऊं, यह तो बहुत ही आवश्यक है। और मैं अध्यक्ष महोदय, आप ही से कहूंगा कि आप ही कृपा करके मेरी ओर से निवेदन कर दें।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैं भी उसी राय का हूं कि जो जरूरत इससे वह महसूस करते हैं वह धारा २५ की उपधारा (१) से पूरी हो जाती है। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं—

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, अगर वह कारण बतला दें कि क्यों उसे स्वीकार नहीं करते तो मैं वापस ले सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—कारण समझ लेना पड़ेगा आप को स्वयं। मैं तो उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (२) के भाग (ड) के बाद निम्न उपभाग (डड) व (डडड) बढ़ा दिये जायं—

(डड) धारा १६ के अनुसार गन्ने के मूल्य का भुगतान अदायगी न होने पर ब्याज, तथा संबंधित धनराशियों के भुगतान की व्यवस्था, व गन्ना कमिश्नरके प्रमाण-पत्र का प्रकार;

(डडड) धारा १८ के अधीन लगाये गये अबवाब की दर, और वसूल करने वाले प्राधिकारी के कर्त्तव्य, तथा वसूल करने की रीति;

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करना चाहता हूं :—

खंड २५ में नये उपखंड (३) व (४) इस प्रकार बढ़ा निये जायं :—

(३) इस धारा के अनुसार बने नियम राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से लागू होंगे।

(४) लागू होने के तुरन्त बाद ही होने वाले विधान मंडल के अधिवेशन में उपरोक्त सभी नियम प्रस्तुत किये जायंगे ("यह विचार के हेतु" निकाल दिया जाय, इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुत से काम चल जायगा।) और किसी नियम अथवा नियमों के विधान मंडल द्वारा अस्वीकृत, संशोधित अथवा बढ़ाये जाने पर लागू नियमावली को तदनुसार संशोधितकर दिया जायगा।

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह मेरा संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है और जब से शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट १९३८ से चल रहा था तब से लगातार आज तक १५ साल तक यह जो धारा है, शुगर फ़ैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट में है, रही है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट की धारा ३० की उपधारा ४ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ था कि—

"The rules made under this section shall come into force on such date as may be fixed by the State Government. Such rule shall be laid before both chambers of the legislature whenever they may meet after the rules have come into force and if an amendment of any such rule is carried in both the homes in the sessison following the promulgation of such rules, such rule shall be amended accordingly.

(5) Rules made under this section shall be published in the Government Gazette.

तो इस प्रकार की व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है और यह आवश्यक भी प्रतीत होता है कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक के अनुसार जब नियम बनें जिसमें प्रांत की लाखों जनता का प्रश्न हो सकता है, इतना महत्वपूर्ण हित जिसमें निहित हो, जिसमें सदन के सदस्यों के भारी बहुमत और सारे सदन की पूरी दिलचस्पी हो, उसके नियम केवल सरकार बनाकर रख दे और उनके लिये कोई स्वीकृति इस सदन से न ली जाय, वह एक बड़ा ही असाधारण कदम होगा। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से अधिक न कहकर माननीय मंत्री जी से जोरदार निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो भी नियम इस विधेयक के अनुसार बनें वह भवन के सम्मुख रखें जायं और जो भी नियमों में संशोधन हों, यह भवन उनको मंजूर कर ले तब वह लागू हों।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई बहुत कबाहत नहीं मालूम होती इसमें मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आपकी आज्ञा से मैं आज सोशलिस्ट भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि पूरे दिन में एक चीज यह उन्होंने सुन्दर कही और सबके मन में यह चीज़ बैठी। यह पहले ही कहना था, आखीर में इसको उन्होंने रखा। शुरू में ही रखा होता तो बड़ा अच्छा होता। मैं चाहूंगा कि हमेशा वह इसी तरह कोआपरेशन के साथ असेम्बली में कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ में नये उपखंड (३) व (४) इस प्रकार बढ़ा दिये जायं —

(३) इस धारा के अनुसार बने नियम राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से लागू होंगे।

(४) लागू होने के तुरन्त बाद ही होने वाले विधान मंडल के अधिवेशन में उपरोक्त सभी नियम प्रस्तुत किये जायंगे और किसी नियम अथवा नियमों के विधान मंडल द्वारा अस्वीकृत संशोधित अथवा बढ़ाये जाने पर लागू नियमावली को तदनुसार संशोधित कर दिया जायगा।

(प्रश्न उस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

सामान्य संशोधन

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक में जहां कहीं भी शब्द "बाद" आया है उसके स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक में जहां कहीं भी शब्द "बाद" आया है उसके स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—एक सामान्य संशोधन जयराम वर्मा साहब जी लाना चाहते थे लेकिन मैंने यह कहा था कि आखिर में उसको पेश करें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक में जहां जहां शब्द "परिणामिक" आया हो उसके स्थान पर शब्द "पारिणामिक" रख दिया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक में जहां-जहां शब्द "परिणामिक" आया हो उसके स्थान पर "पारिणामिक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित बिया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति तथा खरीद के विनियमन का विधेयक

चीनी की फैक्टरियों के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति और खरीद एवं अन्य संबद्ध विषयों का विनियमन करना आवश्यक है इसलिये निम्नलिखित अधियनम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारंभ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं। कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं अनुमति मांगता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ को पुरः स्थापित करूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ़ आर्डर ! श्रीमन्, माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने जो हाउस के एक्सटेंशन का प्रस्ताव रखा था उसके शब्द बिल्कुल यह थे कि इस गन्ना विधेयक के पास होने तक यह सदन बैठेगा। वह प्रस्ताव सदन ने एक मत से मंजूर किया। उस प्रस्ताव के बाद माननीय वित्त मंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है कि वे इस विधेयक को पुरःस्थापित करें।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं तो यह समझता हूं कि यह स्पीकर की इनहेरेन्ट पावर है कि वह किसी जरूरी काम को किसी वक्त इजाजत दे दे ।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त मैं इजाजत दे देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—दूसरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर । विधान की धारा २०७ के अनुसार बिना गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश के .....

श्री अध्यक्ष—वह सिफ़ारिश आ चुकी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—तो उसे पढ़ दें ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैंने अनुमति तो पहले मांग ली :

श्री अध्यक्ष—वह अनुमति मेरे पास भी आ चुकी है। (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम से) आपने सदन से लीव मांगी है क्या ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन विधेयक, १९५३ पुरः स्थापित करने के लिये अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ....३०९..पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, आपने इजाजत केवल अनुमति की दी थी ।

श्री अध्यक्ष—यह तो बारीक बारीक विरोध के चुटकुले हैं। मैंने इसकी इजाजत दे दी है।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५० मिनट पर मंगलवार, २५ अगस्त, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१३ अगस्त, १९५३ ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ २१६ पर)

विस्थापित व्यक्तियों को दी गई सुविधाओं का विस्तृत विवरण संबद्ध है ।

विस्थापित व्यक्ति का नाम	प्रदान की गई सहायता का विवरण		
	ऋण	भूमि	अन्य प्रकार की सहायता
१—श्री टाकू राम	५००	२३ बीघा पुख्ता	दुकान, मकान, लाइसेंस चीनी नमक तथा मिट्टी का तेल
२—नन्दलाल	५००		"सी" क्लास कपड़े कालाइसेंस, मकान
३—जीवनदास	५००	३ बीघा पुख्ता	'सी' क्लास कपड़े का लाइसेंस, मकान
४—भगवान दास	५००	१७ बीघा मकान* पक्का	
५—नन्दलाल	५००		मकान
६—त्रलोक चन्द	५००	३ बीघा	'सी' क्लास कपड़े कालाइसेंस, मकान
७—होतू राम	५००		'सी' क्लास कपड़े की दूकान तथा मकान
८—नरायनदास	५००		'सी' क्लास कपड़े का लाइसेंस तथा मकान
९—माधवेदास	५००		'सी' क्लास कपड़े की लाइसेंस, दूकान तथा मकान
१०—काला राम	५००		'ई' क्लास कपड़े का लाइसेंस, मकान
११—कृपा राम	५००	६ बीघा†	'सी' क्लास कपड़े का लाइसेंस, मकान
१२—होतू राम	५००		"सी" क्लास कपड़े का लाइसेन्स मकान
१३—मंजूराम	५००	१० बीघा‡	मकान
१४—कृपाराम	५००		मकान
१५—सेवा राम	५००		'ई' क्लास कपड़े का लाइसेंस मकान
१६—दौलत राम	५००	३ बीघा	'सी' क्लास कपड़ेका लाइसेंस मकान
१७—दौलत बाई	५००		मकान
१८—काशी राम	८५०	९० बीघा	,,
१९—पोखरदास	१०००	२० बीघा	,,

*श्री भगवानदास को भूमि का कब्जा दिया गया था किन्तु उन्होंने भूमि जोतने से इंकार किया है और कहा है कि वे इस भूमि को नहीं चाहते हैं क्योंकि यह उपजाऊ नहीं है । उन्होंने दूसरी भूमि दी जाने के लिये प्रार्थना की है ।

*श्री कृपाराम को अलाट की हुई निष्क्रान्त भूमि में एक अनिष्क्रान्त व्यक्ति का भी साझा है अतः उन्हें भूमि का कब्जा नहीं दिलाया जा सका । भूमि के बटवारे के लिये कार्यवाही हो रही है जिसके पश्चात् उन्हें कब्जा दिलाया जायगा ।

‡श्री मंजू राम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने कब्जा लेने से इंकार कर दिया है । वे उन स्थानीय व्यक्तियों से भी डरते हैं जिनके कब्जे से छुड़ाकर उन्हें भूमि दी जा रही है ।

नोटः—श्री टाकू राम के पुत्र को भी नमक, चीनी तथा मिट्टी के तेल का लाइसेंस दिया गया है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर।)

१—कृषि—

१—पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत तराई भावर के इलाके में १५० मील नालों (channels) की मरम्मत करने का कार्य किया जायेगा और २० मील नालों की लाईनिंग की जायेगी। इसमें कुल ४,०७०,००० रु० व्यय होगा। इसके अलावा हैन्ड पम्प नल कूप और कुवें बनावाने का भी कार्य होगा जिसमें ४,००,००० रु० व्यय होगा। इन योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है।

२—उन्नत बीज, पौधे, औजार और खाद का अधिक से अधिक वितरण किया जा रहा है।

३—फसल प्रतियोगिता में जिले भर के १०९ कृषकों ने सन् १९५२ में भाग लिया, सन् १९५३ में २,९०४ कृषकों ने और आशा की जाती है यह संख्या सन् १९५६ तक ११,४४६ तक पहुंच जायगी।

४—पांच सहकारी ट्यूब वैल वित्तीय वर्ष में बनाने की आयोजना है।

५—गन्ने की उन्नति के लिये सड़कों पुलों और कल्वर्ट की मरम्मत या निर्माण और अधिक सिंचाई के साधन का प्रबंध किया जा रहा है।

६—तराई भावर इलाके में एक यांत्रिक कृषि फार्म हेमपुर में स्थित है जहां अधिक अन्न उत्पादन किया जाता है और अच्छी नस्ल के पशुओं का विकास संबंधी कार्य हो रहा है। इस फार्म से अच्छी नस्ल के १० सांड़ प्रति वर्ष बांटे जाते हैं और आशा की जाती है कि यह संख्या २२ हो जायगी।

२—पशु पालन कार्य—

१—हल्द्वानी में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना हो चुकी है और कृत्रिम गर्भाधान का कार्य चल रहा है। इस कार्य के लिये ७१ गांव छांटे गये हैं जहां केवल उत्तेजित गायों तथा भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। इस केन्द्र के अन्तर्गत ३ उप केन्द्र होंगे जो गर्भधान तथा प्रचार कार्य करेंगे।

२—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र नगला का उप केन्द्र किच्छा में खोला गया है।

३—रामनगर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज तथा खरीमा तहसीलों में नस्ल विभाजन के अनुसार १०० अच्छे सांड़ ३० बकरे तथा ३० सुअर दिये जायंगे।

४—सन् १९५५ तक समस्त क्षेत्र के पशु रिंडरपेस्ट से मुक्त कर दिये जायंगे। इस वर्ष यह क्षेत्र सामूहिक टीके लगाने के लिये चुना गया है। कुछ कार्य भी हो चुका है।

५—टीके लगाने के अतिरिक्त अनुपयोगी सांड़ों का बधिया करने का भी काम साथ साथ किया गया है।

६—बेल, पख, समेल डाक नानकमाता तथा चौरगलिया में स्टाकमैन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

७—बाजपुर में एक पशु चिकित्सालय का प्रस्ताव विचाराधीन है और आशा है अगले साल कार्यान्वित हो जावेगा।

८—रामनगर में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जो आशा है १९५५ तक कार्य करने लगेगा।

९—तीन कुक्कुट विकास क्षेत्र, हल्द्वानी, सितारगंज और भीमताल में खोले जायेंगे, जहां से उत्तम नस्ल की चिड़ियों तथा अंडों का वितरण रियायती दरों में होगा।

१०—सन् १९५५ तक अच्छे दूध देने वाले पशुओं के लिये २५,००० रु० की तकाबी वितरित की जायेगी।

३—सहकारिता—

१—सिंचाई के सिलसिले में पांच कुएं जसपुर इलाके में और १५ कुएं बाजपुर इलाके में बनाये जाने की योजना है और इस सम्बन्ध में ऐसी २० सिंचाई के सहयोग समितियों के काग़जात विचाराधीन हैं।

२—ईंटों का भट्ठा एक जसपुर और किच्छा में खोले जाने की भी योजना है।

३—सहकारी ग्राम समितियां जो अभी बहुधंधी समितियों में परिवर्तित नहीं हुई हैं उनको बहुधंधी समितियों में परिवर्तन करने की आयोजना है।

४—सहकारी संघ खटिया के अन्तर्गत इस वक्त मेम्बरान के गल्ले की पैदावार के क्रय विक्रय का कार्य हो रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्य को चालू करने की आयोजना है।

५—सहकारी समितियों द्वारा बीज के वितरण का कार्य लेने की आयोजना है।

६—हल्द्वानी में लालकुआं सहकारी दूध संघ कार्य कर रहा है। जो अपने मेम्बरों में दूध एकत्रित करता है और उसका वितरण करता है। इसके वितरण केन्द्र लालकुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम भुवाली और नैनीताल में हैं।

४—वन—

१—पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक साल में ४०० एकड़ जमीन पर सेमल, खैर, और एलनथूस वग़ैरा के पेड़ लगाने का आयोजन है।

२—शहतूत के पेड़ प्रत्येक साल में ८० एकड़ भूमि में लगाने का आयोजन है।

५—शक्ति—

१—शारदा हाईडल पावर प्रोजेक्ट पर कार्य हो रहा है और १९५५ तक पूरा हो जायगा। इस योजना से नैनीताल जिले भर को उद्योग, कृषि और घरेलू प्रयोग के लिये शक्ति मिल सकेगी।

६—उद्योग—

१—हल्द्वानी में एक काष्ठकला-निर्माण का शिक्षण शिविर शीघ्र ही खुलने वाला है जिसमें बढ़ईगीरी की शिक्षा दी जायगी।

२—हल्द्वानी में ऊन बिनाई का केन्द्र कार्य कर रहा है।

३—औद्योगिक सहकारी समितियां मेवागढ़ और हल्द्वानी के कार्य की देख-भाल उद्योग विभाग द्वारा की जा रही है।

७—सार्वजनिक निर्माण—

निम्नलिखित विकास कार्य पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हैं :—

(१) खटीमा जनसट, बी० आर०, ४ मील
(२) किद्दा सितारगंज, बी० आर०, १५ मील
(३) हल्द्वानी कुशालपुर, बी० आर०, ५ मील
(४) हल्द्वानी टांडा, बी० आर०, ११ मील
(५) शफाखाना गरप्पू, बी० आर०, ९ मील।

इन सड़कों में हल्द्वानी टांडा को छोड़कर सब सड़कों पर सुधार कार्य समाप्त हो चुके हैं।

८—शिक्षा—

१—निम्नलिखित शिक्षा सम्बन्धी योजनायें पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं :—

(१) प्रारम्भिक शिक्षा (बेसिक स्कूल),
(२) माध्यमिक शिक्षा,
(३) यूनीवर्सिटी एजुकेशन,
(४) टैकनिकल तथा वोकेशनल एजुकेशन,
(५) सामाजिक शिक्षा,
(६) अन्य योजनायें।

वर्तमान समय में बेसिक स्कूलों की स्थापना समस्त उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। उसमें नैनीताल का तराई भाबर इलाका भी सम्मिलित है। इस इलाके की वास्तविक आवश्यकता को देखकर अन्य योजनायों के संचालन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

९—स्वास्थ्य विभाग—

१—प्रसूत गृह तथा शिशु पालन केन्द्र—तीन वर्षों में २०० केन्द्र स्थापित करने का विचार है इसमें से ६६ इस वर्ष खोले जावेंगे। यदि नैनीताल जिले में केन्द्रों के लिये स्थान उपलब्ध हुए तो कुछ केन्द्र खोले जायंगे। इसके साथ दाइयों की शिक्षा की सुविधायें भी दी जायंगी।

२—बच्चों को क्षय से बचाने के लिये विस्तृत मात्रा में टीका लगाना—इस जिले में भी कुछ समय में टीके लगाये जायंगे।

चेचक से बचाने के लिये विस्तृत मात्रा में टीके लगाना—पंचायत के मंत्री, शिक्षक तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को टीका लगाने की शिक्षा दी जा रही है।

१०—श्रम—

१—चीनी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के रहने के लिये मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत पाहनिन जी चीनी मिल में १० और एल० एच० चीनी व तेल मिल काशीपुर में १२ मकान बनवाने का आयोजन किया जा रहा है।

२—ट्रेड यूनियन से संबंधित विकास कार्य हो रहा है।

११—हरिजन—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हरिजन, पिछड़ी हुई तथा मोमिन, अन्सार जातियों के बालकों में शिक्षा प्रसार करना, अच्छे मकान व कुंयें इत्यादि की व्यवस्था करना सारे प्रान्त में लागू है और उससे यह क्षेत्र भी लाभ उठाता है।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३०४ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के लिए संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन करने का,

सं०प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई०।

विधेयक

यह आवश्यक है कि इसमें आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिए संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर निश्चित करे।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २ का संशोधन।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० (जिसे इसमें आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (ग) में—

(क) शब्द "बेचने" और शब्द "का कारोबार करने" के बीच में आने वाले शब्द "और पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(ख) शब्द "माल बेचने" और "हों" के बीच में आने वाले शब्द "या पूर्ति करते (सप्लाई करते)" निकाल दिये जायं।

(ग) स्पष्टीकरण में शब्द "बेचने" और शब्द "का काम करता" के बीच में आने वाले शब्द "या उसका पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(घ)" "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत उगने वाली फसल, घास, पेड़ और ऐसी वस्तु है जो भूमि से लगी हुई (attached) अथवा भूमि से स्थायी रूप से लगी हुई (attached) किसी वस्तु से जकड़ी हुई (fastened) हों, किन्तु जिसका बिक्री के मुआहिदे (contract of sale) के अन्तर्गत पृथक करना तय हो चुका हो, परन्तु इसके अन्तर्गत वादयोग्य दावे (actionable claims) स्टाक, हिस्से या सिक्योरिटियां सम्मिलित नहीं हैं।"

(३) वाक्य-खंड (ङ) निकाल दिया जाय।

(४) वाक्य-खंड (ज) में "स्पष्टीकरण (३)" के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"स्पष्टीकरण (४)—किसी ऐसी माल की बिक्री जो उक्त बिक्री के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में उपभोग के लिए उक्त राज्यमें वस्तुतः

दिया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उक्त राज्य में की हुई समझी जायगी, चाहे ऐसी बिक्री के कारण उक्त माल का स्वत्व हस्तान्तरण किसी दूसरे राज्य में हुआ हो।"

(५) वाक्य-खंड (झ) में—

(क) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नांकित तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय —

"तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि उत्तर प्रदेश के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति का एजेन्ट उत्तर प्रदेश में उसकी ओर से माल बेचे तो उक्त बिक्री से प्राप्त धनराशि एजेन्ट के विक्रय-धन (Turn over) में सम्मिलित कर ली जायगी।"

(ख) "स्पष्टीकरण के उप-वाक्यखंड (३) में शब्द "उस माल को उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" के स्थान पर "उस माल को बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" रखा जाय:—

उ० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ई० की ३ धारा का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण किया जा सकना"।

३—(१) इस अधिनियम के आदेशों के प्रतिबन्ध सहित, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष में पूर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन (Turn-over) पर, जो उस रीति से जैसा निर्धारित की जाय, निश्चित किया जायगा, तीन पाई प्रति रुपये की दर से कर देगा :

किन्तु पहिला प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को, धारा १८ में की गयी अन्यथा व्यवस्था के न रहते हुए, कर नहीं देना पड़ेगा यदि बदनी (भविष्य के मुआहिदों) (forward contracts) विक्रय-धन को छोड़ कर जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया गया हो, पूर्व वर्ष का उसका विक्रय-धन १२,०००— रुपये से या उस अधिक धनराशि से जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय, कम हो ;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर किसी माल या माल के वर्गों के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर कर की दर कम कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसे विक्रय धन पर कम की हुई दर से कर देय होगा ;

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में पहिले प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्धारित धनराशि कम कर दी जाय तो व्यापारी द्वारा पूर्वोक्त प्रकार के देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से लगाया जायगा ; अर्थात् :—

(क) कम करने के पूर्व की अवधि के विक्रय-धन पर उस हिसाब से, मानों कि धनराशि कम नहीं की गयी है, और

(ख) शेष धनराशि पर उस हिसाब से, मानों कि कम की हुई धनराशि उन सभी दिनांकों पर प्रचलित थी जिनका उस विषय में कोई महत्त्व हो (on all materiel datas)।

(२) राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है कि कोई व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग पूर्व वर्ष के विक्रय-धन पर कर भुगतान करने के बजाय कर निर्धारण

वर्ष के विक्रय-धन पर कर भुगतान करे और तत्पश्चात् इस अधिनियम के सभी आदेश ऐसे व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों जहां कहीं भी प्रसंगानुसार अपेक्षित हो, शब्द "पूर्व वर्ष" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण वर्ष" रख दिया गया है ।

४—वर्तमान धारा ३-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय— — सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३-ख का संशोधन

"३-ख—बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के सम्बन्ध में, जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया जाता, किसी व्यापारी के विक्रय-धन का हिसाब कर-निर्धारण और कर भुगतान के प्रयोजनार्थ उसके शेष विक्रय-धन से अलग लगाया जायगा और अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उस पर कर लगाया जा सकेगा जो ऐसी दर से, जो दो रुपया प्रति इकाई (यूनिट) से अधिक न हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, देय होगा।" — "बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के विक्रय धन पर कर।

५—मूल अधिनियम की धारा ६ निकाल दी जायगी। — सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ६ का निकाला जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा ७ में— — सं० प्रा० ऐक्ट, १५, १९४८ ई० की ७ का का संशोधन।

(१) वर्तमान उपधारा (१) और पहिले प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(१) प्रत्येक व्यापारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करना है, पूर्व वर्ष या कर निर्धारण वर्ष के विक्रय धन का ऐसा विवरण-पत्र (return) या ऐसे विवरण-पत्रों को जो ऐसी अवधि में लागू होता हो या होते हों, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में प्रमाणित (तसदीक) करके देगा जो निर्धारित की जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को जो केवल ऐसे माल का व्यापार करता है जिस के विक्रय धन पर कर भुगतान करने का उसका दायित्व न हो, कोई विवरण-पत्र देने की आवश्यकता न होगी।"

(२) उपधारा (३) में शब्द "व्यापारी के पूर्व वर्ष की धनराशि" के स्थान पर शब्द "व्यापारी का विक्रय धन" रखा जाय।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं ७-क, ७-ख और ७-ग बढ़ा दी जायं:— — सं० प्रा० ऐक्ट ऐक्ट १५, १९४८ ई० धारा ७-क, ७-ख और ७-ग का बढाया जाना।

"७ क—(१) राज्य सरकार किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग को धारा ७ में उल्लिखित विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों के अतिरिक्त कर-निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के विक्रय धन का विवरण पत्र, ऐसी अवधियों पर और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जायं, देने के लिए आदेश दे सकता है, और कर निर्धारक अधिकारी उक्त धारा के आदेशों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के आदेशानुसार जहां तक वे लागू हो सकते हों, वर्ष के भाग के सम्बन्ध में अस्थायी रूप से (provisional) कर निर्धारित कर सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी से कर-निर्धारण वर्ष के भाग के लिए भी विवरण-पत्र देने के लिए कहा जाय और कर निर्धारक अधिकारी ने वर्ष के ऐसे भाग के लिए अस्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो, तो इस प्रकार कर निर्धारित किये जाने के कारण पूरे वर्ष का कर-निर्धारण करने तथा पूरे वर्ष का विक्रय-धन पुनः निश्चित करने में कर निर्धारक अधिकारी को कोई बाधा न होगी।"

किसी वर्ष में सभी कर निर्धारणों में कर की दर या उससे मुक्ति समान होगी।

"७-ख—(१) किसी विशेष कर-निर्धारण वर्ष में किसी माल या माल के वर्ग के विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर की दर या उस से मुक्ति (exemption) उक्त वर्ष के सभी कर-निर्धारणों में समान होगी, चाहे निर्धारित विक्रय-धन पूर्व वर्ष का हो या कर-निर्धारण वर्ष का हो।

(२) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में किसी माल या माल के वर्ग के विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर की दर बदली जाय या ऐसे वर्ष के दौरान में धारा ४ के अधीन कोई मुक्ति दी जाय और नयी दर या मुक्ति के प्रचलित होने के पहिले पूर्व वर्ष के विक्रय-धन पर ऐसे वर्ष के लिए कोई कर निर्धारित किया जा चुका हो तो नयी दर या मुक्ति को ध्यान में रखकर फिर से ऐसा कर-निर्धारण किया जायगा।"

मृत व्यक्ति के कर का भुगतान उस के प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा

"७-ग—(१) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो उसका निष्पादक (executor), प्रशासक (administrator) या अन्य विधिक प्रतिनिधि (legal representative) ऐसे व्यक्ति द्वारा देय निर्धारित-कर या कोई अर्थदण्ड (penalty) जो यदि वह न मरा होता तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय होता, मृत व्यक्ति की सम्पत्ति (Estate) में उस सीमा तक, जहां तक व्यय सम्पत्ति से पूरा हो सकता हो, भुगतान करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर धारा ७ के अनुसार जारी किये गये नोटिस, यदि कोई हो, के तामील होने के पूर्व मर जाय, तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, पूर्वोक्त नोटिस तामील होने पर उसका पालन करेगा और कर-निर्धारक अधिकारी मृत व्यक्ति के विक्रय-धन पर उसी प्रकार कर-निर्धारण करेगा, मानों ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति है, जिस पर कर निर्धारित करना है।

(३) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के आदेशों के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र प्रस्तुत किये बिना या ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत करके, जिसके सम्बन्ध में कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध या अपूर्ण है, मर जाय, तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यक्ति का विक्रय धन निश्चित कर सकता है और ऐसे निश्चित किये गये विक्रय-धन के आधार पर उसके द्वारा देय कर निर्धारित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये नोटिस द्वारा मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि से कोई लेखा, लेख-पत्र (document) या अन्य साक्ष्य, जिसे इस अधिनियम के आदेशों के अधीन मृत व्यक्ति से प्रस्तुत करने के लिए कहता, प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है।

(४) उपधारा (१) से (३) तक के आदेश किसी भागीदारी (partnership) फर्म पर, जिसके एक या एक से अधिक भागीदार मर गये हों, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(५) धारा ९, १० और ११ के अधीन अपील, निरीक्षण (revision) और समाधान (reference) से सम्बद्ध आदेश इस धारा के अनुसार

कर निर्धारण पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों पूर्वोक्त निष्पादक, प्रशासक अथवा विधिक प्रतिनिधि स्वयं ही व्यापारी हैं।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन।

८--(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८ बदल कर धारा ८ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जायगी और उसमें शब्द "उसी प्रकार वसूल की जायगी मानों वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो" के स्थान पर शब्द "तुरन्त ही वसूल की जा सकेगी" रखा जायगा।

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा:--

"(२) कोई कर अथवा अन्य शेष धनराशि (due) जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी, मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) (as arears of land revenue) हो।"

सं० प्रा० ऐक्ट, १५ १९४८ ई० की धारा ८-क का संशोधन।

९--मूल अधिनियम की धारा ८-क में निम्नलिखित उपधारा (३-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(३-क)--उपधारा (३) के अधीन किसी क्रेता (purchaser) से कर वसूल करने के प्रयोजनों के लिए कोई रजिस्टर्ड व्यापारी मूल्य में आठ आना तक रुपये की भिन्न (fraction of a rupee) की गणना नहीं करेगा और आठ आना से अधिक भिन्न को एक रुपया मान कर गणना करेगा।"

सं० प्रा० ऐक्ट, १५, १९४८ ई० की धारा ९ का संशोधन।

१०--मूल अधिनियम की धारा ९ में--

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :--

"(१) कोई व्यापारी जो धारा १५-क के अधीन अर्थदण्ड लगाने वाली आज्ञा अथवा धारा ७, ७-क या ७-ख के अधीन निर्धारित-कर के विरुद्ध आपत्ति करता है, आज्ञा की प्रतिलिपि अथवा कर-निर्धारण का नोटिस जैसी भी दशा हो, की तामील होने से ३० दिन के भीतर ऐसे अधिकारी के सामने अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाय:--

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील गृहीत (entertain) न होगी यदि उसके साथ इस बात का सन्तोषप्रद प्रमाण न होगा कि अपीलकर्ता (appellant) ने उतने कर का, जिसका दायित्व वह मानता हो, अथवा उसकी ऐसी किस्तों का, जो देय हो गयी हों, भुगतान कर दिया है।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग न करेगा और न किसी ऐसे अन्य कार्य का सम्पादन करेगा, जो ऐसे अधिकारी की हैसियत से उसे दिये या सौंपे न गये हों।"

(२) उपधारा (३) में वाक्य-खंड (ख) के अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्ध-विराम रखा जाय, जिसके बाद शब्द 'अथवा' होगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित एक नया वाक्य-खंड (ग) बढ़ाया जाय :--

"(ग) अर्थदण्ड लगाने वाली आज्ञा का समर्थन (confirm) कर सकते हैं या उसे निरस्त (cancel) कर सकते हैं या लगाये गये अर्थदण्ड की धनराशि को कम कर सकते हैं।"

(३) उपधारा (५) के बाद निम्नलिखित उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय —

"(६) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ लागू होगी ।"

११—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(३) फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising Authority) किसी भी समय स्वतः (suo motu) अपने विवेक से (in his discretion) या बिक्री-कर कमिश्नर या असन्तुष्ट व्यक्ति की प्रार्थना पर इस अधिनियम के अनुसार किसी अपील सुनने वाले अधिकारी या कर-निर्धारक अधिकारी की किसी आज्ञा का लेखा (record) आज्ञा के विधान युक्त या उचित होने के सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट करने के लिए मांग सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा, जिसे वह उचित समझे, दे सकता है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी मामले में कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र गृहीत न किया जायगा यदि ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती हो, किन्तु की न गयी हो ।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १० का संशोधन ।

(२) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३-क) और (३-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(३-क)—उपधारा (३) के अधीन दी गयी आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रार्थी पर तामील की जायगी ।"

"(३-ख)—उपधारा (३) के अधीन प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा के दिनांक से ६ माह के भीतर दिया जायगा, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो, किन्तु फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising Authority) पर्याप्त कारणों के प्रमाण पर किसी प्रार्थना-पत्र को और अधिक ६ मास की अवधि के भीतर गृहित (entertain) कर सकता है ।"

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ के अस्थान पर निम्नलिखित रखा जायः—

सं०प्रा० ऐक्ट १५,१९४८ई० की धारा ११ का संशोधन ।

हाई कोर्ट के मामले का विवरण ।

"११—(१) धारा १० की उपधारा (३) के अधीन दी गई आज्ञा के दिनांक से ६० दिन के भीतर, असन्तुष्ट व्यक्ति लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा जिसके साथ १०० रु० शुल्क (फीस) दिया जायगा, फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी से प्रार्थना कर सकता है कि वह उक्त आज्ञा से उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी प्रश्न को समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेज दे और फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी, यदि वह प्रार्थना-पत्र को गृहीत करने से इंकार न कर दे, ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने से एक सौ बीस दिन के भीतर मामले का विवरण तैयार करेगा और समाधान के लिये हाई कोर्ट को भेज देगा ।

(२) यदि फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा (१) के अधीन मामले को समाधान के लिये भेजने से इंकार करे तो वह प्रार्थी को नोटिस द्वारा तदनुसार सूचित

करेगा और तब प्रार्थी उक्त इंकार की नोटिस पाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपना प्रार्थना-पत्र वापस ले सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो शुल्क (फीस) उसे लौटा दिया जायगा।

(३) उपधारा (१) के आदेश इस परिवर्तन के साथ बिक्री-कर कमिश्नर पर भी लागू होंगे कि उसके लिये कोई शुल्क (फीस) जमा करना आवश्यक न होगा और मानो कि शब्द "साठ दिन" के स्थान पर शब्द 'एक सौ बीस दिन" रख दिये गये हों।

(४) यदि उपधारा (१) या (३) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी इस आधार पर मामले का विवरण देने से इंकार करे कि उसमें कोई कानूनी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता तो असंतुष्ट व्यक्ति या बिक्री-कर कमिश्नर यथास्थिति, उस पर उक्त इंकार का नोटिस तामील किये जाने से नब्बे दिन के भीतर हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकता है और हाई कोर्ट, यदि इस बात से संतुष्ट न हो कि फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी का निर्णय सही था, फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी से कह सकता है कि वह मामले का विवरण समाधान के लिये भेज दे और इस आदेश के प्राप्त होने पर फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी मामले का विवरण देगा और उसे समाधान के लिये भेजेगा।

(५) यदि हाईकोर्ट को इस बात का संतोष नहीं होता है कि इस धारा के अधीन समाधान के लिये भेजे हुये मामले का विवरण इस बात के लिये पर्याप्त है कि वह उसके आधार पर उठाये गये प्रश्न का निर्णय कर सके, तो वह उस विवरण में ऐसी बातें सम्मिलित करने और उसमें ऐसे परिवर्तन करने के लिये, जैसा कि उक्त कोर्ट निर्देश दे, उस विषय को फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी के पास वापस भेज सकता है।

(६) किसी ऐसे मामले की सुनवाई करके हाई कोर्ट उसमें उठाये गये कानूनी प्रश्न का निर्णय करेगा और उसके संबंध में अपनी तजवीज देगा जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायगा जिनके आधार पर उक्त निर्णय किया गया है और उस तजवीज की एक प्रति फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी तथा बिक्री कर कमिश्नर के पास भेजेगा, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे और तदुपरान्त फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी उस मामले के उक्त तजवीज के अनुरूप निबटारे के लिये ऐसी आज्ञायें देगा जो आवश्यक हों।

(७) जब कोई मामला इस धारा के अधीन समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेजा गया हो, तो उसका व्यय दिलाना जिसमें उपधारा (१) में निर्दिष्ट शुल्क सम्मिलित है, हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर होगा।

(८) फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी की आज्ञा के अनुसार देय करों की उस धनराशि का, यदि कोई हो भुगतान जिसके संबंध में उप-धारा (१) या (३) के अधीन समाधान के लिये प्रार्थना-पत्र-भेजा गया हो, उक्त समाधान के विचाराधीन होने तक स्थगित न किया जायगा किन्तु यदि उक्त समाधान (reference) के परिणामस्वरूप वह धनराशि कम कर दी जाय तो भुगतान किया हुआ अधिक कर लौटा दिया जायगा।

(९) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५, उप-धाराओं (१) (३) और (४) के अधीन प्रार्थना-पत्रों पर लागू होंगी।

१३—मूल अधिनियम की धारा १२ में— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १२ का संशोधन।

(१) शब्द "तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको धारा ६ के अधीन लाइसेंस दिया गया हो" के स्थान पर शब्द "जिसमें कोई ऐसा व्यापारी भी सम्मिलित है जो उक्त अधिनियम के किसी आदेश के अधीन शुल्क देने पर कर से मुक्त कर दिया गया हो." रखे जायं।

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के बाद निम्नांकित को द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्येक व्यापारी, जिसके द्वारा कर देय हो और जो कर लगने योग्य माल तथा ऐसे माल का व्यापार करता हो जिस पर उसके द्वारा कर देय न हो, दोनों वर्गों के माल का अलग-अलग लेखा रखेगा।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १३ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :—

"लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार

१३—(१) कोई ऐसा अधिकारी जिसको राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिकार दिया हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यापारी को यह आदेश दे सकता है कि वह उसके सामने ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे उपस्थित करे जिनका संबंध उसके व्यवसाय से हो और उक्त अधिकारी उनका निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है और व्यापारी से उसके व्यवसाय के संबंध में ऐसी जांच कर सकता है जो आवश्यक हों।

(२) ऐसी सब बहियां, लेख-पत्र और लेखे, जिनको कोई व्यापारी अपने व्यवसाय के संबंध में साधारणतया रखता हो, माल तथा वस्तुयें जो उसके पास हों, और उसका कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र (vessel) अथवा गाड़ी सब यथाचित समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये प्राप्य रहेंगे जिनको राज्य सरकार इस संबंध में अधिकार दे।

(३) उप-धारा (२) के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी उक्त उपधारा में उल्लिखित किसी भू-गृहादि (premises), यान-पात्र (vessel) या गाड़ी में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सब यथोचित समयों पर प्रवेश कर सकता है।

(४) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा (custody) या नियंत्रण में ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखा हो जिसके निरीक्षण का अधिकार उपधारा (२) के अधीन किसी अधिकारी को दिया गया हो, ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे को निरीक्षण के लिये उपस्थित करने से अनुचित रूप से इन्कार करे या जानबूझ कर उपस्थित न करे या यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसी सूचना दे सकता हो जो इस धारा के अधीन आवश्यक हो, उक्त सूचना देने के लिये कहे जाने पर अनुचित रूप से इनकार करे या जानबूझ कर न दे, या जानबूझ कर ऐसी सूचना प्रस्तुत करे जो किसी महत्वपूर्ण विवरण-पत्र के संबंध में असत्य हो, तो प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर उसे अर्थदंड दिया जा सकेगा जो १,००० रू० से अधिक न हो।

(५) यदि बिक्री-कर कमिश्नर के पास ऐसा विश्वास करने के लिये यथोचित कारण हों कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन किसी बिक्री-कर के भुगतान के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जांच के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्रों में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे कारणों सहित लिखित आज्ञा द्वारा किसी कर-निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह उक्त व्यापारी के किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश करे और ऐसे लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अपना अधिकार कर ले जो आवश्यक हों। उक्त लेखे, खाते या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उनके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझी जांय, इस प्रकार अधिकार करने के दिनांक से १५ दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिये बाध्य होगा जिसकी अभिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार दिया गया है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त व्यापारी उस लेखे, खाते (रजिस्तर) या लेख-पत्र के लिये, जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। कर-निर्धारक अधिकारी उक्त व्यापारी के लेखा, खाता (रजिस्टर)

या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है, और ऐसी दशा में व्यापारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहां पर कर-निर्धारक अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर, या दोनों ही प्रत्येक लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख–पत्र में लगाये गये हों।

१५—मूल अधिनियम धारा १४ के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय:— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ई० की धारा १४ का संशोधन

"१४—(१) अपराध तथा दंड—किसी ऐसे व्यक्ति को जो—

(क) जानबूझ कर असत्य विवरण-पत्र प्रस्तुत करे, अथवा ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन अथवा तदधीन निर्मित नियमों के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक हो, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाया गया कर नियत समय के भीतर जानबूझ कर न दे या देने से बचे; अथवा

(ग) किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे धारा १३ के अधीन अधिकार दिया गया हो, किसी भूगृहादि, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश न करने दे अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अधिकारी को उसके कर्त्तव्य के पालन के संबंध में निरीक्षण करने से रोके या उसमें बाधा डाले; अथवा

(घ) जानबूझ कर इस अधिनियम के या तदधीन निर्मित नियमों के आदेशों का उल्लंघन करे; अथवा

(ङ) किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जो धारा ४ के या उसके अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के अधीन बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया हो, बिक्री कर मांगे या वसूल करे, या इस अधिनियम के आदेशों के अधीन देय-दर से अधिक दर से कर मांगे या वसूल करे।

प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर, किसी अन्य कानून के अधीन, जो उस समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के ऐसा अर्थदंड दिया जा सकेगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, और यदि अपराध बराबर होता रहे, तो और भी अधिक अर्थदंड दिया जा सकेगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रु० तक हो सकता है।

(२) यदि धारा १३ की उपधारा (४) या उप-धारा (१) के अधीन, दंडनीय उक्त उल्लंघन किसी कम्पनी, भागीदारी (पार्टनरशिप) फर्म या अन्य नियमित निकाय (body corporate) द्वारा हो तो उसका प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, या अन्य अधिकारी, (पार्टनर) या एजेंट, जब तक कि वह यह प्रमाणित न करे कि उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिये पूर्णरूप से यथोचित सावधानी से काम किया, ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जागा।"

१६—मूल अधिनियम की धारा १५ के बाद निम्नांकित एक नयी धारा १५-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० में एक नई धारा १५-क का बढाया जाना।

१५-क—(१) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान में इस बात का संतोष हो जाय कि—

(क) किसी व्यापारी ने बिना यथोचित कारण के अपने विक्रय-धन का विवरण पत्र जिसे उसे धारा ७ के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक था, प्रस्तुत नहीं किया है अथवा बिना यथोचित कारण के नियत समय के भीतर तथा निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा — विवरण न प्रस्तुत करने के लिये दंड।

(ख) अपने विक्रय-धन के ब्योरों को छिपाया है अथवा जान बूझ कर ऐसे विक्रय धन के ठीक ठीक ब्योरे प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा

(ग) बिना यथोचित कारण के नियत समय के भीतर, उस पर निर्धारित किये किये गये कर का भुगतान नहीं किया है, तो वह यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, दंड के रूप में, वाक्यखंड (क) और (ग) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारा देयकर की धनराशि के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो उक्त धनराशि से अधिक न होगी, और वाक्यखंड (ख) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारादेय किसी करके अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो कर की उस धनराशि के डेढ़ गुना से अधिक न होगी, जिसके भुगतान से वह बच जाता यदि वह विक्रय धन, जिसको ऐसे व्यापारी ने विवरण-पत्र में दिया था, सही विक्रय धन के रूप में मान लिया गया होता।

(२) कोई भी धनराशि जो उपधारा (१) के आदेशों के अधीन दंड के रूप में लगाई गई हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो, यदि उसका भुगतान, ऐसे समय के भीतर, जो दंड लगाये जाने के दिनांक से १५ दिन से कम न होगा, जैसा कि कर-निर्धारक अधिकारी अनुज्ञात करे, नहीं किया जाता।

(३) उप-धारा (१) के अधीन उस समय तक कोई आज्ञा नहीं दी जायगी, जब तक व्यापारी की सुनवाई न करली जाय अथवा उसकी सुनवाई के लिये यथोचित अवसर न दे दिया जाय।

(४) धारा १४ के अधीन कोई अभियोग (prosecution) उन्हीं बातों के संबंध में नहीं चलाया जायगा, जिनके लिये इस धारा के अधीन कोई दंड लगाया जा चुका हो।

(५) कर-निर्धारक अधिकारी, बिक्री-कर कमिश्नर अथवा किसी ऐसे अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, जिसे राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया हो, इस धारा के अधीन कोई दंड नहीं लगायगा।

(६) इस धारा के आदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ (mutatismutandis) धारा ७-ग में अभिलिखित निष्पादक (executor), प्रबन्धक तथा विधक प्रतिनिधि पर भी लागू होंगे"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १८ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा १८ में :—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(२) "उस दशा में जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में ऐसा परिवर्तन हुआ हो अथवा व्यापार बन्द हो गया हो, और व्यापारी पर पूर्व वर्ष के विक्रय धन के आधार पर ऐसे वर्ष के लिये कर निर्धारित किया गया हो, तो निर्धारित कर अनुपाततः कम कर दिया जायगा।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) (क) प्रत्येक व्यापारी अथवा पुनर्निर्माणित फर्म, जिसने किसी कर निर्धारण वर्ष के बीच व्यापार आरम्भ किया हो, और जिसका अनुमानित मासिक औसत विक्रय धन वर्ष की शेष अवधि के लिये कम से कम एक हजार रुपया हो, अथवा उससे उतनी बड़ी धनराशि का १/१२ हो, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अधीन निर्धारित की गई हो, उस मास के समाप्त होने से ३० दिन के भीतर जिसमें वह व्यापार आरम्भ किया गया था, इस बात की सूचना कर निर्धारक अधिकारी को दे देगा और साथ ही अपने विक्रय-धन का

एक विवरण-पत्र ऐसे रूप में, ऐसी अवधि पर और ऐसी रीति से प्रमाणित करके देगा, जो निर्धारित किये जांय।

(ख) यदि कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, संतोष हो जाय कि वाक्यखंड (क) के अधीन दिया गया विवरण पत्र या दिये गये विवरण-पत्र सही और पूर्ण हैं और यह कि औसत मासिक विक्रय धन उस धनराशि से कम नहीं है जो उपर्युक्त वाक्यखंड (क) के अनुसार हिसाब लगाकर आती है, तो वह उक्त व्यापारी पर उस कुल विक्रय-धन के संबंध में, जो विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों में दिखाया गया हो, कर निर्धारित करेगा।

(ग) यदि कोई व्यापारी वाक्यखंड (क) के अधीन उसके लिये नियत अवधि के भीतर कोई विवरण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता अथवा यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण-पत्र अशुद्ध अथवा अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जिसको वह आवश्यक समझे, व्यापारी के विक्रय धन को अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार निश्चित करेगा, और वह देय कर को, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है, किन्तु यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि यदि कर निर्धारण वर्ष के अन्त में, औसत मासिक विक्रय-धन वाक्यखंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से कम पाया जाय, तो भुगतान किया गया कर लौटा दिया जायगा, सिवाय उस धनराशि के जिसके जमा करने का दायित्व व्यापारी पर धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन आता हो।"

(३) उप-धारा (४) निकाल दी जाय।

१८—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २१ का संशोधन।

"२१—यदि किसी भी कारण से किसी वर्ष में किसी व्यापारी के विक्रय-धन के पूरे अथवा थोड़े भाग पर कर लगने से रह गया हो, तो कर निर्धारक अधिकारी, ऐसे वर्ष के समाप्त होने से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय और व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करके, जो आवश्यक हो, ऐसे विक्रय-धन पर देय कर को निर्धारित कर सकता है।" उस विक्रय धन पर जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया हो, कर निर्धारित करना।

१९—(१) मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) में वाक्य खंड (ङ) के बाद शब्द "तथा" निकाल दिया जाय और वाक्यखंड (च) के बाद निम्नलिखित नये वाक्यखंड (छ) और (ज) जोड़ दिये जांय। सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २४ का संशोधन।

"(छ) धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन जमा की गई धनराशियों की वापसी (refunds), ऐसी वापसियों (refunds) के लिये प्रक्रिया तथा वह अवधि जिसके भीतर वे की जा सकती हैं; और

(ज) ऐसे विषय जिनको निर्धारित करना है अथवा जिनको निर्धारित किया जा सकता है।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० को कार्यान्वित करने में कुछ त्रुटियां तथा दोष पाये गये हैं। न्यायिक निर्णयों के फलस्वरूप कुछ धाराओं में संशोधन करना भी आवश्यक हो गया है। तदनुसार, संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विचार है। इस अवसर पर इस बात के लिये भी उपबन्ध रखे जा रहे हैं जिससे ऐसे व्यापारियों पर, जो अपने विक्रय-धन के विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते अथवा अपने विक्रय-धन के ब्योरे छिपाते हैं, दंड लगाया जा सकेगा तथा ऐसे व्यापारी पर, जिसकी कर-निर्धारण के दायित्व के उत्पन्न हो जाने के पश्चात् मृत्यु हो जाय, कर निर्धारित किया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों से प्रस्तुत किया जा रहा है।

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६६ एल० ए०—१९५३—८५०